ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण

प्रशिक्षण मार्गदर्शिका

हमारी योजना हमारा विकास

पंचायती राज विभाग

उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ

प्रशिक्षण मार्गदर्शिका

हमारी योजना हमारा विकास

पंचायती राज विभाग

उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ

2020–21

विषय-वस्तु

प्रस्तावना

ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण प्रशिक्षण हेतु कार्यक्रम की रूपरेखा

प्रशिक्षण की पृष्ठभूमि

प्रशिक्षकों के लिए कुछ ध्यान देनें योग्य बिन्दु

दिवस : 1

सत्र –1 : औपचारिक गतिविधियां
सत्र –2 : पंचायती राज व्यवस्था, जलवायु परिवर्तन, आपदा जोखिम न्यूनीकरण व विकास
सत्र –3 : ग्राम पंचायत विकास योजना के प्रमुख घटक एवं चरण
सत्र –4 : पहला चरणः वातावरण निर्माण
सत्र –5 : दिन भर की सीख

दिवस : 2

सत्र –1 : दूसरा चरणः परिस्थिति विश्लेषण
सत्र –2 : दूसरा चरण जारी....खतरा, जोखिम, नाजुकता व क्षमता आकलन प्रक्रिया
सत्र –3 : तीसरा चरणः आवश्यकताओं/समस्याओं की पहचान एवं प्राथमिकताओं का निर्धारण
सत्र –4 : दिन भर की सीख

दिवस : 3

सत्र –1 : चौथा चरणः संसाधनों का निर्धारण एवं ड्राफ्ट प्लान तैयार करना
सत्र –2 : पांचवा चरणः तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति
सत्र –3 : टास्क फोर्स द्वारा किये जाने वाले कार्य
सत्र –4 : चर्चा एवं शंका समाधान

संलग्नक

संलग्नक 1 : ग्राम पंचायत

संलग्नक 2 : पंचायती राज व्यवस्था

संलग्नक 3 : वातावरण निर्माण

संलग्नक 4 : योजना निर्माण

संलग्नक 5 : बाल टॉस गेम

संदर्भ साहित्य

प्रस्तावना

73वां संविधान संशोधन पंचायती राज संस्थाओं को स्वशासन के निकायों के रूप में सशक्त बनाता है। इसमें यह परिकल्पना की गयी है कि पंचायतें, ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (जीपीडीपी) के माध्यम से आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बनाएंगी। ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) एक व्यापक, समावेशी और सहभागी प्रक्रिया पर आधारित है जो विभिन्न सरकारी योजनाओं/कार्यक्रमों के साथ सामंजस्य सुनिश्चित करती है। उत्तर प्रदेश में बढ़ते जलवायु और आपदा जोखिमों को देखते हुए, ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन (सीसीए) और आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) उपायों को एकीकृत करने की आवश्यकता महसूस की जाती है। इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर खतरों, नाजुकताओं और जोखिमों की अच्छी समझ होना काफी महत्वपूर्ण है। जीपीडीपी प्रक्रिया में स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का उचित उपयोग करने की पर्याप्त गुंजाइश भी है, जो गांवों के नियोजन और प्रतिरोधी (रेजिलियेण्ट) विकास में सीसीए–डीआरआर सरोकारों/चिंताओं को दूर करने में मदद कर सकता है।

पर्यावरण निदेशालय, उत्तर प्रदेश (DoE) और जर्मन विकास सहयोग (GIZ), भारत–जर्मन तकनीकी सहयोग परियोजना–ग्रामीण भारत में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और वित्त (CAFRI) को लागू करने में साझेदार हैं। CAFRI परियोजना भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन (CCA&RAI) परियोजना पर आधारित है, जिसे जी.आई.जेड. इण्डिया द्वारा लागू किया गया था। यह परियोजना राष्ट्रीय और राज्य की विकास योजनाओं में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन को एकीकृत करने के लिए हितभागियों की क्षमताओं को मजबूत करने पर केंद्रित है।

पंचायती राज निदेशालय के साथ संयुक्त रूप से एक समग्र ग्राम पंचायत विकास योजना हेतु क्षेत्रीय/विकास नियोजन प्रक्रिया में जलवायु और आपदा जोखिम को एकीकृत करने के लिए क्षमताओं को मजबूत करना CAFRI परियोजना के महत्वपूर्ण विषयगत फोकस क्षेत्रों में से एक है। उत्तर प्रदेश सरकार, राष्ट्रीय और राज्य के जीपीडीपी दिशानिर्देशों के अनुरूप ग्राम पंचायत विकास योजना विकसित करने की प्रक्रिया का पालन करती है। यह प्रशिक्षण गाइडबुक सीसीए और डीआरआर के घटकों को एकीकृत करते हुए जीपीडीपी विकसित करने में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपनाई जा रही कार्यप्रणाली और चरणों के अनुरूप है। यह एकीकरण सीसीए–डीआरआर सूचित जीपीडीपी को विकसित करने में मदद करेगा ताकि गांवों में विकासात्मक गतिविधियां टिकाऊ और प्रतिरोधी (Sustainable and Resilient) हों और वे सतत विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) में योगदान दें।

इस प्रशिक्षण गाइडबुक का उद्देश्य जमीनी स्तर पर जलवायु परिवर्तन व आपदा प्रेरित जोखिमों को कम करने हेतु ग्राम विकास योजनाओं को बनाने में लगे हुए लोगों की क्षमता बनाना है। यह अपेक्षा है कि पंचायत राज संस्थाओं के सदस्य इस क्षमता के साथ जलवायु परिवर्तन–आपदा प्रेरित जोखिमों व वांछित उपायों से सूचित जीपीडीपी विकसित कर सकेंगे।

ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण प्रशिक्षण मार्गदर्शिका

दिवस : 1

समय	सत्र	प्रमुख विषय	विधि	समग्री	उद्देश्य	सत्र प्रकिया
09.30 से 10.30	**सत्र 1** औपचारिक गतिविधि	पंजीकरण, स्वागत, आपसी परिचय, प्रशिक्षण का उद्देश्य, प्रशिक्षण के नियम	व्यक्तिगत जोड़ो में परिचय या प्रस्तुतीकरण के माध्यम में	पंजीकरण प्रपत्र, पेन, मार्कर, चार्ट पेपर, मेटा कार्ड	• प्रतिभागियों का पंजीकरण। • एक दूसरे से परिचित होना। • प्रशिक्षण के उद्देश्य को बताना। • प्रशिक्षण के नियम बनवाना।	• पंजीकरण प्रपत्र पर प्रतिभागियों का विवरण लेने में मदद करें। • एक दूसरे को अपना परिचय देने के लिए प्रोत्साहित करें • दो दिवसीय प्रशिक्षण के उद्देश्य पर चर्चा करें • प्रोत्साहन एवं परामर्श से दो दिवसीय प्रशिक्षण के नियम पर सहमति बन सके।
10.30 से 11.45	**सत्र 2** पंचायती राज व्यवस्था	• संक्षिप्त इतिहास, 73वां संविधान संशोधन, • ग्राम पंचायत विकास योजना • आपदा प्रबंधन और ग्राम पंचायत विकास योजना • ग्राम पंचायत विकास योजना और सतत् विकास लक्ष्य • ग्राम सभा, ग्राम पंचायत एवं स्थायी समितियां	बड़े एवं छोटे समूह में चर्चा एवं प्रस्तुतीकरण	चार्ट, पेपर, मार्कर, पी. पी.टी., विषय–वस्तु से संबंधित या पहले से लिखा हुआ मेटा कार्ड	• पंचायती राज व्यवस्था पर समझ विकसित करना एवं ग्राम पंचायत विकास योजना में इनकी भूमिका को स्थापित करना। • ग्राम पंचायत विकास योजना पर समझ विकसित करने के साथ ही यह योजना जोखिम सूचित क्यों होनी चाहिए, इस विषय पर भी समझ विकसित करना। • आपदा प्रबंधन और ग्राम पंचायत विकास योजना के एकीकरण एवं विकास, आपदा प्रबंधन व जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के सम्बन्धों पर समझ बनाना।	• पंचायती राज व्यवस्था पर प्रतिभागियों से सामान्य चर्चा करें • फिर पूर्व एवं वर्तमान पंचायती व्यवस्था की तुलना करें। • ग्राम पंचायत विकास योजना (जी0पी0डी0पी0) पर सामान्य चर्चा करें। • आपदा प्रबंधन और जी. पी.डी.पी., विकास, आपदा प्रबंधन व जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के सम्बन्ध व जोखिम सूचित जी.पी.डी. पी. पर चर्चा करें। • ग्राम सभा, ग्राम पंचायत तथा समितियों की बैठक एवं कार्य दायित्व पर तुलनात्मक प्रयास डालें।
11.45 से 12.00			चाय अवकाश			
12.00 से 01.30	**सत्र 3** ग्राम पंचायत विकास योजना के	**प्रमुख घटक/क्षेत्र** • मानव विकास एवं सामाजिक विकास	छोटे समूह में कार्य, बड़े समूह में चर्चा	चार्ट पेपर, मार्कर, पी. पी.टी.	• विकास के क्रम में प्रायः जिन विषयों को पंचायतों में छोड़ दिया जाता है, उनके महत्व	• प्रतिभागियों की सोच एवं समस्याओं को इन विषयों से जोड़कर उन्हें संवेदित करना जिससे

	प्रमुख घटक एवं चरण	• ढांचागत विकास, पर्यावरणीय मुद्दे एवं आपदा प्रबन्धन • आर्थिक विकास सहित आय एवं रोजगार के साधन • व्यक्तिगत एवं सामुदायिक मुद्दे (व्यावहारिक पहलू) • सुशासन एवं समावेशन **ग्राम पंचायत विकास योजना के पांच चरण** • वातावरण निर्माण • परिस्थिति / वास्तविक स्थिति का विश्लेषण • आवश्यकताओं / समस्याओं की पहचान एवं प्राथमिकता का निर्धारण • संशोधनों का निर्धारण एवं ड्राफ्ट प्लान तैयार करना • तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति	एवं प्रस्तुतीकरण		को स्थापित करना एवं योजना निर्माण में उनको समावेशित करने हेतु प्रतिभागियों को संवेदित करना। • ग्राम पंचायत विकास योजना के विभिन्न चरणों से अवगत कराना।	कि वे योजना बनाते वक्त इन विषयों को प्राथमिकता से शामिल कर सकें। • ग्राम पंचायत विकास योजना के प्रत्येक चरण पर चर्चा करना जिससे पूरी योजना की प्रक्रिया पर समझ विकसित हो सके, इसके लिए परस्पर संवाद को महत्व दें।
1.30 से 2.30			भोजन अवकाश			

02.30 से 04.30	**सत्र 4 पहला चरण** वातावरण निर्माण	• राज्य स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक वातावरण निर्माण हेतु की जाने वाली गतिविधियों पर चर्चा	छोटे समूह में चर्चा एवं प्रस्तुतीकरण	पी.पी.टी / कार्ड लेखन, मेटा कार्ड, मार्कर	• ग्राम पंचायत विकास योजना हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर किये जाने वाले गतिविधि के द्वारा वातावरण निर्माण पर समझ विकसित करना एवं इसके महत्व व भागीदारी को समझना। • पंचायत स्तर पर घटित होने वाली आपदाओं, जलवायु में हो रहे बदलावों एवं उसके प्रभावों के सन्दर्भ में समझ विकसित करना। • यह समझना कि किस तरह से जलवायु परिवर्तन और आपदाएं विकास के प्रयासों को व नाजुक समूहों को प्रभावित करती हैं। • यह समझना कि गांव की विकास योजना बनाते समय आपदाओं व उनके जोखिमों को ध्यान में रखना आवष्यक आवश्यक होगा। • समुदायों को जीपीडीपी में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन–आपदा जोखिम न्यूनीकरण को समावेशित करने की आवश्यकता के बारे में जागरूक करना।	• प्रतिभागियों से चर्चा करें कि किस प्रकार की गतिविधियों को करके सभी वर्गों की सहभागिता सुनिश्चित की जा सकती है। उसके बाद प्रस्तुतीकरण के माध्यम से संभावित योजना निर्माण की गतिविधियों पर चर्चा करें। • संभावित वातावरण निर्माण की गतिविधियों एवं गतिविधियों के दौरान चर्चा की जाने वाली विषय वस्तु (ग्राम पंचायत विकास योजना के उद्देश्य, जलवायु प्रेरित आपदाओं, जलवायु और आपदा जोखिमों के प्रभावों, जीपीडीपी योजना में जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण की प्रासंगिकता इत्यादि) पर विस्तार से चर्चा।
04.30 से 05.30	**सत्र 5** दिन भर की सीख	दिन भर की गतिविधियों पर प्रश्नोत्तर एवं दूसरे दिन की गतिविधियों पर चर्चा	बड़े समूह में चर्चा	मार्कर, पेपर, चार्ट	• दिन भर की गतिविधियों का पुनरावलोकन कर दूसरे दिन के विषयों के साथ जोड़कर बताना।	• खुले सत्र के माध्यम से गतिविधियों के प्रश्नों का समाधान करें। • दूसरे दिन के विषयों से प्रतिभागियों को परिचित करायें।

दिवस : 2

समय	सत्र	प्रमुख विषय	विधि	सामग्री	उद्देश्य	सत्र प्रक्रिया
09.00 से 09.30	**पुनरावलोकन : बाल टॉस गेम के साथ**					
09.30 से 11.30	**सत्र 1 दूसरा चरण** परिस्थिति विश्लेषण	**पी.आर.ए. टूल्स का प्रयोग** • सर्वे • ग्राम भ्रमण • सामाजिक मानचित्रण • खतरा–जोखिम–नाजुकता–क्षमता आकलन (एच. आर.वी.सी.ए.) की समझ	छोटे समूह में चर्चा एवं प्रस्तुतीकरण	चार्ट पेपर, मार्कर, मेटा कार्ड	• विभिन्न टूल्स के माध्यम से ग्राम पंचायत की वास्तविक स्थिति निकालने पर समझ विकसित करना। • खतरा, जोखिम, नाजुकता और क्षमता आकलन (एच. आर.वी.सी.ए.) पर समझ बनाना।	• प्रतिभागियों को चार समूह में बांट कर एक–एक विषय पर समूह चर्चा कराकर प्रस्तुतीकरण करायें। उसके बाद उसे समेकित करते हुए पद्धतियों पर समझ विकसित करें।
11.30 से 11.45			**चाय अवकाश**			
11.45 से 01.45	**सत्र 2 दूसरा चरण जारी** परिस्थिति विश्लेषण	**पी.आर.ए. टूल्स का प्रयोग** खतरा, जोखिम, नाजुकता व क्षमता आकलन प्रक्रिया ➢ जोखिम विश्लेषण ➢ नाजुकता विश्लेषण ➢ क्षमता आकलन	छोटे समूह में चर्चा, समूह अभ्यास एवं प्रस्तुतीकरण	चार्ट पेपर, मार्कर, मेटा कार्ड	• खतरा, जोखिम, नाजुकता और क्षमता आकलन (एच. आर.वी.सी.ए.) करने की प्रक्रिया पर समझ बनाते हुए विभिन्न आपदाओं के संदर्भ में गांव की मौजूदा स्थितियों व परिदृश्य का विश्लेषण करने में सक्षम हो जायेगें। • गांव में उपलब्ध बुनियादी नागरिक सेवाओं, बुनियादी ढांचे और सुविधाओं की गुणवत्ता का आकलन किसी भी आपदा के नजरिये से करने में सक्षम हो जायेंगे।	• प्रत्येक विषय पर एक प्रस्तुतीकरण देकर प्रतिभागियों की समझ विकसित करायें। • प्रतिभागियों को समूह में बांट कर एक–एक विषय पर समूह चर्चा कराकर प्रस्तुतीकरण करायें। उसके बाद उसे समेकित करते हुए पद्धतियों पर समझ विकसित करें।
01.45 से 02.30			भोजन अवकाश			
02.30 से 04.30	**सत्र 3 तीसरा चरण** आवश्यकताओं / समस्याओं की पहचान एवं	• आवश्यकताओं / समस्याओं का निर्धारण • जोखिम न्यूनीकरण गतिविधियों की पहचान	समूह में चर्चा एवं अभ्यास, प्रस्तुतीकरण	पेन, मार्कर, चार्ट पेपर, मेटा कार्ड	• आवश्यकताओं / समस्याओं की पहचान पर समझ विकसित करना • प्राथमिकता का निर्धारण किन आधारों पर होता है इन पर समझ विकसित करना।	• परिस्थिति विश्लेषण के फलस्वरूप निकल कर आयी समस्याओं की सूची बनाना। • पेअर मैट्रिक्स आदि विधियों के प्रयोग द्वारा प्राथमिकता का निर्धारण कराना।

	प्राथमिकताओं का निर्धारण	• योजनाओं/ कार्यक्रमों की पहचान			• आपदा प्रबन्धन के पाँच स्तरों– रोक–थाम, शमन, पूर्व तैयारी, रिस्पान्स व पुनर्प्राप्ति की अवधारणा को समझना। • उन योजनाओं / कार्यक्रमों को चिन्हित कर पायेंगे जो आपदा जोखिम को कम करने में सहायक हो सकते हैं।	
04.30 से 05.30	**सत्र 4** दिन भर की सीख	दिन भर की गतिविधियों पर प्रश्नोत्तर एवं दूसरे दिन की गतिविधियों पर चर्चा	बड़े समूह में चर्चा	मार्कर, पेपर, चार्ट	दिन भर की गतिविधियों का पुनरावलोकन कर दूसरे दिन के विषयों के साथ जोड़कर बताना।	• खुले सत्र के माध्यम से गतिविधियों के प्रश्नों का समाधान करें। • तीसरे दिन के विषयों से परिचित करायें।

दिवस : 3

समय	सत्र	प्रमुख विषय	विधि	सामग्री	उद्देश्य	सत्र प्रक्रिया
9.00 से 09.30	**पुनरावलोकन : बाल टॉस गेम के साथ**					
09.30 से 12.00	**सत्र 1** **चौथा चरण** संसाधनों का निर्धारण एवं ड्राफ्ट प्लान तैयार करना	ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए संसाधनों का निर्धारण एवं ड्राफ्ट प्लान तैयार करना (ग्राम पंचायत समिति का कार्य)	समूह चर्चा, प्रस्तुतीकरण, संवाद	चार्ट, पेपर, मार्कर, पी. पी.टी., विषय–वस्तु से संबंधित या पहले से लिखा हुआ मेटा कार्ड	• उपलब्ध मानवीय एवं वित्तीय संशोधनों पर ग्राम पंचायतों की समझ विकसित करना। • प्राथमिकताओं और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर ड्राफ्ट प्लान विकसित करने पर समझ विकसित करना।	• ग्राम पंचायतों को कहां–कहां से आय प्राप्त होती है तथा किन–किन विभागों द्वारा पंचायत स्तर पर कर्मी नियुक्त किये गये हैं एवं इनकी मदद कैसे ली जा सकती है, इस पर चर्चा करना। • सेट फार्मेट पर उपलब्ध संसाधनों के आधार पर ग्राम पंचायत की विकास योजना के प्रारूप पर चर्चा करना।
12.00 से 12.15			चाय अवकाश			
12.15 से 01.45	**सत्र 2** **पांचवा चरण** तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति	• ग्राम पंचायत विकास योजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति (ग्राम	छोटे समूह में कार्य, बड़े समूह में चर्चा एवं प्रस्तुतीकरण	चार्ट पेपर, मार्कर, पी. पी.टी.	• वित्तीय एवं प्रषासनिक स्वीकृति की सीमा पर ग्राम पंचायत की समझ विकसित करना।	• यहां पर ग्राम पंचायत से लेकर जिले स्तर तक वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति की क्या परिसीमाएं हैं इस पर

		सभा की खुली बैठक में) एवं आगे की कियान्वयन की रणनीति पर चर्चा			• कियान्वयन की रणनीति पर समझ विकसित करना।	प्रस्तुतीकरण के माध्यम से चर्चा करना। • ड्राफ्ट पालन का ग्राम सभा की बैठक में प्रस्तुतीकरण, अनुमोदन एवं आगे की रणनीति पर चर्चा करना।
1.45 से 2.45			भोजन अवकाश			
02.45 से 03.45	**सत्र 3** टास्क फोर्स द्वारा किये जाने वाले कार्य	• प्रशिक्षण के पश्चात् ग्राम पंचायत में जलवायु व आपदा जोखिम सूचित योजना निर्माण के लिए टास्क फोर्स द्वारा किये जाने वाले कार्यों पर चर्चा	छोटे समूह में चर्चा एवं प्रस्तुतीकरण	पी.पी.टी / कार्ड लेखन, मेटा कार्ड, मार्कर	• प्रशिक्षण के पश्चात् टास्क फोर्स द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर जलवायु व आपदा जोखिम सूचित योजना निर्माण दशा में क्या–क्या कार्य किये जायेंगे इस पर समझ विकसित करना।	• इसमें ग्राम पंचायत स्तर पर योजना निर्माण हेतु किये जाने वाले सिलसिलेवार कार्यों पर चर्चा करें। • अगर प्रतिभागियों के कुछ सुझाव हों तो उसे समाहित करें।
3.45 से 4.00			चाय अवकाश			
04.00 से 04.45	**सत्र 4** चर्चा एवं शंका	• दिन भर की गतिविधियों पर प्रश्नोत्तर एवं शंका का समाधान	बड़े समूह में चर्चा	चार्ट पेपर, मार्कर,	दिन भर की गतिविधियों का पुनरावलोकन।	• खुले सत्र के माध्यम से प्रतिभागियों के प्रश्नों का समाधान करें।
04.45 से 05.00	**सत्र 5**	धन्यवाद एवं समापन				• धन्यवाद के साथ सत्र का समापन करें।

प्रशिक्षण की पृष्ठभूमि

उत्तर प्रदेश में राज्य एवं जिला संसाधन समूह **(State/District Resource Group)** का ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण (GPDP) पर प्रशिक्षण।

भूमिका

हमारा संविधान भेदभाव रहित और सम्पूर्ण समानता वाले समाज की स्थापना करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए सत्ता का विकेन्द्रीकरण एक अनिवार्य सामाजिक जरूरत है। इसी को ध्यान में रख कर हमारे संविधान में 73वां संशोधन किया गया। इस संविधान संशोधन के फलस्वरूप पंचायतों के स्वरूप और उनकी कार्यप्रणाली में व्यापक बदलाव आये हैं।

विकेन्द्रीकृत योजना प्रक्रिया में जन सहभागिता के साथ–साथ विभिन्न विकास कार्यक्रमों/योजनाओं से सम्बन्धित लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया, क्रियान्वयन तथा निगरानी का दायित्व भी पंचायती राज संस्थाओं को दिया गया है। ग्राम पंचायतों के विकास के लिए यह आवश्यक है कि विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रक्रिया अपनाते हुए ग्राम पंचायत में उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जाये। उत्तर प्रदेश में जलवायु परिवर्तन के कारण सूखा और बार–बार आने वाली बाढ़ के रूप में जलवायु–प्रेरित आपदाओं की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए, यह महत्वपूर्ण हो गया है कि टिकाऊ और सुरक्षित विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों का विकास कार्यक्रम वर्तमान एवं भावी जलवायु परिवर्तन और उससे जनित आपदाओं के संदर्भ में बनाया जाये।

14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप ग्राम पंचायतों के बढ़े हुए दायित्वों एवं धनराशि के हस्तान्तरण के दृष्टिगत ग्राम पंचायतों को वार्षिक एवं दीर्घकालिक योजनाएं बनाकर रणनीति निर्धारित करते हुए कार्य करना होगा, ताकि संविधान के अनुच्छेद 243–जी में उल्लेखित आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय का लक्ष्य प्राप्त करना सुनिश्चित हो सके। संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 15 'क' में भी ग्राम पंचायत द्वारा प्रति वर्ष पंचायत क्षेत्र के लिए एक विकास योजना तैयार करने का प्रावधान है। इसके अलावा, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के दिशा–निर्देशों में जीपीडीपी में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण उपायों को एकीकृत करने और अनुकूलन उपायों को लागू करने पर भी विशेष जोर दिया गया है।

'ग्राम पंचायतों की विकास योजना' एक सहभागी योजना होगी, जिसमें पंचायतें सभी समुदायों विशेषकर सीमान्त एवं वंचित वर्ग, महिलाओं, बच्चों, दिव्यांग, मानसिक रूप से कमजोर, ट्रांसजेंडर के साथ तथा ग्राम सभा की बैठक के माध्यम से आवश्यकताओं/प्राथमिकताओं को चिन्हित करते हुए अपने विकास के लिये योजना का निर्माण करती हैं। यह सहभागी प्रक्रिया गांव की आर्थिक विकास एवं सामजिक न्याय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के साथ–साथ जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिमों का सामना कर रहे गांवों के लोगों को जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिमों से जुड़े मुद्दों को विकास के साथ समाहित करने हेतु एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है।

ग्राम पंचायत विकास योजना न केवल गांव के समग्र विकास में मदद करेगा बल्कि जलवायु परिवर्तन और आपदा से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले कमजोर वर्गों की भागीदारी भी सुनिश्चित करेगा और उनकी जरूरतों और प्राथमिकताओं को पूरा करेगा।

ग्राम पंचायतें जी.पी.डी.पी. के माध्यम से स्थानीय मुद्दों जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, जेण्डर–न्याय आदि से संबंधित समस्याओं का निराकरण करने में सक्षम हो सकेगी। इसमें सिर्फ सरकारी सहयोग ही नहीं बल्कि सहकारी समितियों, वित्तीय स्वशासी संस्थाएं, समुदाय की निजी पूंजी और पंचायतों द्वारा स्वयं अर्जित की गयी आय का भी योगदान लिया जा सकता है।

ग्राम पंचायत विकास योजना को कियान्वित करने के लिए पहले कदम के तौर पर **'केसकेड पद्धति'** आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा राज्य रिसोर्स ग्रुप के सदस्यों द्वारा जिला रिसोर्स ग्रुप को तथा जिला रिसोर्स ग्रुप के माध्यम से टास्क फोर्स को प्रशिक्षित करना है। इस टास्क फोर्स का दायित्व जलवायु परिवर्तन व आपदा जोखिम सूचित ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण की प्रक्रिया में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना और उनमें इस काम की समझ पैदा करना है।

प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी के नेतृत्व में गठित समिति द्वारा जिला रिसोर्स ग्रुप (District Resource Group) का चयन किया जायेगा। इस समूह में चयनित शासकीय/गैर शासकीय व अन्य पृष्ठभूमि के कार्यकर्ताओं को भी उचित प्रशिक्षण दिया जायेगा ताकि अन्तर्विभागीय समन्वय एवं सामंजस्य के साथ लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

प्रशिक्षण के अगले चरण में जिला रिसोर्स ग्रुप (District Resource Group) द्वारा जलवायु परिवर्तन व आपदा जोखिम सूचित ग्राम पंचायत विकास योजना को बनाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली टास्क फोर्स समूह को प्रशिक्षित किया जायेगा।

''प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण'' की यह मार्गदर्शिका जलवायु परिवर्तन व आपदा जोखिम सूचित ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से समझने का एक प्रयास है, जिसमें सभी प्रक्रियाओं को बारीकी से समझने तथा आत्मसात करने के लिए **वयस्क सीख के सिद्धान्तों** को ध्यान में रखते हुए सहभागिता आधारित कई प्रकार की पद्धतियों का उपयोग किया गया है।

''प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण'' मार्गदर्शिका के उद्देश्य निम्न है–

- विभिन्न स्तर पर जुड़ने वाले पंचायती राज प्रशिक्षकों को जलवायु परिवर्तन व आपदा जोखिम सूचित ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण की प्रक्रिया से परिचित कराना।
- जलवायु परिवर्तन व आपदा जोखिम सूचित विकास की समग्र अवधारणा के प्रति स्पष्ट समझ और दृष्टिकोण विकसित करना।
- स्थानीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन और आपदा के प्रभावों की समझ के साथ समाज में व्याप्त संवेदनशील मुद्दों और समस्याओं को पहचानने तथा विकास के व्यापक संदर्भों में उनके समाधानों को प्राथमिकता पर लाने का दृष्टिकोण व कौशल विकसित करना।
- सहभागी नियोजन की प्रक्रियाओं पर स्पष्ट समझ विकसित करना एवं उन्हें दक्षतापूर्वक प्रयोग कर पाने हेतु तैयार करना।
- प्रशिक्षकों में सहजकर्ता के गुणों का विकास करना।

प्रशिक्षण आयोजित करना

प्रशिक्षण कार्यक्रम का पूर्व नियोजन, संदर्भ/स्रोत व्यक्तियों की तैयारी, जिम्मेदारी का सही बंटवारा, प्रशिक्षण के सुचारू रूप से संचालन की प्रक्रिया में अत्यन्त उपयोगी होते हैं।

प्राप्त की गयी सीख को दूसरों को सिखाना

हमारा कार्य प्रशिक्षक के रूप में सीखे या प्राप्त किये गये ज्ञान एवं कौशल को दूसरों को सिखाना है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान सीखने वालों का लक्ष्य यह होना चाहिए कि प्राप्त किये गये नए ज्ञान और कौशलों को अपने कार्यो पर लागू करें, जिससे कार्य व सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार आये। इस तरह वे अपने व्यक्तिगत एवं संस्थागत विकास तथा राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने मे सहायक होंगे। प्रशिक्षण आयोजित करने की प्रक्रिया को हम तीन भागों में बांट सकते हैं:

1. प्रशिक्षण से पूर्व
2. प्रशिक्षण के दौरान
3. प्रशिक्षण के पश्चात्

1. प्रशिक्षण से पूर्व तैयारी

प्रशिक्षण से पूर्व व सत्र से पहले की तैयारी करना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। पहले से कुछ मानकर न चले और यह सुनिश्चित करें कि आपने खुद व्यवस्था देख ली है। कुछ महत्वपूर्ण तैयारी आपको पहले से करके रखनी होगी।

अ. जांच सूची

- प्रतिभागियों की सूची
- प्रशिक्षण सामग्री (पेन, पेंसिल, टेप, दो–तरफा टेप, मार्कर, फ्लिप चार्ट, कटर, व्हाइट बोर्ड, मार्कर आदि)
- समय सारणी व संचार सामग्री (प्रोजेक्टर, लैपटॉप, माइक, पोस्टर आदि) की उपलब्धता पहले से सुनिश्चित कर लें। सभी उपकरण उपलब्ध है तथा ठीक तरीके से कार्य कर रहे हैं, इसकी जांच करें। समय सारणी को अगर आप दीवार पर लगाना चाहें तो लगा दें।
- संबंधित सत्रों के अनुसार उपयुक्त प्रशिक्षण सामग्री का प्रयोग करें।

ब. पंजीकरण

यह पहले से ही सुनिश्चित कर लें कि पंजीकरण के लिए एक निश्चित फॉर्म हो। इसको भरवाने का काम प्रतिभागियों का पंजीकरण कर रहे व्यक्ति को सौंप दें।

स. नाम पट्टिकाएं

प्रतिभागियों को नाम पट्टिकाएं (नेम टैग) दें, जिसमें वे अपने नाम लिखें एवं गले में टांग लें। यह भी सुनिश्चित करें कि सहभागी अपना नाम बड़े अक्षरों में लिखें, ताकि वे सभी को साफ नजर आये।

द. संदर्भ साहित्य/सामग्री

अगर प्रशिक्षण के लिए प्रतिभागियों को किट/बैग दिया जाना हो तो उसे ऐसे समय पर दिया जाना चाहिए जिससे वे प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा, पृष्ठभूमि और संदर्भ सामग्री से अवगत हो जायें।

य. प्रशिक्षण स्थल की व्यवस्था

- यह देख लें कि प्रशिक्षण स्थल में सत्र की गतिविधियां कराने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध है।
- प्रतिभागियों को अर्ध गोलाकार या छोटे समूहों में बैठने को कहें।
- प्रशिक्षक दल का परिचय दें तथा प्रशिक्षण स्थल पर उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी दें।
- चाय तथा भोजन की व्यवस्था की जांच कर लें तथा निर्धारित समय का पता करके प्रतिभागियों के साथ साझा करें।

- प्रशिक्षण स्थल के खुले रहने के समय की जांच कर लें ताकि आप अपना प्रशिक्षण निर्धारित समय के अनुसार संचालित कर सकें।

2. प्रशिक्षण के दौरान

- स्थानीय तथा सरल भाषा का प्रयोग करें।
- सत्र को कार्यक्रम की रूपरेखा के अनुरूप सुचारू रूप से संचालित करें।
- सत्र के सीखने के उद्देश्यों तथा अपेक्षित परिणामों पर प्रकाश डालते हुए प्रारम्भ करें।
- सत्र को सहभागितापूर्ण तथा अधिकाधिक संवादात्मक बनायें।
- निर्धारित किये गये समय के प्रति सचेत रहें तथा सत्रों को उसी अवधि में पूर्ण करने का प्रयास करें।
- प्रतिभागियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करें।
- प्रशिक्षक दल में उपस्थित सहयोगियों का सहयोग सही समय पर तथा उपयुक्त तरीके से लिया जाना चाहिए।
- सत्रों में जल्द–बाजी न करें, नया विषय हाने पर आवश्यकतानुसार बोलने की गति नियंत्रित करें अथवा दोहराएं।
- ऐसे प्रश्न न पूछें जिनका उत्तर केवल हां या न में हो।
- सभी प्रतिभागियों के उत्तरों को धन्यवाद देकर या सिर हिला कर स्वीकार करें।
- यह सुनिश्चित करें कि एक समय में केवल एक ही प्रतिभागी बोले। अगर ऐसा नहीं होता है तो बोलने का क्रम निश्चित करें (उदाहरण के लिए यह कहें कि पहले शांति की बात सुन लें, इसके बाद रेखा की बात सुनेंगे)। अगर प्रतिभागी को यह पता रहेगा कि उसको बोलने का मौका मिलेगा तो वह बीच में टोका–टोकी नहीं करेगा।
- अगर सत्र में कोई अभ्यास, शैक्षणिक एवं स्फूर्तिदायक खेल अथवा रोल प्ले है तो यह सुनिश्चित करें कि इसमें समय का ध्यान रखा जायें तथा स्पष्ट निर्देश और प्रशिक्षण सामग्री की उपलब्धता हो।
- सभी प्रतिभागियों विशेषकर महिला प्रतिभागियों की आवश्यकताओं और जरूरतों के प्रति संवेदनशील रहें तथा उन्हें सम्मान दें।
- जब प्रतिभागी उदासीन दिखें तथा विषय पर ध्यान नहीं लगा पा रहे हों तो कोई प्रेरक तथा उत्साहवर्द्धक गतिविधि/खेल करवाएं।
- चाय तथा भोजन के लिए उचित अवकाश दें।
- प्रतिभागियों की समझ सुनिश्चित करें।
- प्रतिभागियों ने विषय–वस्तु को ठीक से समझा है या नहीं, इसे जांचने हेतु संवाद करें।
- प्रतिभागियों से, उनकी समझ जांचने तथा सचेत रखने के लिए प्रश्न पूछें जो क्या, क्यों और कैसे से प्रारम्भ होते हैं तथा उनका उत्तर संक्षेप में नहीं दिया जा सकता हो।
- ऐसे प्रतिभागियों को पहचानने की कोशिश करें जिन्हें बोलने और समझने में कठिनाई हो रही है तथा उन्हें प्रोत्साहित करें।
- प्रमुख बिन्दुओं को याद दिलाने के लिए सत्र के अंत में पुनरावृत्ति करें।

3. प्रशिक्षण के पश्चात्

- प्रशिक्षण का अन्तिम सत्र समाप्त होने से पहले प्रतिभागियों से प्रशिक्षण के सम्बन्ध में फीडबैक लें। यह फीडबैक प्रशिक्षण सामग्री, प्रशिक्षण स्थल की व्यवस्था तथा प्रशिक्षण कौशल के बारे में होना चाहिए जिससे आने वाले दिनों में प्रशिक्षण को बेहतर बनाया जा सके। अगर प्रशिक्षकों का दल है तो उन्हें आपस में यह चर्चा करनी चाहिए कि क्या अच्छा रहा तथा कहां सुधार की आवश्यकता है और प्रशिक्षण में दी गई सीख का फॉलोअप कैसे किया जायेगा?

- प्रशिक्षण पूर्व और प्रशिक्षण पश्चात् आंकलन प्रपत्रों की जांच कर लें।
- प्रशिक्षण का अभिलेखीकरण भी मानक प्रपत्रों पर कर लें।

प्रशिक्षकों के लिए कुछ ध्यान देने योग्य बिन्दु

- प्रशिक्षण से पहले एक बार ध्यान से मार्गदर्शिका को पढ़ लें जिससे हर सत्र के उद्देश्यों तथा गतिविधियों और उससे निकलने वाली सीखों पर अपनी समझ बना सकें।
- हर सत्र में इस्तेमाल होने वाली सामग्री और चीजों की व्यवस्था पहले से कर लें।
- प्रशिक्षण के उद्देश्य को पहले ही स्पष्ट करें जिससे कि टास्क फोर्स अपनी जिम्मेदारी के प्रति शुरू से ही सजग रहकर सहभागिता करें।
- प्रशिक्षण को रोचक बनाने के लिए बीच–बीच में छोटी कहानी या चुटकले या गीतों का उपयोग करें
- हर सत्र के पठन सामग्री को सत्र लेने से पहले एक बार पुनः जरूर देखें।
- वयस्कों के प्रशिक्षण में बैठक व्यवस्था का बड़ा महत्व है। प्रतिभागी बैठने की व्यवस्था पर ध्यान दें। यह व्यवस्था अनौपचारिक और आरामदायक हो। बेहतर है कि बैठक व्यवस्था U (यू) आकार में हो।
- यह पहले ही सुनिश्चित कर लें कि प्रशिक्षण के दौरान कराये जाने वाले समूह कार्यों के लिए भी जगह पर्याप्त होनी चाहिए।
- आवश्यकतानुसार गतिविधियों में कुछ बदलाव करके सत्र के उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं।
- गतिविधियों को ध्यान से पढ़कर आप अपने अनुभव के अनुसार उचित सीख निकालने में ज्यादा प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं।
- हर गतिविधि को समाप्त करने से पहले उससे निकली सीखों को जरूर दोहराएं तथा उस पर सभी प्रतिभागियों की सहमति भी लेते जायें।
- हर सत्र को संचालित करने के लिए प्रश्नों के माध्यम से बातचीत को आगे बढ़ाये हैं।

गरीबी एक दुर्घटना नहीं है यह आदमी ने बनाया है और इसे मानवीय कियाओं से बदला जा सकता है। एक राष्ट्र को इससे आंका जाना चाहिए कि वह कैसे अपने कमजोर नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है न कि उसके उपरी तबके के नागरिकों के साथ व्यवहार द्वारा।

नेल्सन मंडेला

एक विकसित देश वह नहीं है जहां गरीबों के पास कार हो बल्कि ऐसा देश जहां अमीर व्यक्ति भी सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करता हो।

मुस्तावो पेट्रो

दिवस : 1

दिवस–1

सत्र : 1

औपचारिक गतिविधि

प्रमुख विषय	पंजीकरण, स्वागत, आपसी परिचय, प्रशिक्षण का उद्देश्य, प्रशिक्षण के नियम
समय	1 घंटा
प्रशिक्षण की विधि	व्यक्तिगत, जोड़ों में परिचय या प्रस्तुतीकरण के माध्यम से
प्रशिक्षण सामग्री	पंजीकरण प्रपत्र, पेन, मार्कर, चार्ट पेपर, मेटा कार्ड

सत्र के उद्देश्य

- प्रतिभागियों का पंजीकरण।
- एक दूसरे से परिचित होना।
- प्रशिक्षण के उद्देश्य को बताना एवं प्रशिक्षण के नियम बनवाना।

सत्र प्रक्रिया

- पंजीकरण प्रपत्र पर प्रतिभागियों का विवरण लेने में मदद करें।
- एक दूसरे को अपना परिचय देने के लिए प्रोत्साहित करें।

- तीन दिवसीय प्रशिक्षण के उद्देश्य पर चर्चा करें।
- प्रोत्साहन एवं परामर्श से तीन दिवसीय प्रशिक्षण के नियम पर सहमति बन सके।

इस सत्र में पंजीकरण प्रपत्र पर प्रतिभागियों का विवरण लेने के बाद उपरोक्त तीन गतिविधियों को करना है, जिसे प्रशिक्षक निम्न प्रकार से करें–

गतिविधि नम्बर 1 : स्वागत एवं परिचय

- प्रतिभागियों का स्वागत करें एवं प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए उनका धन्यवाद करें।
- अपना परिचय दें एवं प्रतिभागियों को अपना परिचय देने के लिए प्रोत्साहित करें। यहां प्रतिभागियों का परिचय करने के लिए उनको दो–दो के समूह में बांट कर एक दूसरे को जानने एवं पहचानने के लिए 10 मिनट का समय दें। उसके बाद प्रत्येक जोड़े को अपने साथी का परिचय देने के लिए प्रोत्साहित करें।
- प्रतिभागियों को प्रशिक्षण स्थल पर उपलब्ध सुविधाओं एवं ध्यान देने योग्य बातों के बारे में बतायें एवं उनको पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में बताएं।

गतिविधि नम्बर 2 : प्रशिक्षण के उद्देश्य

- स्थानीय सरकार के विभिन्न घटक (ग्राम सभा, ग्राम पंचायत एवं स्थायी समितियां) का गठन एवं कार्य दायित्व के बारे में समझ विकसित करेंगे एवं ग्राम पंचायत किसी योजना के निर्माण में इनके महत्व को समझेंगे।
- ग्राम पंचायत विकास योजना क्या है कैसे बनती है, और अब बनाना क्यों अनिवार्य है यह समझेंगे। इसके साथ ही यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि वर्तमान में जलवायु परिवर्तन व आपदा के प्रभावों के सापेक्ष ग्राम पंचायत विकास योजना को जोखिम सूचित बनाया जाना क्यों अनिवार्य है?
- शिक्षण के पश्चात् टास्क फोर्स/आपकी ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने में क्या भूमिका होगी इस पर समझ विकसित करेंगे।

गतिविधि नम्बर 3 : प्रशिक्षण के दौरान पालन किये जाने वाले नियम

सभी प्रतिभागियों के साथ मिलकर प्रशिक्षण के दौरान पालन किये जाने वाले नियमों को निर्धारित करें एवं प्रतिभागियों द्वारा सुझाये गये नियमों को एक चार्ट पर लिख दें एवं ऐसे जगह पर दीवार पर चिपका दें, जिसे आसानी से देखा जा सके। बनाये गये नियमों को पूरे प्रशिक्षण सत्रों के दौरान पालन किये जाने हेतु सबकी स्वीकृति ले लें। प्रशिक्षण के दौरान पालन किये जाने वाले नियमों के कुछ उदाहरण निम्नवत् है–

- प्रतिदिन कार्यक्रम शुरू होने और खत्म होने का समय।
- चाय/भोजन का समय।
- मोबाइल बंद रखना।
- आपस में गैर जरूरी बातें न करना।
- किसी की बात न काटना।
- बोलने वाले साथी की बातों को ध्यान से सुनना।
- दूसरे की बात/विचार से सहमत न होने पर भी उसके विचारों का आदर करना।
- अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो बेझिझक पूछने के लिए हाथ उठा कर बोलने की अनुमति लेना और बात समझना।
- यह ध्यान रखना कि हम सब सीखने और सिखाने का काम कर रहे हैं और यहां कोई छोटा–बड़ा नहीं है इसलिए एक–दूसरे से अपने अनुभव कहने में संकोच नहीं करना है तथा एक–दूसरे के अनुभवों से सीखना है।

सत्र 2

पंचायती राज व्यवस्था

प्रमुख विषय	पंचायती राज व्यवस्था का संक्षिप्त इतिहास, 73वां संविधान संशोधन, ग्राम पंचायत विकास योजना, जलवायु परिवर्तन एवं आपदा प्रबंधन और ग्राम पंचायत विकास योजना, ग्राम पंचायत विकास योजना और सतत विकास लक्ष्य, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत एवं स्थायी समितियां
समय	1 घंटा 15 मिनट
प्रशिक्षण की विधि	बड़े एवं छोटे समूह में चर्चा एवं प्रस्तुतीकरण
प्रशिक्षण सामग्री	चार्ट पेपर, मार्कर, पी.पी.टी. विषय वस्तु से सम्बन्धित या पहले से लिखे हुए मेटा कार्ड

सत्र के उद्देश्य

इस सत्र के अन्त तक प्रतिभागियों में

- पंचायती राज व्यवस्था एवं ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण में इनकी भूमिका को स्थापित करने पर समझ विकसित हो जाएगी ।
- ग्राम पंचायत विकास योजना पर समझ स्पष्ट हो जाएगी।
- जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन और ग्राम पंचायत विकास योजना के एकीकरण, ग्राम पंचायत विकास योजना और सतत विकास लक्ष्य एवं विकास, आपदा प्रबंधन व जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के सम्बन्धों पर समझ बन जाएगी।
- जलवायु परिवर्तन एवं आपदा जोखिम सूचित ग्राम पंचायत विकास योजना पर समझ विकसित हो जाएगी।

सत्र प्रक्रिया

सर्वप्रथम प्रशिक्षक इस सत्र में उल्लेखित उद्देश्यों से प्रतिभागियों को परिचित कराएं और उन्हे स्पष्ट करें कि इस पूरे सत्र में वह कौन–कौन से बिन्दुओं पर बातचीत व चर्चा करेंगे। तत्पश्चात निम्नानुसार चर्चा शुरू करें।

- पंचायती राज व्यवस्था पर प्रतिभागियों से सामान्य चर्चा करें।
- फिर पूर्व एवं वर्तमान पंचायत व्यवस्था की तुलना करें।
- ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.) पर सामान्य चर्चा करें।
- जलवायु परिवर्तन एवं आपदा प्रबंधन और जी.पी.डी.पी., ग्राम पंचायत विकास योजना और सतत विकास लक्ष्य, विकास, आपदा प्रबंधन व जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के संबन्ध, जोखिम सूचित जी. पी.डी.पी. पर चर्चा करें।
- ग्राम सभा, ग्राम पंचायत तथा समितियों की बैठक, कार्य दायित्व पर तुलनात्मक प्रयास डालें।

पठन सामग्री

पंचायत क्या है?

- सामान्य बोलचाल की भाषा में 'पंचायत' का आशय पांच या अधिक व्यक्तियों के समूह से है।
- पंचायत एक क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की समस्या का संविधान के दायरे में रहकर निदान करने का प्रयास करती है।
- अलग–अलग समय अंतरालों में इसके स्वरूप में परिवर्तन होते रहे हैं। कभी जातीय पंचायत, कभी सामाजिक मामलों में मध्यस्थता करने वाली पंचायत अथवा कभी ग्रामों के स्वराज्य में अपना योगदान करने वाली संस्था के रूप में इसकी पहचान रही है।
- इसका गठन औपचारिक या अनौपचारिक तौर पर किसी प्रयोजन के लिए स्थायी अथवा अस्थायी रूप से किया जाता है।
- अब पंचायतें ''ग्रामीण प्रशासन एवं समग्र ग्रामीण विकास का पर्याय बने'' की ओर उन्मुख है। अब पंचायतों को पंचायती राज व्यवस्था के रूप में संबोधित किया जाने लगा है, अर्थात स्थानीय स्वशासन की एक पद्धति/इकाई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पंचायत एक ऐसी इकाई है, जिसके माध्यम से स्थाई स्वराज्य शासन (स्थानीय लोगों का अपना शासन) चलाया जाता है।

73वां संविधान संशोधन की पृष्ठभूमि

पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण को लेकर केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा कई समितियों का गठन किया गया। इसमें से लक्ष्मीमल सिंधवी समिति एवं पी.के. शुंगन समिति ने अपनी सिफारिश में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए सिफारिश की। इन सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने संविधान में संशोधन हेतु पहल की। जिसके फलस्वरूप 73वें संविधान संशोधन के अनुसार संविधान के भाग–9 में पंचायत नाम से अनुच्छेद 243–क से लेकर झ तक 16 अनुच्छेद जोड़े। यह संशोधन 22, 23 दिसम्बर, 1992 में क्रमशः लोक सभा एवं राज्य सभा द्वारा पारित किया गया। सन् 1993 में 20 अप्रैल को राष्ट्रपति द्वारा इस संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई और 24 अप्रैल 1993 से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देते हुए पूरे भारत में लागू कर दिया गया। इसको बताने के पश्चात् प्रतिभागियों को संविधान के 73वें संशोधन के बारे में जानकारियां दें तथा उस पर चर्चा करें जो निम्नवत् हैं–

73वां संविधान संशोधन की विशेषता

- ग्राम स्तर पर ग्राम सभा का गठन करना अनिवार्य होगा। ग्राम से संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर यह निकाय गठित होगा। इस बात का निर्देश है कि राज्य के विधान मण्डल द्वारा कानून बनाकर ग्राम सभाओं को अधिकार प्रदान किये जायेंगे।
- नई पंचायती राज संस्थाएं निम्न तीन स्तरों पर गठित की गई हैं–
  - ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत
  - विकास खण्ड स्तर पर क्षेत्र पंचायत
  - जिले स्तर पर जिला पंचायत
- पंचायत का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा। कार्यकाल समाप्ति के बाद 6 माह के भीतर चुनाव अनिवार्य होगा। इस व्यवस्था को नियमित एवं निष्पक्ष तथा सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक संवैधानिक संस्था राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है।
- सभी स्तरों पर पंचायत के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा निर्वाचन से होगा। जनसंख्या के आधार पर समान अनुपात के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र घोषित होगा।
- सभी स्तरों पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए उस क्षेत्र में उसकी जनसंख्या के अनुपात में सीट आरक्षित होगी।
- महिलाओं के लिए भी सभी स्तरों की पंचायतों में कुल सीटों का एक तिहाई भाग आरक्षित होगा। यह व्यवस्था प्रधान/प्रमुख/अध्यक्ष के पद हेतु भी होगी।
- पिछड़े वर्गों के आरक्षण का मुद्दा राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ा गया है।
- संसाधनों की समुचित व्यवस्था हेतु वित्त आयोग का गठन तथा ऑडिट की समुचित व्यवस्था की गई है।
- ग्राम पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक जन भागीदारी से योजना बनाने के लिए जिला योजना समिति के गठन का प्रावधान इसी क्रम में 74वे संविधान संशोधन में किया गया है।
- 11वीं अनुसूची के माध्यम से चुनाव में भाग लेने हेतु प्रत्याशियों की एक निश्चित आयु सीमा 21 वर्ष का निर्धारण किया गया है।
- इस प्रकार 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से कुछ इस तरह के प्रावधान किये गये, जिससे पंचायती राज व्यवस्था को एक निश्चित एवं अधिकार सम्पन्न स्वायत्त शासन की संस्था के रूप में विकसित किया जा सके। आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय इस व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य निश्चित किया गया है।

ग्राम पंचायत विकास योजना

73वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप ग्रामीण विकास की जिम्मेदारी अधिकांशतः ग्राम पंचायतों की ही है। इसी संशोधन के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने पर बल दिया गया है जिसमें स्थानीय स्वशासन में आम लोगों की सहभागिता बढ़ाने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, समाज के पिछड़े वर्ग एवं महिलाओं की सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु भी निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। हमारी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में प्रत्येक स्तर की भूमिका और कार्य पूर्णतः स्पष्ट है जिसके अनुसार ग्राम पंचायत मुख्य क्रियान्वयन इकाई है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रभावी होने के बाद ग्राम पंचायतों द्वारा अपनी इस भूमिका का निर्वहन प्रभावी ढंग से किया गया है। इसी क्रम में ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण की भी बात की गयी है, जिसके तहत् पंचायत, ग्रामीण विकास सम्बन्धी फ्लैगशिप कार्यक्रमों को समाहित करते हुए ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.) बनाने हेतु प्रतिबद्ध है। जी.पी.डी.पी. ग्राम पंचायत की विकास योजना है, अतः इसका मुख्य उद्देश्य पंचायतों का समग्र एवं समेकित विकास है। इसमें अधोसंरचना विकास के साथ ही साथ सामाजिक एवं आर्थिक विकास भी सम्मिलित है। इस हेतु पंचायत सरकार द्वारा जारी

दिशा–निर्देशों के तहत् प्रक्रिया करते हुए सभी हितधारकों के साथ मिलकर सहभागी प्रक्रिया के माध्यम से अपनी ग्राम पंचायत विकास योजना का निर्माण करती है। ग्राम पंचायत विकास योजना के मुख्य उद्देश्य हैं –

1. ग्राम पंचायतों का समान सामाजिक, आर्थिक एवं वैयक्तिक विकास।
2. समुदाय को निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाना।
3. विकास कार्यो में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्वों में बढ़ोत्तरी।
4. सहयोगी नियोजन एवं संसाधनों के अभिसरण को बढ़ावा।
5. वंचित वर्गो की आवश्यकता के साथ सामाजिक सुरक्षा को प्रमुखता से सम्मिलित करते हुए अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति के कल्याण को प्राथमिकता।
6. नियोजन की प्रक्रिया को मांग आधारित बनाना।

ग्राम पंचायत विकास योजना का महत्व

जी.पी.डी.पी. ग्राम पंचायत की विकास योजना है। यह एक सहभागी प्रक्रिया के माध्यम से तैयार किया जाता है जिसमें उपलब्ध संसाधनों के साथ लोगों की जरूरतों और प्राथमिकताओं से मेल खाने वाले सभी हितधारकों को शामिल किया जाता है। जी.पी.डी.पी. (अ) एक दृष्टि प्रदान करता है कि लोग अपने गांव को कैसा दिखाना चाहते हैं (ब) उस दृष्टि को प्राप्त करने के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करता है, और (स) उन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए एक कार्य योजना प्रदान करता है। ग्राम पंचायत स्तर पर नियोजन से पंचायतें :

- अपने विकास की योजनाएं स्वयं बनाने हेतु सक्रिय होती हैं।
- निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता हेतु लोगों को संगठित और उत्प्रेरित करती हैं जिससे लोगों को पंचायत के और निकट लाया जा सके।
- लोगों को एक ऐसा मंच प्रदान करती हैं जहां वे स्थानीय विचारों व स्थानीय मुद्दों के ऊपर चर्चा व विश्लेषण कर उनकी प्राथमिकताओं का निर्धारण कर सकें।
- लोगों की अपेक्षाओं एवं जरूरतों का आकलन करती हैं।
- गाँव में वर्तमान समस्याओं एवं मुद्दों का प्राथमिकीकरण करती हैं।
- प्रभावी जुड़ाव के माध्यम से सभी उपलब्ध समस्याओं और संसाधनों को गाँव में लाती हैं।
- विभिन्न योजनाओं/विभागों/क्षेत्रों के समन्वय एवं जुड़ाव के लिए मंच उपलब्ध कराती हैं।
- क्षेत्र के लोगों के हित में संसाधनों का बेहतर उपयोग करती हैं।

ग्राम पंचायत विकास योजना और आपदा प्रबंधन[1]

पर्यावरणीय क्षति, बडे पैमाने पर वनों की कटाई और बढ़ते वायु प्रदूषण आदि के कारण भूकंप, बाढ़, चक्रवात, और सूखे जैसी आपदाएँ बढ़ रही हैं। मानव जीवन, संपत्ति और पर्यावरण पर आपदा की बढ़ती घटनाओं पर दुनिया भर में चिंता भी है। यहां पर हमें यह समझना आवश्यक है कि प्राकृतिक आपदाओं को रोका नहीं जा सकता है, परन्तु कुछ सटीक उपायों को अपनाकर लोगों के जीवन और सामाजिक–आर्थिक पहलुओं पर इन आपदाओं के प्रभावों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। समस्या के प्रभाव को हल करने/कम करने में स्थानीय संस्थान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

ग्राम पंचायतों की आपदा प्रबंधन में भूमिका

आपदा प्रबंधन में समय पूर्व तैयारी और आपदा के प्रभावों को कम करने की गतिविधियों में जनसहभागिता सुनिश्चित करने में ग्राम पंचायतों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ग्राम पंचायत लोगों के प्रति जवाबदेह है। ग्राम पंचायतें अपनी बेहतर सहभागिता से लोगों को प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए तैयार करती हैं। साथ ही उन्हें ग्राम पंचायत स्तर पर हर संभव निवारक और सुरक्षात्मक

[1] GUIDELINES FOR PREPARATION OF GRAM PANCHAYAT DEVELOPMENT PLANS 2018 (Chapter 5.13)

गतिविधियों में शामिल कर सकती हैं ताकि आपदाओं के प्रभाव को कम किया जा सके और लोग अपने जीवन और संपत्ति को बचाने में सक्षम हो सकें। ग्राम पंचायत सामाजिक जुड़ाव प्रक्रिया के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकता है और आपदा शमन (प्रभावों को कम करने) के प्रयासों में आधुनिक अभ्यासों को जोड़ने के लिए स्थानीय समुदायों के पारंपरिक ज्ञान का उपयोग कर सकता है। स्थानीय शासन के रूप में ग्राम पंचायत के अलावा जमीनी स्तर पर विभिन्न सामाजिक और विकासात्मक गतिविधियों में लगे अन्य समुदाय आधारित संगठनों (सीबीओ) के साथ समुदाय के विभिन्न सरोकारों के एकीकरण के लिए एक आधार भी प्रदान करेगा। इसलिए, आपदा प्रबंधन में ग्राम पंचायत की भूमिका और स्थानीय स्तर पर जान–माल पर आपदाओं के विनाशकारी प्रभाव को कम करने के लिए समय पूर्व तैयारी और आपदा के प्रभावों को कम करने के उपायों के प्रति स्थानीय समुदायों को संवेदनशील बनाना बहुत महत्वपूर्ण है।

जीपीडीपी में आपदा प्रबंधन का एकीकरण

ग्रामीण समुदायों को आपदा प्रबंधन हेतु अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजना बनाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। परन्तु इसके लिए उन्हें अपने आप को तैयार करना होगा और इसके लिए ग्राम पंचायत को अपनी क्षमताओं के निर्माण में आगे आकर नेतृत्व करने की आवश्यकता है। उन्हें अपनी ग्राम पंचायत विकास योजना में जलवायु परिवर्तन एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण के उपायों को सम्मिलित करने पर विचार करना चाहिए।

जीपीडीपी में विजनिंग अभ्यास और परिस्थिति विश्लेषण के दौरान, स्थानीय समुदायों के पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करने और आपदा शमन प्रयासों में आधुनिक अभ्यासों को जोड़ने के लिए प्रभावी ढंग से तालमेल बिठाने का प्रयास किया जाना चाहिए। गैर सरकारी संगठनों और समुदाय आधारित संगठनों (सीबीओ) जैसे नागरिक समाज की पहल के साथ निर्वाचित प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए, साथ मिल कर काम करने वाला दृष्टिकोण आपदा न्यूनीकरण और शमन के लिए एक व्यापक–आधारभूत ढांचा प्रदान करेगा। आंकड़ों के संग्रहण प्रक्रिया के दौरान, आपदा तैयारियों पर जानकारी और आंकड़ा एकत्र किया जाना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं, संबंधित विभागों और अन्य स्थानीय संगठनों के बीच साझेदारी में काम करना चाहिए ताकि संसाधनों की उत्पादकता को अधिकतम किया जा सके और आपदा प्रबंधन अधिक प्रभावी हो सके।

इसके अलावा, जहां तक जेण्डर और नाजुकता का संबंध है, एक समावेशी दृष्टिकोण की आवश्यकता है ताकि आपदा प्रबंधन और तैयारी प्रक्रिया में वितरण प्रणाली को शामिल करके उसे सभी समूहों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाया जाये। इसके अलावा, स्थानीय स्तर पर आपदा न्यूनीकरण रणनीतियों के संचालन को प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करने के लिए जी.पी.डी.पी. में एक समुदाय आधारित निगरानी प्रणाली आवश्यक है।

ग्राम पंचायत विकास योजना और सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी)

संयुक्त राष्ट्र द्वारा विकसित सतत विकास लक्ष्य (एस.डी.जी) के अन्तर्गत 17 लक्ष्य एवं कुल 169 टारगेट्स हैं। इसके कई लक्ष्य ग्राम पंचायतों के दायरे में आते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में ग्राम पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारतीय संविधान द्वारा परिकल्पित पंचायती राज व्यवस्था का दोहरा उद्देश्य– स्थानीय आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है। संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों से संबंधित कार्यों के नियोजन और कार्यान्वयन में पंचायतों से प्रभावी भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाती है। कई सतत विकास लक्ष्य इन विषयों के दायरे में आते हैं। अतः यहां यह बताना महत्वपूर्ण होगा कि ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने की प्रक्रिया के साथ ही ग्राम पंचायतों को सतत विकास लक्ष्य के साथ अपनी योजनाओं

को जोड़ने का भी अवसर मिलता है। विभिन्न केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं के संसाधनों का लाभ उठाया जा सकता है और ग्राम पंचायत स्तर पर उनका अभिसरण किया जा सकता है। योजना निर्माण की प्रक्रिया में पंचायतें मापने योग्य संकेतकों को सम्मिलित कर ग्राम पंचायत स्तर पर सतत विकास के लक्ष्य निर्धारित कर सकती हैं। यह लक्ष्य लम्बी अवधि के दौरान ग्राम पंचायत स्तर के विकास को बढ़ावा देने में सहायक हो सकते हैं।

ग्राम पंचायत विकास योजना ने गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण विकास, लैंगिक समानता, सामाजिक और आर्थिक न्याय पर ध्यान केंद्रित करते हुए संस्थागत स्तर पर जन भागीदारी पर बल दिया है। ग्राम पंचायत विकास योजना के अन्दर सतत विकास लक्ष्य का एकीकरण ग्राम पंचायतों को उनके विकास के लिए एक विजन विकसित करने में सक्षम बनाएगा जो भारत सरकार की राष्ट्रीय और वैश्विक प्राथमिकताओं और प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है। यह सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति को भी एक गति प्रदान करेगा। पंचायत स्तर पर सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तथा कार्यक्रमों को लागू करने और निगरानी करने के लिए पंचायती राज संस्थान के पदाधिकारियों, स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधियों और ग्रामीण समुदायों की क्षमताएं बढ़ाना महत्वपूर्ण है।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और सतत विकास

इस बात पर अब आम सहमति बन रही है कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और सतत विकास एक दूसरे से सहक्रियात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। वैश्विक स्तर पर विकसित तीन महत्वपूर्ण एजेंडों, यानी आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क (एस.एफ.डी.आर.आर) 2015–2030, सतत विकास लक्ष्य (एस.डी.जी) 2030 और पेरिस जलवायु समझौता 2015, में जलवायु परिवर्तन एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण के उपायों को विकास योजनाओं में एकीकृत करने के लिए स्पष्ट रास्ते हैं क्योंकि इन सभी वैश्विक एजेंडों का एक साझा उद्देश्य विकास को टिकाऊ बनाने का है।

बढ़ते जलवायु और आपदा जोखिम को देखते हुए, भारत सरकार ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के एकीकरण के लिए ठोस प्रयास किए हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (2019) एक तरफ जहां आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों की प्रप्ति पर जोर देती है वहीं दूसरी तरफ वह सतत विकास और जलवायु अनुकूल विकास सुनिश्चित करने के लिए सतत विकास लक्ष्य और जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के साथ तालमेल बनाने पर भी विशेष ध्यान देती है जो अंततः आपदा जोखिम को कम करेगा।

2014–15 में राज्य स्तर पर जलवायु परिवर्तन पर निर्मित कार्य योजना (एस.ए.पी.सी.सी.) भी अपने सभी महत्वपूर्ण मिशन एवं प्राथमिकताओं के माध्यम से प्रशासन के विभिन्न इकाइयों जैसे ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर जलवायु परिवर्तन एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण के उपायों को विभागीय योजना में सम्मिलित करने पर बल देता है। उदाहरण स्वरूप स्थाई कृषि विकास मिशन के अंतर्गत ग्राम स्तर पर जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि क्षेत्र में पड़ रहे प्रभावों को देखते हुए ग्राम स्तर पर क्लाइमेट फील्ड स्कूल बनाने, जैविक खेती को बढ़ावा देने तथा क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम बनाने की बात की गयी है। इसी तरह अन्य मिशन के तहत भी ग्राम पंचायत, ब्लॉक एवं जिला स्तर पर जलवायु अनुकूलन के प्रयास को विकास योजना में अपनाने पर बल दिया गया है। ग्राम पंचायत स्तर पर, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश के जी.पी.डी.पी. दिशा–निर्देशों में भी ग्राम पंचायतों को आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु संवेदी योजना को एकीकृत करने के लिए एक बुनियादी इकाई होने पर जोर दिया है। जी.पी.डी.पी. प्रक्रिया में स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का उचित उपयोग करने की पर्याप्त गुंजाइश है, जो गांवों के नियोजन और सुरक्षित विकास में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन–आपदा जोखिम न्यूनीकरण चिंताओं को दूर करने में मदद कर सकता है।

जोखिम सूचित ग्राम पंचायत विकास योजना का औचित्य

ग्राम पंचायत विकास योजना ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने पर बज देता है। इसके अन्तर्गत नियोजन की प्रक्रिया में ग्रामीण लोगों को शामिल करने और ग्राम पंचायत में उपलब्ध स्थानीय संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करने की बात करता है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में, जलवायु परिवर्तन और जलवायु प्रेरित आपदाओं के प्रभावों ने ग्रामीण भारत के विकास परिदृश्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर जलवायु परिवर्तन एवं आपदा पर विकसित विभिन्न प्रलेखों एवं कार्य योजनाओं के अंतर्गत यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि आगे आने वाले समय (2050 या सदी के अंत (2100) तक) में जलवायु परिवर्तन एवं उससे जनित आपदाओं से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की नाजुकता और भी बढ़ेगी। हाल ही में (2020) जीआईजेड एवं उत्तर प्रदेश पर्यावरण निदेशालय के सहयोग से विकसित एक रिपोर्ट में ऐतिहासिक एवं भावी जलवायु परिवर्तन (वर्ष 2050 तक) के आंकड़ो के विश्लेषण ने यह स्पष्ट किया गया है कि सामान्य रूप से राज्य के सभी 9 कृषि जलवायु प्रदेश जलवायु परिवर्तन के कारण प्रभावित होंगे। परंतु राज्य के तराई (उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र), बुंदेलखंड एवं विंध्य कृषि जलवायु प्रदेश जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित होंगे। अतः विकास के कार्यों में वर्तमान एवं भावी जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण को एकीकृत करना सबसे महत्वपूर्ण है। विकास की सबसे निचली इकाई होने के कारण ग्राम पंचायतों को इस तरह के एकीकरण के लिए सबसे अच्छी स्थिति में माना गया है। ग्राम पंचायत विकास योजना के माध्यम से आपदा जोखिम में कमी और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन उपायों को मुख्यधारा में लाने और सुरक्षित ग्राम विकास के लिए संसाधन जुटाने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर स्थानीय समुदाय, निर्वाचित प्रतिनिधियों, गैर सरकारी संगठनों/सीबीओ और प्रमुख लाइन विभागों के जिम्मेदार अधिकारियों की क्षमता को मजबूत किए जाने की आवश्यकता है।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005, राष्ट्रीय और उत्तर प्रदेश की राज्य आपदा प्रबंधन योजना ने ग्राम पंचायतों और पंचायती राज संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया है ताकि आपदा प्रबंधन के प्रत्येक चरण के दौरान समुदाय को उनकी अल्पकालिक और दीर्घकालिक तैयारी और शमन योजना (प्रभाव को कम करने) बनाने और लोगों को संगठित करने के लिए प्रेरित किया जा सके। इसी अधिनियम में यह भी कहा गया है कि ग्राम पंचायतें और पंचायती राज संस्थाएं लोगों के प्रति जवाबदेह हैं और ग्राम पंचायत विकास योजना में सभी संभावित निवारक, तैयारी और सुरक्षात्मक गतिविधियों को डिजाइन करने और एकीकृत करने के लिए जिम्मेदार हैं ताकि जलवायु प्रेरित आपदाओं के प्रभाव कम हो जाएं और लोग अपने जीवन और संपत्ति को बचाने में सक्षम हों। इसलिए, जोखिम सूचित ग्राम पंचायत विकास योजना ग्रामीण विकास प्रक्रिया को और अधिक प्रतिरोधी बनाने में सहायक होगा और सतत विकास लक्ष्य व आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क के लक्ष्यों को पूरा करने में सहायक होगा।

जोखिम–सूचित ग्राम पंचायत विकास योजना के प्रमुख लाभ निम्नवत हैं :

- ✓ जोखिम सूचित विकास ग्रामीण स्तर पर जलवायु और आपदा जोखिम को कम करता है।
- ✓ यह जमीनी स्तर पर विकास के कार्यों में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के उपायों को मुख्यधारा में लाने और जलवायु–आपदा प्रतिरोधी विकास में संसाधन जुटाने का अवसर प्रदान करता है।
- ✓ यह ग्राम पंचायत विकास योजना में स्थानिक योजना को एकीकृत करके ग्राम पंचायत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन को समाहित करने हेतु प्रेरित करता है।
- ✓ यह उपलब्ध स्थानीय संसाधनों, कौशल और क्षमताओं के समुचित उपयोग के लिए एक दिशा प्रदान करता है जिसे और मजबूत किया जा सकता है।

✓ यह नियोजन प्रक्रिया में स्थानीय समुदायों की भागीदारी को बढ़ावा देता है जो विशिष्ट कृषि–जलवायु क्षेत्रों और विभिन्न खतरों के संदर्भ में स्थानीय जरूरतों और लोगों की प्राथमिकताओं को समझने में मदद करता है।

इसके बाद ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत के बारे में संक्षेप में निम्न चर्चा करें। (पृष्ठ संख्या 95 पर **संलग्नक 1 ग्राम पंचायत** का रेफर करें)

समितियों का गठन, कार्य बैठक की प्रक्रिया एवं दायित्व

ग्राम पंचायत अपने कार्यों में सहायता करने के लिए 6 समितियों का गठन करेगी। ग्राम पंचायत आवश्यकतानुसार इन समितियों को अपने सभी कार्यों या किन्हीं कार्यों को करने के लिए जिम्मेदारी सौंप सकती है।

क्र0 सं0	समिति का नाम	समिति के काम	समिति का गठन
1	नियोजन एवं विकास	• ग्राम विकास की योजना बनाना • योजना बनाने के दौरान जलवायु परिवर्तन व आपदा के घटकों को ध्यान में रखना। • कृषि, पशुपालन एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का संचालन करना • सभी समितियों के नियोजन निर्माण में भागीदारी करना • यह समिति खुली बैठक में लाभार्थियों का सही चयन सुनिश्चित करेगी और यह ध्यान रखेगी कि समुदाय के प्रत्येक वर्ग (अनुसूचित जाति /जनजाति, महिलाएं, दिव्यांगजन और पिछड़ा वर्ग एवं आपदा प्रभावित) की भागीदारी सुनिश्चित हो।	• इस समिति का सभापति प्रधान होता है। • 6 अन्य सदस्य (अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला और पिछड़े वर्ग के एक सदस्य का अवश्य होगा) • विशेष आमंत्रित (7 अधिकतम)
2	शिक्षा समिति	• प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करना। • समिति द्वारा पढ़ाई के स्तर की जांच करना एवं सुनिश्चित करना कि छात्रवृत्ति का सही बंटवारा हो। • प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई के स्तर को सुधारने के लिए ढांचागत सुविधाएं जैसे भवन, जल, किताबें, शौचालय को प्रदान करने हेतु योजना तैयार करना एवं ग्राम पंचायत की बैठक में प्रस्तुत करना। • यह सुनिश्चित करना कि किसी भी आपदा के दौरान स्कूल व बच्चों की शिक्षा बिना किसी अवरोध के चलती रहे। • शिक्षा की निरन्तरता बनाये रखने के लिए आपदा–जलवायु जोखिम कम करने के उपाय (स्कूलों में पेयजल की व्यवस्था, वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था, स्कूल तक जाने	• इस समिति का सभापति प्रधान होता है। • 6 अन्य सदस्य (अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला और पिछड़े वर्ग का एक सदस्य अवश्य होगा)। • विशेष आमंत्रित (7 अधिकतम्)

		वाले रास्तों का उच्चीकरण, स्कूल में स्थित जलस्रोतों (टेप या हैण्डपम्पों) का उच्चीकरण, वृक्षारोपण इत्यादि) सुनिश्चित करना। • बच्चों के बीच आपदा के सन्दर्भ में जागरूकता प्रसार हेतु कार्य योजना बनाना व समय–समय पर पोस्टर प्रदर्शनी, पेंटिंग प्रतियोगिता इत्यादि का आयोजन करना। • सुनिश्चित करना कि विद्यालय में होने वाला निर्माण आपदारोधी हो। • यदि स्कूल संबंधित कार्यों में किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो इसकी लिखित रूप में शिकायत बेसिक शिक्षा अधिकारी या सहायक से ही जा सकती है। • पंचायत में गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा हेतु वातावरण का निर्माण करना। • उचित वातावरण निर्माण हेतु विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं शिक्षकों के बीच समन्वय स्थापित करना।	
3	निर्माण कार्य समिति	• गांव में पंचायत द्वारा कराये जा रहे सभी निर्माण काम इस समिति की देखरेख में किये जायेंगे। • यह सुनिश्चित करना कि सड़कें व सम्पर्क मार्ग आल वेदर रोड के तौर पर विकसित हों। • यह सुनिश्चित करना कि गांव में पंचायत द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्य आपदा–जलवायु संवेदी हों जैसे–भूकम्परोधी, जल संरक्षण, जल निकास, उच्चीकरण, वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था इत्यादि। • गाँव में किये जा रहे विकास कार्यों की निगरानी करना और यह सुनिश्चित करना कि वह आपदा के परिप्रेक्ष्य में उचित मानकों के अनुरूप कार्य किये जाये।	• इस समिति का सभापति ग्राम पंचायत द्वारा नामित सदस्य होता है। • 6 अन्य सदस्य (अनुसूचित जाति /जनजाति, महिला और पिछड़े वर्ग का एक सदस्य अवश्य होगा)। • विशेष आमंत्रित (7 अधिकतम)।
4	स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति	• बच्चों एवं माताओं के टीकाकरण हेतु व्यवस्था करना • स्वास्थ्यकर्मी एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्मी के साथ समन्वय स्थापित करना। • बीमारियों की जानकारी एवं कारण पता करना। • साफ–सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करना। • मौसमी बीमारियों से निपटने की तैयारी करना।	• इस समिति का सभापति ग्राम–पंचायत द्वारा नामित सदस्य होता है। • 6 अन्य सदस्य (अनुसूचित जाति /जनजाति, महिला और पिछड़े वर्ग का एक सदस्य अवश्य होगा)। • विशेष आमंत्रित (7 अधिकतम्)।

		• महिला एवं कल्याण योजनाएं क्रियान्वित करना। • पुष्टाहार पर नजर रखना एवं उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करना। • संभावित आपदा पूर्व/दौरान/बाद की स्थितियों के अनुसार एएनएम, आशा और आंगनवाड़ी केन्द्र के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर योजना बनाना और दवाइयों का स्टॉक तैयार करना। • आपदा के दौरान हेल्थ कैम्प आयोजित करना। • प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना। • कोई महामारी फैल रही है तो उस परिस्थिति से निपटने की तैयारी करना। • एएनएम/आशा और आंगनवाड़ी कार्यकत्री के माध्यम से नाजुक समूहों (गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं, वृद्धों, बच्चों, दिव्यांग जनों) की सूची तैयार करना। • कोरोना से बचाव के उपायों पर जानकारी प्रसारित करना। • गाँव में ऐसे स्थानों को चिन्हित करना जहां आवश्यकता पड़ने पर कोरोना के लक्षण वाले लोगों को अलग से रखा जा सके। • मानसून पूर्व सभी पशुओं का टीकाकरण सुनिश्चित करना। • स्वास्थ्य सम्बन्धी नियोजन करना।	
5	प्रशासनिक समिति	• राशन की दुकान से सही वितरण पर नजर रखना। • सरकारी सस्ते–गल्ले की दुकानों पर राशन व अन्य बस्तुओं का पर्याप्त स्टाक मानसून पूर्व सुनिश्चित करना। • यह सुनिश्चित करना कि सरकारी सस्ते–गल्ले की दुकानों से मानसून पूर्व राशन व किरोसिन तेल का वितरण हो जाये। • बाढ़ शरण स्थल के लिए ऊंचे स्थान का चयन करना। • ग्राम पंचायत को स्थानान्तरित किये गये कर्मचारियों की निगरानी करना। • गांव में व्यवस्था बनाये रखना। • हाट, बाजार व मेला पर टैक्स लगाना। • गाँव में होने वाले सामाजिक आयोजनों, हाट, बाजार व मेला में एक मीटर की	• इस समिति का सभापति ग्राम पंचायत द्वारा नामित सदस्य होता है। • 6 अन्य सदस्य (अनुसूचित जाति /जनजाति, महिला और पिछड़े वर्ग का एक सदस्य अवश्य होगा)। • विशेष आमंत्रित (7 अधिकतम्)।

		शारीरिक दूरी का पालन किया जाना सुनिश्चित कराएं।	
6	जल प्रबन्धन समिति	• शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना। • व्यक्तिगत व सामुदायिक (क्वारंटाइन सेन्टरों, आगनवाड़ी सेन्टर, स्कूल, बाढ़ शरण स्थल) में स्वच्छ पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा साफ–सफाई की व्यवस्था करना। • पुराने हैण्ड पम्प का रखरखाव करना। • हैण्डपम्पों को सुरक्षित करना जैसे–हैण्डपम्पों की मरम्मति, चापाकल को उंचा करना, उंचा पक्का चबूतरा बनवाना, विसंक्रमण करना आदि। • लघु सिंचाई की व्यवस्था करना। • जल निकास की व्यवस्था करना। • मानसून मौसम के पूर्व रेगुलेटरों, नहरों, की साफ–सफाई, रखरखाव आदि सुनिश्चित करने हेतु विभाग से निरन्तर सम्पर्क करना। • जल स्रोतों की सूची तैयार करना व उनके बेहतर प्रबन्धन हेतु पंचायतों को सुझाव देना। • जल से सम्बन्धित समस्याओं के लिए नियोजन करना।	• ग्राम पंचायत द्वारा नामित सदस्य –सभापति /अध्यक्ष। • 6 अन्य सदस्य (अनुसूचित जाति /जनजाति, महिला और पिछड़े वर्ग का एक सदस्य अवश्य होगा)। • विशेष आमंत्रित (7 अधिकतम्)।

आपदा प्रबन्धन के दृष्टिकोण से उपरोक्त समितियों में विशेष आमंत्रित सदस्यों के रूप में गाँव में मौजूद विशिष्ट विशेषताओं वाले व्यक्तियों जैसेः तैराक, चालक, नाविक, डाक्टर, सेना, शिक्षण संस्थान से जुड़े लोगों इत्यादि को भी शामिल करें और उनकी विशिष्ट विशेषताओं/ कौशल के अनुरूप उन्हें सम्बन्धित समितियों में रखें। आमन्त्रित सदस्य के रूप में ऐसे व्यक्तियों को वरीयता दें जो पूर्व में आपदा प्रबन्धन सम्बन्धी किसी भी प्रक्रिया में सहभागिता कर चुके हों।

उपरोक्त चर्चा के पश्चात् प्रतिभागियों को बतायें कि–

- उपरोक्त सभी समितियां काफी महत्वपूर्ण हैं।
- पंचायत के सभी विकास कार्य को इन्हीं के माध्यम से सम्पन्न कराये जाने का प्रावधान है।
- पंचायत में एक प्रधान (मंत्री) के अलावा, अन्य विभागों के अलग–अलग प्रमुख (मंत्री) होते हैं जिसका गठन करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि सभी वर्गों की भागीदारी इसमें हो सके।
- अनुभव बताता है कि इन समितियों का गठन तो हो जाता है लेकिन यह अपनी भूमिकाओं को बेहतर ढंग से निर्वहन नही कर पा रही है। इसके तीन कारण देखने को मिलते हैं–
  - ✓ पहला, समितियों के सदस्यों को पता नहीं होता है कि वह किस समिति के सदस्य हैं।
  - ✓ दूसरा, समितियों में सदस्यों को अपनी भूमिका की स्पष्टता नहीं है।
  - ✓ तीसरा, जिन जगहों पर इनका गठन भी हुआ है और भूमिकाओं के बारे में स्पष्टता भी थी, लेकिन वो व्यवहारिक स्वरूप नहीं ले सकीं।

इसलिए ग्राम पंचायत के सही विकास के लिए सर्वप्रथम इन समितियों को सक्रिय करना होगा। वे अपनी भूमिकाओं को समझें और अधिकारों का सही ढंग से उपयोग करें, इसके लिए उनकी तैयारी करानी होगी।

<u>नोट</u> : यहां पर उपरोक्त चर्चा करने के बाद यह बतायें कि उपरोक्त संस्थाओं की ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका है और आगे के सत्रों में योजना निर्माण के विभिन्न चरणों में उनकी भूमिका को भी देखने का प्रयास करेंगे।

उपरोक्त संस्थाओं से जुड़े विभिन्न हितभागियों की भूमिका के अनुसार उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों का विस्तृत विवरण मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) में दिया गया है। **(कृपया सहयोगी दस्तावेज संख्या 1 देखें)**

सत्र : 3

ग्राम पंचायत विकास योजना के प्रमुख घटक एवं चरण

प्रमुख विषय	**प्रमुख घटक/क्षेत्र** • मानव विकास एवं सामाजिक विकास • ढांचागत विकास, पर्यावरणीय मुद्दे एवं आपदा प्रबन्धन • आर्थिक विकास सहित आय एवं रोजगार के साधन • सुशासन एवं समावेशन • व्यक्तिगत एवं सामुदायिक मुद्दे (व्यावहारिक पहलू) **ग्राम पंचायत विकास योजना के पांच चरण** • वातावरण निर्माण • परिस्थिति/वास्तविक स्थिति का विश्लेषण • आवश्यकताओं/समस्याओं की पहचान एवं प्राथमिकता का निर्धारण • संशाधनों का निर्धारण एवं ड्राफ्ट प्लान तैयार करना • तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति
समय	1 घंटा 30 मिनट
प्रशिक्षण की विधि	छोटे समूह में कार्य, बड़े समूह में चर्चा एवं प्रस्तुतीकरण
प्रशिक्षण सामग्री	चार्ट पेपर, मार्कर, पी.पी.टी.

सत्र के उद्देश्य

इस सत्र के अंत तक प्रतिभागियों में:

- विकास के क्रम में प्रायः जिन विषयों को पंचायतों द्वारा छोड़ दिया जाता है, उनके महत्व को स्थापित करने एवं योजना निर्माण में उनको समावेशित करने हेतु लोगों को संवेदित करने जैसे विषयों पर स्पष्टता होगी।
- ग्राम पंचायत विकास योजना के विभिन्न चरणों के बारे में समझ बन जाएगी।

सत्र प्रक्रिया

- प्रतिभागियों की सोच एवं समस्याओं को इन विषयों से जोड़कर उन्हें संवेदित करना जिससे कि वे योजना बनाते समय इन विषयों को प्राथमिकता से शामिल कर सकें।
- ग्राम पंचायत विकास योजना के प्रत्येक चरण पर चर्चा करना जिससे पूरी योजना की प्रक्रिया पर समझ विकसित हो सके। इसके लिए परस्पर संवाद को महत्व दें।

प्रमुख घटक/क्षेत्र

ग्राम पंचायत विकास योजना के पांचो घटकों पर समझ बनाते हुए चर्चा करने के पश्चात यह प्रश्न करें कि विकास में सबकी भागीदारी क्यों आवश्यक है? उनसे कहें कि वे इस बात पर विचार करें कि गांव के विकास के लिए वे कौन–कौन से विषय हैं जिन पर ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण प्रक्रिया में ध्यान दिया जाना आवश्यक होगा। प्रत्येक प्रतिभागी को कार्ड दें और उनसे कहें कि वे अपने द्वारा सोचे गये किसी एक विषय को कार्ड पर लिख दें। इस बीच पांचो घटकों को अलग अलग चार्ट पेपर पर लिखकर दीवाल पर लगा दें। अब प्रतिभागियों से कहें कि उनके द्वारा लिखा गया विषय/मुद्दा/सेक्टर जिस भी घटक के अन्तर्गत आता है, वे उसे उस घटक वाले चार्ट पर लगा दें।

एक बार सभी कार्ड लग जाने के बाद संलग्नक 4 में दिये गये विषयों/मुद्दों से उसका मिलान करें और देखें कि क्या कोई विषय/मुद्दा छूटा है। यदि ऐसा है, तो उन्हें जोड़ते हुए यह प्रश्न पूछें कि क्या गांव में कभी भी इन मुद्दों को लेकर सोचा गया या चर्चा की गयी है। अगर नहीं, तो अब सोचना पड़ेगा। उपरोक्त मुद्दे क्यों आवश्यक है, यह हमें आगे योजना निर्माण के विभिन्न चरणों में देखने को मिलेगा।

प्रतिभागियों को यह बताएं कि ढांचागत आवश्यकताएं यदि जरूरी हैं, पर उपलब्ध नहीं हैं, तो उनकी मांग भी अवश्य आयेगी। एक सहजकर्ता के रूप में ढांचागत आवश्यकताओं के साथ मानव विकास से संबंधित मुद्दों के बीच सामंजस्य स्थापित कर पाना ही एक समग्र विकास की योजना का प्रारूप हो सकता है।

प्रशिक्षक प्रतिभागियों से पूछें कि वे योजना से क्या समझते हैं। उनके उत्तरों को समेकित करते हुए बतायें कि योजना क्या है– योजना उपलब्ध संसाधनों के आधार पर स्थानीय आवश्यकताओं एवं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए निश्चित समय सीमा के अन्दर लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया का दस्तावेज है।

योजना के प्रमुख घटक निम्नवत् हैं–

- उद्देश्य
- समय सीमा
- सबकी भागीदारी
- पारदर्शी
- समावेशी

राष्ट्रीय और राज्य के दिशा–निर्देश के अनुसार योजना निर्माण के लगभग 10 चरण प्रस्तावित हैं, जिसमें तीन बार ग्राम सभा की बैठक एवं 2 बार ग्राम पंचायत की बैठक का उल्लेख है, परन्तु योजना निर्माण की समझ को आसान बनाने के लिए यहां पर मुख्यतः 5 चरणों की चर्चा की जायेगी जिसमें सारी बैठक निहित है।

प्रतिभागियों को बतायें कि चरणबद्ध योजना निर्माण के निम्न पांच मुख्य चरण हैं :

- वातावरण निर्माण (ग्राम सभा का आयोजन कर)
- परिस्थिति विश्लेषण
- आवश्यकताओं/समस्याओं की पहचान एवं प्राथमिकताओं का निर्धारण (ग्राम सभा का आयोजन कर)
- ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए संसाधनों का निर्धारण एवं ड्राफ्ट प्लान का विकास
- तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति (ग्राम सभा का आयोजन कर)

नोट : उक्त पांच चरणों में आवश्यकतानुसार ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जा सकती है। प्रतिभागियों को बतायें कि अगले सत्र में हम इन चरणों पर विस्तार से समझ बनायेंगे।

सत्र 4

पहला चरण : वातावरण निर्माण

प्रमुख विषय	• राज्य स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक वातावरण निर्माण हेतु की जाने वाली गतिविधियों पर चर्चा • पंचायत स्तर पर जलवायु परिवर्तन, आपदाओं एवं उनके प्रभावों के सन्दर्भ में चर्चा
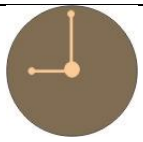 समय	2 घंटा
प्रशिक्षण की विधि	छोटे समूह में चर्चा एवं प्रस्तुतीकरण
प्रशिक्षण सामग्री	पी.पी.टी./कार्ड लेखन, मेटा कार्ड, मार्कर, हैण्डआउट

सत्र के उद्देश्य

इस सत्र के अन्त तक प्रतिभागियों में

- ग्राम पंचायत विकास योजना हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर की जाने वाली गतिविधियों के द्वारा वातावरण निर्माण पर समझ विकसित हो जायेगी एवं योजना निर्माण में इसके महत्व एवं भागीदारी पर समझ बन जायेगी।
- पंचायत स्तर पर घटित होने वाली आपदाओं, जलवायु में हो रहे बदलावों एवं उसके प्रभावों के सन्दर्भ में समझ विकसित की जायेगी।
- यह समझ विकसित की जायेगी कि किस तरह से जलवायु परिवर्तन और आपदाएं विकास के प्रयासों को व नाजुक समूहों को प्रभावित करती हैं।
- यह समझ बन जाएगी कि गांव की विकास योजना बनाते समय आपदाओं व उनके जोखिमों को ध्यान में रखते हुए योजना बनाना आवश्यक होगा।
- यह समझ बन जाएगी कि समुदायों को जी.पी.डी.पी. में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन–आपदा जोखिम न्यूनीकरण को समावेशित करने की आवश्यकता के बारे में कैसे जागरूक किया जाये ताकि उनके गांवों को जलवायु और आपदा प्रभावों के लिए प्रतिरोधी बनाया जा सके।

सत्र प्रक्रिया

ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण से पहले यह आवश्यक है कि गांव में व उसके प्रत्येक टोले में समुदाय के बीच योजना के निर्माण हेतु एक माहौल बनाया जाय ताकि योजना निर्माण की पूरी प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके एवं समुदाय पूर्ण रूप से इस प्रक्रिया में अपना सहयोग दे सके।

सत्र की शुरूआत ब्रेनस्टार्मिंग के साथ करें और सबसे पहले **प्रतिभागियों से पूछें कि**

- वातावरण निर्माण से प्रतिभागी क्या समझते हैं?
- प्रतिभागियों को इस शब्द को परिभाषित करने के लिए प्रेरित करें तथा उनके विचारों को संक्षिप्त रूप में बोर्ड पर साफ और बड़े अक्षरों में नोट करें।

नोट :
यदि आपके पास फिल्म (आदर्श ग्राम हिवरे बाजार) है तो, इस सत्र की शुरूआत फिल्म से करें, अन्यथा निम्नवत् प्रक्रियाओं का पालन करें।

प्रतिभागियों को बताएं कि

- किसी भी आपदा के सन्दर्भ में पहला रिस्पाण्डर समुदाय ही होता है। अतः आपदाओं से निपटने और इसके लिए वांछित तैयारी में समुदाय की भागीदारी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है।
- विगत सत्रों से हमारी ये समझ बन चुकी है कि ग्राम विकास की सभी जरूरतों का चिन्हांकन और समाधानों का चयन स्थानीय स्तर पर समुदाय की भागीदारी की मांग करता है।
- विकेन्द्रीकृत नियोजन के लिए भी समुदाय के विचारों और सुझावों की जरूरत है।

  यहां पर यह अवश्य बताएं कि वातावरण निर्माण से पहले टास्क फोर्स प्रशिक्षण के बाद प्रधान सहित ग्राम पंचायत तथा सभी विभागों के पंचायत कर्मियों के साथ बैठक करके पूरी प्रक्रिया को साझा करेगा तथा ग्राम सभा की बैठक बुलाकर वातावरण निर्माण हेतु प्रक्रिया की शुरूआत करेगा अथार्त् वातावरण निर्माण की प्रक्रिया ग्राम सभा की बैठक के साथ शुरू होगी।

  प्रतिभागियों से चर्चा करें कि किस प्रकार की गतिविधियों को करके सभी वर्गों की सहभागिता सुनिश्चित की जा सकती है। उसके बाद प्रस्तुतीकरण के माध्यम से संभावित वातावरण निर्माण की गतिविधियों एवं गतिविधियों के दौरान चर्चा की जाने वाली विषय वस्तु (ग्राम पंचायत विकास योजना के उद्देश्य, जलवायु प्रेरित आपदाओं, जलवायु और आपदा जोखिमों के प्रभावों, जीपीडीपी योजना में जलवायु परिवर्तन और डीआरआर की प्रासंगिकता इत्यादि) पर विस्तार से चर्चा करें (***पठन सामग्री–2 का सन्दर्भ लें***)। इस हेतु प्रशिक्षक निम्न गतिविधियों पर चर्चा कर सकते हैं–
  - गाँव में खुली बैठक **(पठन सामग्री 1.3.1)**
  - समूह चर्चा (विभिन्न वर्गों के साथ) **(पठन सामग्री 1.3.2)**
  - जलवायु परिवर्तन व आपदाओं के प्रति जागरूकता (नुक्कड़ नाटक, बैनर, पोस्टर, गीत–संगीत आदि के माध्यम)

नोट : उपरोक्त गतिविधियां केवल सुझावात्मक है। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अन्य गतिविधियों का भी चुनाव कर सकते हैं।

पठन सामग्री

1 वातावरण निर्माण

1.1 उद्देश्य

ग्राम सभा के सभी सदस्यों तक जलवायु परिवर्तन व आपदा जोखिम सूचित ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.) निर्माण की सूचना पहुंचाना जिससे कि–

- नियोजन की प्रक्रिया में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित हो।
- निर्णय लेने में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।
- समुदाय के सभी वर्गों विशेषतः वंचित वर्गों (अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विकलांग/महिला/ पुरूष) की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।
- समुदाय के लोगों में जलवायु परिवर्तन, आपदाएं व उनसे पड़ने वाले प्रभावों के बारे में समझ बनायी जा सके।
- समस्या ग्रस्त व्यक्ति/समुदाय की नजर उपयुक्त समाधानों/अनुकूलन विकल्पों पर पड़ सके।

1.2 उपयुक्त वातावरण निर्माण के लाभ

- योजना निर्माण की पूरी प्रक्रिया में समुदाय की सक्रिय भागीदारी से सही नियोजन की संभावनाएं बढ़ती हैं।
- स्थानीय लोगों विशेषकर वंचित समुदाय के दृष्टिकोण से समस्याओं और समाधानों के अधिक विकल्प सामने आने की संभावना बढ़ जाती है।
- योजना निर्माण के आगे के चरण आसान हो जाते हैं।
- समुदाय में जलवायु परिवर्तन व आपदा जोखिम सूचित ग्राम पंचायत विकास योजना की पूरी प्रक्रिया के प्रति स्वामित्व का भाव जागृत होता है।
- पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों के अलावा समुदाय के युवा, वंचित वर्ग, महिला, विकलांग, समुदाय आधारित संगठन, हाशिए पर खड़े व्यक्ति तथा धार्मिक प्रतिनिधि भी महत्वपूर्ण भूमिका में आ जाते हैं।
- समुदाय की यह समझ विकसित होती है कि सिर्फ सरकार या ग्राम पंचायत हर समस्या का समाधान नहीं कर सकती, बल्कि विकास में उनका भी महत्वपूर्ण योगदान/भागीदारी आवश्यक है।
- व्यक्ति/समुदाय यह समझता है कि कई समस्याएं उनके अपने दृष्टिकोण तथा व्यवहार के कारण है, और अपने दृष्टिकोण/व्यवहार को बदल कर उस समस्या को खत्म किया जा सकता है। उदाहरणतः भ्रूण हत्या, मातृ एवं नवजात शिशु मृत्यु, कुपोषण, बाल–विवाह, बाल श्रम, घरेलू हिंसा आदि। इसी प्रकार आपदाओं एवं उसके प्रभाव के सन्दर्भ में भी समुदाय की यह समझ विकसित होती है कि जलवायु परिवर्तन के सन्दर्भ में कुछ समस्याएं उनके द्वारा की गयी असंगत गतिविधियों के कारण हैं, जिन्हें उपयुक्त दृष्टिकोण अपनाकर दूर किया जा सकता है। जैसे– तालाब एवं जल निकास मार्गों का अतिक्रमण, जिससे जल–जमाव का क्षेत्र एवं अवधि बढ़ती जा रही है।

1.3 वातावरण निर्माण हेतु गतिविधियां

1.3.1 गाँव में खुली बैठक

वातावरण निर्माण की इस प्रक्रिया में प्रधान अथवा वार्ड सदस्य सहजकर्ता/सुगमकर्ता की भूमिका में आकर समुदाय के साथ एक खुली बैठक करेंगे, जहां वे ग्राम पंचायत विकास योजना के उद्देश्यों को स्पष्ट करेंगे। बैठक के दौरान जलवायु परिवर्तन व आपदा प्रबन्धन की महत्ता एवं उपयोगिता पर भी समुदाय के साथ चर्चा की जायेगी। इसी क्रम में समुदाय के साथ यह भी जानने का प्रयास किया जायेगा, कि गांव में कौन–2 सी आपदाएं आती हैं और उससे क्या–2 हानि होती है? उस हानि के सापेक्ष सरकार, अन्य संस्थाओं एवं बाहरी लोगो से क्या–2 मदद मिलती है? क्या इस मदद से होने वाले नुकसान की भरपाई हो पाती है?

चर्चा के बिन्दु

- ✓ क्षेत्र/जिला/गांव में वर्तमान और भविष्य की जलवायु प्रेरित आपदाओं के बारे में चर्चा करें।
- ✓ समुदाय के लोगों को आपदा व उससे पड़ने वाले प्रभावों के बारे में बताएं।
- ✓ गांव के लोगों से यह समझने का प्रयास करें कि उनके ऊपर आपदा का क्या प्रभाव पड़ता है।
- ✓ गांव के विकास पर जलवायु और आपदा जोखिमों का क्या प्रभाव पड़ता है।
- ✓ विगत समय में आयी हुई आपदाओं का जिक्र करते हुए उससे हुई जान–माल की क्षति को जानने का प्रयास करें।
- ✓ समुदाय में हुए नुकसान के सापेक्ष किसी भी संस्थान से सहायता के रुप में क्या प्राप्त हुआ है, यह जानने का प्रयास करें।
- ✓ इस बात पर चर्चा करें कि किस तरह आपदाएं उनकी सुविधाओं व सेवाओं को प्रभावित करती हैं।
- ✓ यह भी समझने का प्रयास करें कि गांव की विकास योजना बनाते समय आपदाओं व उनके जोखिमों को समझना क्यों आवश्यक है।
- ✓ आपदाओं से हाने वाले नुकसान को कम करने हेतु समुदाय द्वारा किए गये प्रयासों को भी समझने का प्रयास करें।
- ✓ जीपीडीपी योजना में जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण की प्रासंगिकता पर चर्चा करें।

1.3.2 समूह चर्चा (विभिन्न वर्गों के साथ)

वातावरण निर्माण की इस प्रक्रिया में टास्क फोर्स के सदस्य गांव में विभिन्न वर्गों यथा– महिला समूहों, दलित वर्ग, युवा वर्ग आदि के साथ छोटे–छोटे समूहों में चर्चा करेंगे और उन्हें ग्राम पंचायत विकास योजना के उद्देश्यों और उसके तहत् की जाने वाली पूरी प्रक्रिया से अवगत करायेंगे। चर्चा के दौरान आपदा प्रबन्धन की महत्ता एवं उपयोगिता पर भी चर्चा की जायेगी। इसी क्रम में यह भी जानने का प्रयास किया जायेगा कि उन वर्ग विशेष पर आपदाओं का विशेष प्रभाव क्या पड़ता है।

ध्यान रखें

- ☞ खुली बैठक हेतु स्थान, तिथि एवं समय का निर्धारण पहले से ही कर लिया जाये।
- ☞ बैठक में भाग लेने वाले लोगों को पहले से ही सूचना दे दी जाये।
- ☞ खुली बैठक हेतु ऐसे स्थान का चयन करें जहां लोग आसानी से पहुँच सकें।
- ☞ समुदाय के प्रत्येक वर्ग (जाति, धर्म, आयु, लिंग, स्थानिक विशेष) की सहभागिता सुनिश्चित की जाये।
- ☞ सभी लोगों को सम्मान दें व उनकी बातों को ध्यान से सुनें।
- ☞ बैठक में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात कहने का मौका दें।
- ☞ इस बात का ध्यान रखें कि लोगों का विषय से भटकाव न हो।

1.3.3 जागरूकता अभियान

इसके साथ ही आवश्यकतानुसार ग्राम पंचायत विकास योजना के उद्देश्यों और आपदा प्रबन्धन की उपयोगिता एवं आवश्यकता पर नुक्कड़ नाटक, बैनर, पोस्टर, दीवाल लेखन, गीत–संगीत आदि के माध्यम से जागरूकता अभियान भी चला कर उपयुक्त वातावरण निर्माण किया जा सकता है।

2. गतिविधियों के दौरान चर्चा हेतु विषय वस्तु

2.1 ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.) "हमारी योजना हमारा विकास" का उद्देश्य

ग्राम पंचायतों के समग्र एवं समेकित विकास हेतु ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.) "हमारी योजना हमारा विकास" की प्रक्रिया को प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में वर्ष 2015–16 से लागू किया गया है। ग्राम पंचायतों द्वारा सहभागी नियोजन से तैयार की गई वार्षिक कार्ययोजना, संसाधनों के बेहतर प्रबंधन एवं विभिन्न संसाधनों के अभिसरण (कनवर्जेन्स) पर आधारित है।

ग्राम पंचायतो की विकास योजना का उद्देश्य ग्राम पंचायतो को सामाजिक, आर्थिक एवं वैयक्तिक विकास की दिशा में प्रगतिशील करना एवं समुदाय को निर्णय लेने में सक्षम बनाना है।

- **ग्राम पंचायत विकास योजना क्यों**
  1. ग्राम पंचायतों में सभी का एक समान सामाजिक, आर्थिक एवं वैयक्तिक विकास करना।
  2. समुदाय को निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाना।
  3. विकास कार्यो में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्वों में बढ़ोत्तरी।
  4. सहभागी नियोजन एवं संसाधनों के अभिसरण को बढ़ावा।
  5. वंचित वर्गो की आवश्यकता के साथ सामाजिक सुरक्षा को प्रमुखता से सम्मिलित करते हुए अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति के कल्याण को प्राथमिकता।
  6. नियोजन की प्रक्रिया को मांग आधारित बनाना।

- **जोखिम सूचित ग्राम पंचायत विकास योजना का औचित्य**

  ग्राम पंचायत विकास योजना को जोखिम सूचित योजना बनाने के पीछे तात्पर्य यह है कि गांव के समग्र विकास के साथ साथ वहां होने वाली आपदाओ के जोखिमों को भी कम किया जा सके। उत्तर प्रदेश जैसे आपदा प्रवण राज्य में गांव की आपदाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी ग्राम पंचायत के लिए एक ऐसी विकास योजना का निर्माण किया जाना आवश्यक होगा, जिसमें आपदा की पहचान, खतरा पैदा होने के स्थान का चित्रण, क्या करना होगा, किस पर कितनी जिम्मेदारी, खतरा टालने के उपाय क्या होगे, उपलब्ध संसाधनों का आकलन, वैकल्पिक स्थानों की सूची राहत एवं बचाव, जन सहयोग, एकजुटता का निर्माण, पुर्नस्थापन, भोजन की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, खतरे की सूचना, सुरक्षित स्थानों की जानकारी इत्यादि का समावेश हो। उक्त वर्णित बिंदुओं के अतिरिक्त वर्तमान परिवेश में ग्राम स्तर पर कोविड 19 रोकथाम के उपायों को भी अपनाया जाना चाहिए एवं इसके प्रति लोगों को संवेदित किया जाना चाहिये।

  उपरोक्त वर्णित आपदाओं, उनसे उत्पन्न जोखिमों एवं कोविड 19 के रोकथाम से सम्बंधित बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत जोखिम सूचित विकास योजना का निर्माण करे तभी यह योजना ग्राम के विकास के साथ–साथ आपदाओं के प्रभाव को भी कम करने में सक्षम होगी।

2.2 मौसम व जलवायु के बारे में सामान्य समझ

- **मौसम क्या है?**
  1. मौसम किसी स्थान के समय विशेष की समस्त वायुमण्डलीय दशाओं को बताता है।
  2. मौसम कम समयावधि वाला एवं बदलते रहने वाला होता है साथ ही इसका प्रभाव क्षणिक होता है।
  3. मौसम, समय विशेष की वायुमण्डल की सभी दशाओं का सूचक होता है।
- **जलवायु क्या है?**
  1. किसी क्षेत्र या प्रदेश की औसत सामान्य वायुमण्डलीय दशा को जलवायु कहते हैं।

2. यह वायुमण्डल के सभी तत्त्वों – ताप, वर्षा, आर्द्रता, वायुमण्डलीय दबाव, बादल तथा अन्य मौसमी दशाओं की लम्बी अवधि (30 वर्ष) का एक औसत होता है।
3. इसमें परिवर्तन धीमी गति से होता है, जो एक लम्बे समय के बाद महसूस किया जाता है।
4. वैश्विक स्तर पर किसी क्षेत्र के जलवायु के निर्धारण के लिए कम से कम 30 वर्षों या इससे अधिक के आंकड़ों का औसत लिया जाता है।

- **मौसम एवं जलवायु में अंतर**

1. हम हर रोज मौसम एवं जलवायु के बारे में सुनते, पढ़ते या उसके बारे मे चर्चा करते रहते हैं। सामान्य तौर पर अधिकांश लोग अपनी सामान्य बातचीत में प्रायः मौसम तथा जलवायु शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ मे करते रहते हैं, परंतु इन दोनों ही शब्दों के अर्थ में व्यापक अंतर होता है।
2. **मौसम :** मौसम से तात्पर्य घंटे दर घंटे वातावरण की प्रतिदिन की स्थिति से है। यह अल्प अवधि में परिवर्तित होता रहता है या हो सकता है।
3. **जलवायु** : जलवायु शब्द से तात्पर्य है कि वह किसी भी स्थान विशेष में लंबी अवधि के औसत मौसम की स्थिति को दर्शाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किसी स्थान की जलवायु की विशेषता का निर्धारण उस स्थान की कम से कम 25 से 30 वर्षों के मौसम के आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर किया जाता है। परंतु ऐसा नहीं है कि जलवायु अपने आप में स्थिर है। इसके अंतर्गत भी उतार–चढ़ाव होते रहते हैं। सामान्य रूप में जलवायु परिवर्तन से तात्पर्य लंबी अवधि के दौरान (हजारों वर्षों की अवधि) जलवायु दशा में परिवर्तन से है।

2.3 जलवायु परिवर्तन

जलवायु दीर्घकालिक रुप में परिवर्तनशील होती है। जलवायु में परिवर्तनशीलता कई वर्षों के बाद अनुभव की जाती है। एक लम्बी अवधि के औसत से ऊपर या नीचे उतार–चढ़ाव को जलवायु में परिवर्तनशीलता के रुप में देख सकते हैं। इसे हम सामान्यतः उस तरह से महसूस नहीं कर सकते जैसे मौसम के बदलाव को महसूस करते हैं। जैसे कि अगर कोई कहता है कि पिछले कुछ वर्षों से जाड़े की अवधि कम होने लगी है या जाड़ा पहले की अपेक्षा कम पड़ रहा है या वर्षा होने के समय में बदलाव आया है, तो यह जलवायु परिवर्तन के संकेत हैं। जलवायु में परिवर्तन हेतु कुछ भौतिक तत्वों के अलावा मानवीय क्रियाएं सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती हैं।

मौसम परिवर्तनशीलता

किसी स्थान के किसी समय विशेष में होने वाले मौसम की सामान्य दशा में परिवर्तन को मौसम परिवर्तनशीलता कहते हैं, जो सामान्यतः बार–बार नहीं होता है। जैसे किसी वर्ष मानसून के मौसम में सामान्य वर्षा से कम या अधिक वर्षा होना मौसम की परिवर्तनशीलता को दर्शाता है।

2.4 जलवायु परिवर्तन के प्रभाव

जलवायु परिवर्तन के कारण इसका स्वरूप एवं प्रभाव स्थान, क्षेत्रों, समुदायों, परिवारों तथा व्यक्तियों के संदर्भ में भिन्न–भिन्न रूपों में पड़ता है। उत्तर प्रदेश राज्य भी इस उभरती समस्या से अछूता नहीं है। पिछले

मौसम को तय करने वाले मानकों में वर्षा, सूर्य का प्रकाश, हवा, नमी व तापमान प्रमुख है। जैसे – कल का दिन बहुत ठण्डा तथा कोहरायुक्त था। आज का मौसम कल की अपेक्षा कुछ गर्म है तथा आकाश साफ है। यह परिस्थिति उस स्थान की मौसम दशा को दर्शाता है।

कुछ दशकों में राज्य में मौसम संबंधी खतरों जैसे बाढ़, सूखा, शीत लहर, भारी वर्षा आदि की आवृति बढ़ी है, जिसने न केवल लोगों के जीवन को बल्कि राज्य के विकास को भी प्रभावित किया है। उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव तेजी से दिखाई पड़ रहे हैं तथा इसने कृषि एवं उससे संबंधित गतिविधियों को कई रूपों में प्रभावित किया हैं। हर मौसम में इसके स्वरूप बदल रहे हैं, जैसे मानसून के दौरान 10 से 20 दिनों तक मौसम का शुष्क होना, कम समय में अधिक वर्षा का होना, छोटी नदियों में जल धारण क्षमता कम होने के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होना, सर्दियों के मौसम में गर्म हवाओं का चलना आदि देखे जा रहे हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में तो वर्षा की अनिश्चितता के कारण जलभराव की स्थिति में वृद्धि हुई है। जबकि बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों में औसत वर्षा की मात्रा में लगातार कमी होने से प्रत्येक साल सूखा की स्थिति बनती जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप यहां की फसलों और लोगों की आजीविका संकट में पड़ती जा रही है।

जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को हम निम्न रुपों में देख सकते हैं–

1. कृषि पर प्रभाव

- मानसून की अनिश्चितता के कारण फसल उत्पादन में गिरावट।
- तापमान वृद्धि के साथ–साथ सूखा व बाढ़ में बढ़ोत्तरी के कारण फसल उत्पादन में गिरावट।
- सिंचाई हेतु पानी की उपलब्धता में कमी।
- पीने योग्य पानी की उपलब्धता में कमी।
- तापमान बढ़ने से मिट्टी की नमी व कार्य क्षमता पर प्रभाव।
- पशुओं के दुग्ध उत्पादन व प्रजनन क्षमता पर प्रतिकूल असर।
- रोग व कीटाणुओं के प्रकोप में वृद्धि जिससे उत्पादन में गिरावट।

2. संसाधनों पर प्रभाव

- बाढ़, सूखा, भारी वर्षा आदि की आवृति बढ़ने से स्थानीय बुनियादी संरचनाओं के नष्ट होने अथवा क्षतिग्रस्त होने की घटनाओं में वृद्धि।
- तापमान बढ़ने से जंगलों में आग की घटनाओं में वृद्धि।
- जंगल पर आधारित आजीविका प्रभावितः जैसे महुआ, चिरौंजी, तेंदू पत्ता, पलाश पत्ता जैसे उत्पादों में तापमान की विविधता और असामान्य वर्षा से कमी।
- मिट्टी में लवणता की मात्रा में वृद्धि। परिणामतः मिट्टी की उत्पादकता में कमी जिससे कृषि उत्पादन पर विपरीत प्रभाव।
- भूमिगत जल स्तर तेजी से नीचे गिरना।
- प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन से पारिस्थितिक तन्त्र पर प्रतिकूल प्रभाव।

2.5 जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न आपदाएं

जब जलवायु में बदलाव होता है तो उसके प्रभाव भी सामने आते हैं, जो विभिन्न आपदाओं के रुप में हमारे सामने आ रहे हैं। अपने प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो यहाँ जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरुप दो प्रमुख आपदाएं आती हैं, जिनका प्रभाव पूरे प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों को झेलना पड़ता है।

- **बाढ़**

  जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न बाढ़ एक बड़ी आपदा के रुप में हमारे समक्ष है। उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है और यहां बहुसंख्यक आबादी की आजीविका खेती ही है। विगत दो दशकों में बाढ़ की प्रवृत्ति, क्रम, स्वरुप व प्रभाव में क्रमशः परिवर्तन हुआ दिख रहा है–

  ✓ नये क्षेत्रों में बाढ व जल जमाव का खतरा बढ़ा है।
  ✓ आकस्मिक बाढ़ की घटनाओं में वृद्धि हुई है।
  ✓ छोटी नदियाँ भी अब विकराल रुप ले रही हैं।
  ✓ व्यापक पैमाने पर धन–जन की हानि हो रही है।
  ✓ नतीजतन जलवायु में हो रहे बदलाव ने बाढ़ को आपदा का रुप दे दिया है जिसका मानव जीवन, उसके विभिन्न आर्थिक क्रिया–कलापों एवं गांव के समग्र विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

- **सूखा**

  जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न दूसरी बड़ी आपदा सूखा है। पृथ्वी का तापमान तेजी से बढ़ रहा है लिहाजा सतही जल तेजी से वाष्प बन जा रहा है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से वर्षा के क्रम में आये परिवर्तन से प्राकृतिक जल स्रोत सूख रहे हैं। परिणामस्वरुप एक बड़ा भू–भाग सूखे की आपदा से त्रस्त है। सूखे के प्रभाव को हम निम्न रुपों में देख सकते हैं–

  ✓ प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना
  ✓ मिट्टी में आर्द्रता की कमी
  ✓ भूमिगत जल स्तर का तेजी से गिरना।
  ✓ वृक्ष, जीव–जन्तु के जीवन, उनकी वृद्धि, गर्भधारण एवं दुग्ध, मांस एवं ऊन उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है जिससे उनकी मात्रा एवं गुणवत्ता प्रभावित हो रही है।

2.6 जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण

जलवायु परिवर्तन हम सभी के लिए एक खतरा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम इन खतरों से अपने आपको को अनुकूलित न कर सके या उसके प्रभावों को कम न कर सके । हम आपदा प्रबंधन की गतिविधियों के अंतर्गत आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं जलवायु अनुकूलन के उपायों को अपना कर काफी हद तक उनके प्रभावों को कम कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन व आपदा प्रबंधन के संदर्भ में यह दोनों ही शब्दावली एक दूसरे के पूरक के रूप में प्रयोग की जाती हैं, परंतु इसके अर्थ मे अंतर पाया जाता है।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण से तात्पर्य मानव द्वारा अपनायी गयी उन गतिविधियों से है जिसका मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न आपदा के कारणों को समझना, निपटारा करना तथा जलवायु परिवर्तन के वर्तमान एवं संभावित प्रभावों को कम करना है। जबकि जलवायु परिवर्तन अनुकूलन का अर्थ जलवायु परिवर्तन से किसी क्षेत्र की जलवायु में हो रहे वास्तविक व संभावित परिवर्तनों के अनुरूप अपने आपको उस स्थिति में ढालने से है। अतः समुदाय को उपरोक्त दोनों उपायों के प्रति सजग करना आवश्यक है।

सत्र 5

दिन भर की सीख

प्रमुख विषय	दिन भर की गतिविधियों पर प्रश्नोत्तर एवं दूसरे दिन की गतिविधियों पर चर्चा
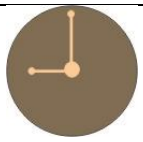 समय	1 घंटा
प्रशिक्षण की विधि	बड़े समूह में चर्चा
प्रशिक्षण सामग्री	मार्कर, चार्ट पेपर

सत्र के उद्देश्य

इस सत्र के अंत तक प्रतिभागी:

- दिन भर की गतिविधियों का पुनरावलोकन करते हुए उसे दूसरे दिन के विषयों के साथ जोड़कर देख पाने में सक्षम होंगे।

सत्र प्रक्रिया

- खुले सत्र के माध्यम से प्रतिभागियों के प्रश्नों का समाधान करें।
- दूसरे दिन के विषयों से परिचित करायें।

पहले दिन के सत्र का समापन।

दिवस : 2

दिवस–2

सत्र : 1

दूसरा चरण : परिस्थिति विश्लेषण

प्रमुख विषय	पी.आर.ए. टूल्स का प्रयोग • सर्वे • ट्रांजेक्ट वाक (ग्राम भ्रमण) • सामाजिक मानचित्रण • खतरा, जोखिम, नाजुकता और क्षमता आकलन (एच.आर.वी.सी.ए.) की समझ
समय	2 घंटा
प्रशिक्षण की विधि	व्यक्तिगत, जोड़ों में परिचय या प्रस्तुतीकरण के माध्यम से
प्रशिक्षण सामग्री	पंजीकरण प्रपत्र, पेन, मार्कर, चार्ट पेपर, मेटा कार्ड

सत्र के उद्देश्य

इस सत्र के अंत तक प्रतिभागी:

- विभिन्न पी.आर.ए. टूल्स के माध्यम से ग्राम पंचायत की वास्तविक स्थिति निकालने पर समझ विकसित कर पायेंगे।
- खतरा, जोखिम, नाजुकता और क्षमता आकलन (एच.आर.वी.सी.ए.) पर समझ बना पायेंगे।

परिस्थिति विश्लेषण

समुदाय में लोग उन परिस्थितियों से अच्छी तरह वाकिफ होते हैं जो उनके जीवन को प्रभावित करती रही हैं। परिस्थिति विश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मुद्दों और समुदाय की जरूरतों व उन कमियों की पहचान की जाती है जहां हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। परिस्थिति विश्लेषण ग्राम पंचायत के विकास की स्थिति का आकलन करने की बात करता है। मुख्य रूप से विभिन्न विकास मुद्दों पर ग्राम पंचायत के मौजूदा परिदृश्य का आकलन करना आवश्यक है। यह बुनियादी सुविधाओं तथा सुविधाओं और सेवाओं में कमी पर बुनियादी जानकारी भी प्रदान करता है और साथ ही साथ भविष्य के विकास की क्षमता भी प्रदान करता है। यह विश्लेषण ग्राम पंचायत विकास योजना में शामिल किए जाने वाले मुद्दों के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित करने के आधार के रूप में कार्य कर सकता है।

जहां एक तरफ गांव के समग्र विकास के लिए गांव की स्थिति को जानना सबसे आवश्यक है, वहीं यह जानना भी आवश्यक है कि गांव विगत वर्षों में किस तरह की आपदाओं को झेलता रहा है या आने वाले समय में किस तरह की जलवायु संबंधी आपदाओं के बढ़ने की संभावना है। इस के अतिरिक्त परिस्थिति विश्लेषण में यह भी जानना जरूरी है कि ग्राम पंचायत स्तर पर वर्तमान एवं भावी आपदाओं का उनके जीवन, आजीविका और गांव के संसाधनों पर क्या प्रभाव पड़ा है या पड़ेगा। ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने से पूर्व आवश्यक है कि वहां का परिस्थिति विश्लेषण आपदा के परिप्रेक्ष्य में भी किया जाय जिसके आधार पर ही ग्राम पंचायत विकास योजना हेतु कार्यों का निर्धारण किया जाय।

यहां पर यह चर्चा करें कि गांव की वास्तविक स्थिति जानने के लिए हमें कहां–कहां से सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं और सूचनाएं क्यों जरूरी हैं? इसके साथ ही साथ आपदा जोखिम के नजरिए से भी कुछ सूचनाओं का संग्रह करना आवश्यक होगा। जो भी उत्तर आये उसको बोर्ड पर लिखें। उसके बाद उसको समेकित करते हुए यह बतायें कि सूचनाएं दो तरह से प्राप्त की जा सकती हैं।

- ✓ **द्वितीयक आंकड़े**
- ✓ **प्राथमिक आंकड़े**

द्वितीयक आंकड़े

द्वितीयक आंकड़े विश्वस्त सूत्रों से जैसे– जनगणना रिकार्ड, पंचायत, खण्ड विकास कार्यालय, ग्राम्य भू–अभिलेख से गाँव की कुल जनसंख्या, जाति, लिंग व आयु के आधार पर जनसंख्या, शैक्षिक स्थिति, गाँव में उपलब्ध अन्य संसाधनों के बारे में संग्रह किया जाना योजना के विकास के लिए आवश्यक एवं उपयोगी होगा। इनके साथ ही आपदा के सन्दर्भ में विगत वर्षों में आयी आपदाएं, आपदाओं से हुयी जान माल की क्षति के आंकड़ों का संग्रह किया जाना भी योजना के विकास के लिए आवश्यक होगा।

प्राथमिक आंकड़े

अब तक हमने द्वितीयक आंकड़े एकत्रित कर लिये हैं। अब आवश्यकता होगी कि आपदा के दृष्टिकोण से अपने गाँव/वार्ड से सम्बन्धित प्राथमिक आंकड़ों के लिए विभिन्न पी0आर0ए0 विधियों का उपयोग करते हुए आंकडों के संग्रह का कार्य शुरू करें।

परिस्थिति विश्लेषण के दौरान आपदा के संदर्भ में गांव की वास्तविक स्थिति को समझने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम गांव का खतरा, जोखिम, नाजुकता व क्षमता आकलन करें और उससे संबंधित प्राथमिक आंकड़ों का संग्रहण करें ताकि उनका विश्लेषण करते हुए वास्तविक स्थिति का पता चल सके। अतएव यहां हम पी.आर.ए. टूल्स के माध्यम से **खतरा, जोखिम, नाजुकता व क्षमता आकलन (एचआरवीसीए) के** तरीकों को समझने का प्रयास करेंगे।

खतरा, जोखिम, नाजुकता व क्षमता आकलन (एच.आर.वो.सी.ए)

क्या है एच.आर.वी.सी.ए.

प्राकृतिक खतरों के प्रभाव का सामना करने के लिए लोगों के जोखिम और उनके मुकाबला करने की क्षमता का आकलन करने के लिए खतरा, जोखिम, नाजुकता और क्षमता आकलन (एच.आर.वी.सी.ए.) एक सहभागी अभ्यास है। यह आपदा तैयारी का एक अभिन्न अंग है और जमीनी स्तर पर समुदाय आधारित आपदा तैयारी कार्यक्रमों के निर्माण में योगदान देता है।

एच.आर.वी.सी.ए. मदद करता है:

- स्थानीय प्राथमिकताओं की पहचान करने में।
- आपदा जोखिम को कम करने के लिए उचित कार्यवाही की पहचान करने में।
- जमीनी स्तर पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन संवेदी विकास योजनाओं व कार्यक्रमों के डिजाइन और विकास के लिए इनपुट प्रदान करनें।

एच.आर.वी.सी.ए. के उद्देश्य हैं:

- समुदायों के सामने आने वाले जोखिमों और खतरों और उनसे निपटने के लिए उनकी क्षमता का आकलन करना।
- स्थानीय स्तर पर जोखिम के आकलन में समुदायों, स्थानीय प्राधिकरणों और बाहरी सहयोगी संगठनों को शामिल करना।
- चिन्हित किए गए जोखिमों के लिए तैयारी करने और रिस्पान्स देने के लिए कार्य योजना तैयार करना।
- संभावित खतरों, जोखिमों और नाजुकताओं के कारण होने वाले प्रभावों को रोकने या कम करने के लिए जोखिम कम करने वाली गतिविधियों की पहचान करना।

खतरा, जोखिम, नाजुकता और क्षमता आकलन (एच.आर.वी.सी.ए.) की प्रकिया शुरू करने से पहले यह आवश्यक होगा कि सर्वप्रथम हम अपने गांव का आवश्यकतानुसार एक सर्वे कर लें, गांव का व्यापक भ्रमण (ट्रांजेक्ट वाक) कर लें और उसके बाद गांव का सामाजिक मानचित्र बना लें। ट्रांजेक्ट वाक जहां एक तरफ गांव को प्रथम दृष्टया समझने में मदद करता है एवं समुदाय की नाजुकता और उपलब्ध संसाधनों की एक तस्वीर प्रदान करता है, वहीं दूसरी तरफ सामाजिक मानचित्रण गांव की सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था जैसे– गॉव की बसावट, खेत–खलिहान, घरों के प्रकार इत्यादि का विवरण प्राप्त करने एवं सामाजिक बुनियादी ढांचे जैसे– सड़कें, ड्रेनेज सिस्टम, स्कूल, पीने के पानी की सुविधा आदि का विवरण प्राप्त करने में सहयोगी होता है।

सर्वे

प्रतिभागियों को बताएं कि–

सर्वे में पंचायत के निवासियों से जुड़ी सामान्य जानकारियों के अलावा यहां निवासरत निराश्रित, दिव्यांग, विधवा, आपदा में पलायन करने वाले पलायित परिवार तथा कुपोषित बच्चों, महिलाओं तथा बुजुर्गों और अनुसूचित जाति/जनजाति से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां सामने आती हैं। सर्वे में यह भी ध्यान रखें कि आपदा के सन्दर्भ में लोगों के व्यक्तिगत अनुभव से जुड़ी जानकारियों का भी समावेश हो। हालांकि ये जानकारियां पूर्वाग्रहों से ग्रसित हो सकती हैं, फिर भी इन्हें संकलित करना आवश्यक होगा।

ध्यान रखने वाली बातें–

- किसी भी सर्वे में आवश्यकतानुसार जानकारी ली जानी चाहिए।
- प्रारूप में पूछे जाने वाले प्रश्न प्रायोजन आधारित होना चाहिए जो समुदाय में कार्य करने में सहायक हो।
- सुगमकर्ता जानकारियों को आंकड़ों के रूप में एकत्र करें जिससे उनका संधारण संभव हो तथा विश्लेषण सरलता से किया जा सके।

प्रतिभागियों को बताएं कि–

- सर्वे के प्रारम्भ और समापन की समयावधि पूर्व निर्धारित हो और तय समय–सीमा में कार्य पूरा किया जाये।
- समुदाय से सीधे प्राप्त होने वाले ये आंकड़े ''प्राथमिक आंकड़े'' हैं।
- चयनित बोर्ड सदस्य/स्वयं सहायता समूह/समुदाय के स्वयं सेवी/युवा समूह इस कार्य में सहयोगी हो सकते हैं।

संसाधनों की कमी के कारण ग्राम पंचायत के सभी मजरों में जा कर आंकड़े एकत्र करना कठिन है तो नमूने के तौर पर सभी मजरों के कुछ परिवारों (सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हुए) से आंकड़े इकट्ठे किये जा सकते हैं। इस तरह के अभ्यास के लिए तभी जाना चाहिए जब यह किसी विशिष्ट हस्तक्षेप के लिए आवश्यक हो। जहां भी संभव हो, आंकड़े को डिजिटल रूप से समेकित किया जा सकता है।

ट्रांजेक्ट वाक (पठन सामग्री–1 का सन्दर्भ लें)

गांव भ्रमण (ट्रांजेक्ट वाक) सामान्यतः ग्रामीणों के समूहों के साथ की जाने वाली प्रक्रिया है जिसके दौरान हमें प्रत्यक्ष रूप से गांव वालों के नजरिये से सभी संसाधनों और उनके आस–पास के परिवेश को देखने और अनुभव करने का मौका मिलता है। गांव भ्रमण से हमें एक अन्तर्दृष्टि (insight) प्राप्त होती है। गांव भ्रमण के दौरान सम्भावित आपदा के नजरिये से भी हमें गांव को देखना होगा। साथ ही निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखना होगा–

- गांव में जोखिम/खतरे वाले स्थान कौन–कौन से हैं?
- आपदा के नजरिये से कौन सा समुदाय अतिसंवेदनशील है?
- आपदा के नजरिये से कौन सा संसाधन उपलब्ध है और महत्वपूर्ण है
- गांव में ऊंचा क्षेत्र किस तरफ है?
- ऊंचे स्थानों पर कौन–कौन से संसाधन, सुविधाएं उपलब्ध हैं?
- निचला इलाका कौन सा है और वहां पर कौन–कौन से संसाधन या सुविधाएं हैं?
- आस–पास कौन सी नदी या नाले हैं एवं वहां पर कौन से संसाधन व सुविधाएं हैं?
- कौन से क्षेत्र में घनी बस्ती है और वह किस ओर है?
- आपदा से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला क्षेत्र कौन सा है?

सामाजिक मानचित्रण (पठन सामगो–2 का सन्दर्भ लें)

सामाजिक मानचित्रण गांव की सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था जैसे– गॉव की बसावट, खेत–खलिहान, घरों के प्रकार इत्यादि का विवरण प्राप्त करने एवं सामाजिक बुनियादी ढांचे जैसे– सड़कें, ड्रेनेज सिस्टम, स्कूल, पीने के पानी की सुविधा आदि का विवरण प्राप्त करने का एक तरीका है। पहले लोग मानचित्र बनाने में झिझकते हैं परन्तु कोशिश करनी चाहिए कि हम जहां बैठे हैं, वहीं एक लकड़ी या पत्थर का टुकड़ा हाथ में लेकर जमीन को थोड़ा साफ करके कोई चिन्ह बना लें कि हम यहां पर हैं या गाँव का स्कूल या धार्मिक स्थल या कोई सार्वजनिक स्थल कहां पर है? तत्पश्चात् गाँव में आने–जाने वाले रास्तों

को अंकित करें। इसी क्रम में पूरे गाँव का नक्शा तैयार करें। इसमें निम्न सूचनाओं को आवश्यक रूप से दर्शायें–

- गाँव को जोड़ने वाली मुख्य सड़क/सड़कें।
- गाँव के अन्दर की सड़कें/गलियां/खड़ंजा।
- घरों को अंकित करें।
- कच्चे–पक्के घरों को अलग–अलग दर्शाने के लिए अलग–अलग आकृति बनाएं।
- दलित एवं वंचित समुदाय के आवास/बस्ती को चिन्हित करें।
- गॉव की बसावट जाति/वर्ग/संप्रदाय के अनुसार दर्शायें।
- जलस्रोत/कुआं/तालाब/नदी/नहर
- हैण्डपम्प/इण्डिया मार्का हैण्डपम्प/वाटर टैप
- धार्मिक स्थल/सार्वजनिक स्थान/चारागाह
- खेती की जमीन
- बाग–बगीचा

जमीन पर पूरा नक्शा तैयार हो जाने के बाद उसे बड़े चार्ट पेपर पर अथवा सफेद रंग के कपड़े पर हू–ब–हू उतार लें, क्योंकि यही मानचित्र विभिन्न गतिविधियों के सम्पादन में प्रयुक्त होगा। साथ ही यह आगे के वर्षों में नियोजन के दौरान गाँव की एक सम्पत्ति के तौर पर होगा।

सामाजिक मानचित्रण से हमारे सामने पूरे गांव की सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था के साथ–साथ सामाजिक बुनियादी ढांचे का विवरण प्राप्त होगा, जिससे हम यह जान पायेंगे कि गांव के कौन से क्षेत्र/वर्ग/घर बहु आपदा के संभावित खतरों से कितना अधिक संवेदनशील/नाजुक हैं और गांव की बसाहट किस प्रकार की है?

दूसरा चरण जारी.....

प्रमुख विषय	• खतरा, जोखिम, नाजुकता और क्षमता आकलन (एच.आर.वी.सी.ए.) की प्रक्रिया • जोखिम विश्लेषण • नाजुकता विश्लेषण • क्षमता आकलन
समय	2 घंटा
प्रशिक्षण की विधि	समूह अभ्यास प्रस्तुतीकरण
प्रशिक्षण सामग्री	पी.पी.टी./कार्ड लेखन, मेटा कार्ड, मार्कर, चार्ट पेपर, हैण्डआउट

खतरा, जोखिम, नाजुकता और क्षमता आकलन (एचआरवीसीए) की प्रक्रिया

सत्र के उद्देश्य

इस सत्र के अंत तक प्रतिभागी:

- खतरा, जोखिम, नाजुकता और क्षमता आकलन (एच.आर.वी.सी.ए.) करने की प्रक्रिया पर समझ बनाते हुए विभिन्न आपदाओं के संदर्भ में गांव की मौजूदा स्थितियों व परिदृश्य का विश्लेषण करने में सक्षम हो जायेंगे।
- गांव में उपलब्ध बुनियादी नागरिक सेवाओं, बुनियादी ढांचे और सुविधाओं की किसी भी आपदा के नजरिये से गुणवत्ता का आकलन करने में सक्षम हो जायेंगे।

सत्र प्रक्रिया

विषय प्रवेश कराते हुए प्रशिक्षक प्रतिभागियों से स्थानीय स्तर पर प्रभावित करने वाली आपदाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों पर आपदाओं के पड़ने वाले प्रभावों के बारे में चर्चा करेगा। तत्पश्चात् निम्न बिन्दुओं पर प्रस्तुतिकरण एवं सहभागी चर्चा के माध्यम से समझ विकसित की जायेगी।

जोखिम विश्लेषण (पठन सामग्री 3 का संदर्भ लें)

जलवायु परिवर्तन एवं आपदा प्रबन्धन के सन्दर्भ में योजना निर्माण का प्रमुख घटक है– जोखिम की समझ। योजना निर्माण से पहले यह अवश्य जानें कि जलवायु परिवर्तन से वर्तमान एवं भावी जोखिम कहां है, किससे है और कौन ज्यादा प्रभावित होगा? इसलिए अब हम गाँव स्तर पर दिखायी देने वाली वर्तमान एवं आगे हो सकने वाली आपदाओं, उनसे उत्पन्न जोखिमों, खतरों व नाजुकताओं को समझेंगे। इसके लिए गाँव में होने वाली वर्तमान एवं भावी आपदाओं को सूचीबद्ध करेंगे।

प्रतिभागियों से पूछें कि **"उनके गाँव को मुख्य रूप से कौन–कौन सी** वर्तमान एवं भावी **आपदाएं प्रभावित करती हैं तथा आगे करेंगी।"** प्राप्त उत्तर को बोर्ड पर अंकित करते चलें।

प्राप्त सूचनाओं का संकलन करें और सूचीबद्ध करें।

उदाहरण स्वरूप–

बाढ
सूखा
लू
ओलावृष्टि
और इसी प्रकार गांव में घटने वाली अन्य आपदाओं जैसे– शीतलहर, आग, सड़क दुर्घटना, डूबने की घटना, भूकम्प, कोरोना इत्यादि की सूची तैयार करें)

जोखिम विश्लेषण के लिए निम्न उपचरणों में काम करें–

इस सत्र में प्रशिक्षक प्रतिभागियों को बतायेगा कि किस तरह से जोखिम विश्लेषण किया जायेगा। पुनः वह निम्न विधियों के माध्यम से जोखिम विश्लेषण की प्रक्रिया को समझायेगा –

खतरा मानचित्रण (अभ्यास हेतु पठन सामग्री–3.1 का सन्दर्भ लें)

प्रशिक्षक प्रतिभागियों से कहेगा कि वे अपने पुराने समूह में वापस जाकर अपने–अपने सामाजिक मानचित्र पर गांव के लिए खतरा उत्पन्न करने वाले स्थानों, वस्तुओं को चिन्हित करें। उदाहरण के लिए वह प्रतिभागियों से कह सकता है कि गांव के निकट से बह रही नदी या नहर गांव के लिए खतरा हो सकता है, तो उसे बतायें। किसी घर के उपर से हाइटेंशन तार जा रहा हो तो वह उस घर के लिए खतरा है। इस प्रकार प्रशिक्षक प्रतिभागियों से खतरा मानचित्रण करायेगा। फिर वह प्रतिभागियों को कहेगा कि पाठ्य सामग्री में दिये गये प्रारूप पर उन सूचनाओं को भरें और उसका प्रस्तुतिकरण करें।

खतरा मानचित्र में सम्मिलित किये जाने वाले बिन्दुः

- कमजोर भवन)सार्वजनिक एवं निजी(नदी, नाला, तालाब इत्यादि जो गांव के करीब हों और बाढ़, डूबने की घटनाओं आदि के कारण बन सकते हैं।
- कमजोर तटबन्ध, पुल–पुलिया, सड़क इत्यादि।
- निचले स्थान जहॉ पर जल–भराव जल्दी होता हो।
- अवरूद्ध रास्ते, संकरे रास्ते इत्यादि।
- ऐसे स्थान जहॉ पर सघन आबादी रहती हो।
- ऐसे स्थान जहॉ पर आग इत्यादि लगने की सम्भावना अधिक हो।
- गाँव के आस–पास फोर–लेन या राज्य मार्ग।
- ऐसी किसी भी गतिविधि या उपक्रम को अवश्य चिन्हित कर शामिल करें जो गाँव के लिए जोखिम उत्पन्न कर सकती हैं जैसे– कोई पटाखा गोदाम या बनाने का स्थान, कोई रसायनिक वस्तुओं के भंडारण का स्थान, ज्वलनशील वस्तुओं के भंडारण का स्थान इत्यादि।

ऐतिहासिक समय रेखा (अभ्यास हेतु पठन सामग्री–3.2 का सन्दर्भ लें)

आपदा के इतिहास को जानने के लिए इस पी0आर0ए0 विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि को समझाने के बाद प्रशिक्षक प्रतिभागियों को यह भी याद दिलायेगा कि इस विधि का उपयोग गांव के वरिष्ठतम अथवा बुजुर्ग व्यक्ति के साथ किया जाता है, जिसमें गांव में पहले आयी आपदाओं के बारे में बात चीत की जाती है। प्रशिक्षक प्रतिभागियों को बतायेगा कि इस विधि के माध्यम से गांव को प्रभावित करने वाली सबसे बड़ी आपदा के बारे में जानकारी होगी। पुनः प्रशिक्षक प्रतिभागियों से ऐतिहासिक समयरेखा से प्राप्त सूचनाओं को एक निर्धारित प्रारूप पर भी भरने को कहेगा ताकि उनका अभ्यास हो सके। इस अभ्यास के दौरान निम्न प्रश्नों की भी जानकारी प्राप्त करें–

- आपके जीवन में खतरे (बाढ़, आग, सूखा इत्यादि) का असर क्या है?
- आपके प्राकृतिक संसाधनों पर खतरे का असर क्या है?
- क्या यह प्रभाव हमेशा से ऐसा ही रहा है?
- आपने यह कब महसूस किया कि इन आपदाओं का असर पहले से ज्यादा हो गया है?
- यह आपदाएं पहले से ज्यादा गंभीर क्यों हैं?

आपदाओं का ऐतिहासिक घटनाक्रम व सम्बन्धित जानकारी

क्रम संख्या	वर्ष/माह तारीख यदि ज्ञात हो	घटनाक्रम/ आपदा	घटनाओं के कारण	मृतकों की संख्या	प्रभावित लोगों की संख्या	घटना के बाद आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए कोई कदम उठाया गया
1	1998	बाढ़	तटबन्ध टूटना	30	1 लाख	
2	2005					
3	2008					
4	2010					

वर्तमान आपदाओं का मौसमी कैलेण्डर (अभ्यास हेतु पठन सामग्री–3.3 का सन्दर्भ लें)

प्रशिक्षक प्रतिभागियों से मौसमी कैलेण्डर बनाने के लिए कहेगा। इस हेतु पूर्व की भांति प्रतिभागियों को समूह में बांटकर उन्हें चार्ट पेपर व मार्कर दे देगा तथा उन्हें बतायेगा कि बारह महीनों के लिए बारह खाने खींच लें और एक खाना आपदा के लिए रखें। इस प्रकार बायीं तरफ आपदा व दायीं तरफ वाले खानों में महीनों के नाम लिखें। फिर किस आपदा से कौन सा महीना अथवा महीने प्रभावित होते हैं, इसे दर्शायें। प्रशिक्षक प्रतिभागियों से आपदा का मौसमी कलेण्डर बनवाकर उसका प्रस्तुतीकरण भी करायेगा। उदाहरणस्वरूप– समुदाय के अनुसार बाढ़ आने का समय जुलाई से अक्टूबर तक है तो जुलाई से लेकर अक्टूबर तक एक तीर खींच दें अथवा एक जैसे रंग से इन चारों महीनों को रंग दें। मौसमी कलेण्डर का प्रारूप निम्नवत् है –

आपदाओं/प्राकृतिक घटनाओं का मौसमी कलेण्डर

आपदा	ज्न	फर	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुला	अग	सित	अक्टू	नव	दिस
बाढ़												
सूखा												
भूकम्प												
लू												

उपरोक्त सूचनाएं उदाहरण मात्र हैं। गांव में घटने वाली अन्य आपदाओं जैसे– शीतलहर, आग, सड़क दुर्घटना, डूबने की घटना, भूकम्प, कोरोना इत्यादि के बारे में भी जानकारी प्राप्त करें।

प्राथमिकीकरण (अभ्यास हेतु पठन सामग्री–3.4 का सन्दर्भ लें)

जलवायु जनित आपदाओं का उनकी आवृत्ति, प्रभाविता के सन्दर्भ में उनका प्राथमिकीकरण करना एक महत्वपूर्ण प्रकिया है। इस प्रकिया के अन्तर्गत प्रशिक्षक सबसे पहले प्रतिभागियों को समूह में बांटकर प्रत्येक समूह को एक–एक चार्ट पेपर व मार्कर देगा। अब वह प्रतिभागियों से कहेगा कि उपर की विधियों में किये गये समूह अभ्यास के दौरान निकल कर आयी आपदाओं तथा उनका विभिन्न क्षेत्रों/वस्तुओं पर पड़ने वाले प्रभावों को अपनी नोट बुक में एक जगह अंकित कर लें। तत्पश्चात वह नीचे दिये गये प्रारूप के अनुसार एक तालिका तैयार करने को कहेगा। तालिका तैयार हो जाने के बाद वह प्रतिभागियों को बतायेगा कि इसमें आपदा की प्रभाविता के आधार पर 1 से लेकर 10 नम्बर दें। सबसे कम प्रभाव वाले क्षेत्र के लिए 1 नम्बर देने को कहेगा और सबसे अधिक प्रभाव के लिए 10 नम्बर देने को कहेगा। यह अभ्यास पूरा हो जाने के बाद प्रशिक्षक प्रतिभागियों के प्रत्येक समूह में से किसी एक व्यक्ति को बुलाकर उसकी प्रस्तुतीकरण करायेगा।

आपदा			जलवायु जनित आपदाओं से प्रभावित होने वाले प्रभाव क्षेत्र						योग
	मानव	पशु	खेती	आजीविका	पशुचारा	मकान	घर–गृहस्थी का सामान	सड़क/सम्पर्क मार्ग	
बाढ़	5	8	9	9	9	3	5	5	53
सुखा	3	3	9	6	6	0	0	0	27
आग	1	2	4	1	1	9	8	0	26

**प्रभाव क्षेत्र के अन्तर्गत गाँव विशेष की स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर और भी बिन्दु आ सकते हैं।*

जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समझना

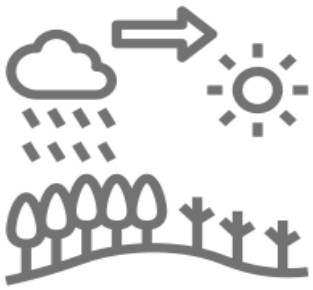

पिछले 3–4 दशकों में जलवायु में हो रहे परिवर्तनों को महत्वपूर्ण तरीके से देखा जा रहा है और समुदाय के लोग जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को अपने दैनिक जीवन व आजीविका में प्रमुखता से अनुभव करने लगे हैं। गाँवों में लोगों की मुख्य आजीविका कृषि बहुत हद तक जलवायु पर निर्भर करती है। वर्षा में अनिश्चितता, तापमान में वृद्धि, एक वर्षा से दूसरी वर्षा के बीच लम्बा समयान्तराल, जाड़े के दिनों में आर्द्रता कम होना, सर्दियों में गर्म हवाओं का चलना, उमस भरे दिनों का बढ़ना आदि कुछ ऐसे सूचकांक हैं जो खेती पर विपरीत प्रभाव डाल रहे हैं।

जलवायु में हो रहे बदलाव से सम्बन्धित सूचनाओं एवं देखे गये/महसूस किये गये परिवर्तनों को नीचे दिये गये प्रारूप में संकलित किया जा सकता है –

प्रारूप सं0 8 : ऐतिहासिक, वर्तमान एवं भावी जलवायु अन्तरों को दर्शाने का प्रारूप

जलवायविक अन्तर/घटनाएं	पहले	अब	आगे
बारिश			
तापमान			
आर्द्रता			

क्षेत्रगत प्रभावों को समझना

जलवायु के बदलाव पर सामान्य चर्चा के बाद उसके क्षेत्रगत प्रभावों पर चर्चा हेतु किसी भी विशिष्ट क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभावों पर बातचीत कर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझा जा सकता है। विगत सत्र 3 में हमने जिन 5 क्षेत्रों/घटकों (मानव विकास एवं सामाजिक विकास, ढांचागत विकास, पर्यावरणीय मुद्दें एवं आपदा प्रबन्धन, आर्थिक विकास सहित आय एवं रोजगार के साधन, सुशासन एवं समावेशन, व्यक्तिगत एवं सामुदायिक मुद्दे) पर चर्चा की थी उन्हीं क्षेत्रों/घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों पर बातचीत कर सकते हैं। यहां पर चर्चा हेतु चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों की आजीविका का प्रमुख स्रोत खेती ही होता है। अतः यहां पर चर्चा हेतु ***आर्थिक विकास सहित आय एवं रोजगार के साधन*** घटक के अन्तर्गत आने वाले कृषि क्षेत्र का उदाहरण लिया है।

प्रारूप सं0 9 : क्षेत्रगत प्रभावों को दर्ज करने के लिए प्रारूप

क्षेत्र	प्रभाव
कृषि – यद्यपि कि यह एक बड़ा क्षेत्र है और इसे प्रश्नों में बांधकर हम लोगों से प्रभाव को अच्छी तरह से नहीं जान सकते, फिर भी समझ को विकसित करने के लिए चर्चा के कुछ बिन्दु नीचे दिये गये हैं – • उत्पाद • फसलों के प्रकार • उत्पाद की गुणवत्ता • मृदा गुणवत्ता	

• फसल की अवधि	
पशुधन	
वन/वृक्ष	
लघु उद्योग	

इसी तरह सभी घटकों के उपर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझा जा सकता है। सभी अभ्यासों में खुली चर्चा हो, अभ्यासों को प्रश्नों में न बांधें। लोगों के अनुभव/निरीक्षण अलग–अलग हो सकते हैं, कई बार वे विषय से अलग हटकर भी चर्चा कर सकते हैं, पर यहीं पर सुगमीकर्ता को ध्यान देना होगा कि वह पुनः समूह में बैठे लोगों को विषयगत चर्चा पर केन्द्रित करे।

नाजुकता विश्लेषण (पठन सामग्री–4)

नाजुकता की पहचान व विश्लेषण (अभ्यास हेतु पठन सामग्री–4.1 का सन्दर्भ लें)
सबसे पहले प्रशिक्षक विषय पर एक प्रस्तुतीकरण देकर प्रतिभागियों की समझ विकसित करेगा। इस प्रस्तुतीकरण के अन्तर्गत वह यह अवश्य बतायेगा कि नाजुकता को व्यक्तिगत एवं समुदाय दोनों स्तरों पर समझने की जरूरत है। तत्पश्चात् वह प्रतिभागियों से कहेगा कि अपने पुराने समूह में वापस जायें और अभी तक किये गये अभ्यासों के आधार पर नाजुक वर्ग व स्थान की पहचान करें। लोगों से यह भी कहेगा कि वे नाजुकता के कारणों को भी जानें और प्राप्त सूचनाओं को पाठ्य सामग्री में दिये गये प्रारूप के अनुसार भर कर उसका प्रस्तुतीकरण करें।

सघन समूह चर्चा (Focused Group Discussion): (अभ्यास हेतु पठन सामग्री–4.2 का सन्दर्भ लें)
नाजुकता को व्यापक रूप में समझने के लिए यह आवश्यक है कि इस पर विस्तृत चर्चा की जाये। समूह चर्चा में यह जानने का प्रयास करें कि गाँव में **''कौन और क्या''** नाजुक है और उसकी नाजुकता बढ़ने का कारण क्या है?

क्षमता आकलन (पठन सामग्री–5)

संसाधन मानचित्रण (अभ्यास हेतु पठन सामग्री–5.1 का सन्दर्भ लें)
संसाधन मानचित्रण वाले अभ्यास के अन्तर्गत प्रशिक्षक सबसे पहले प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विषय पर प्रतिभागियों की समझ विकसित करेगा। वह बतायेगा कि गांव में कितने तरह के संसाधन हो सकते हैं। तत्पश्चात् संसाधनों के वर्गीकरण के अनुसार प्रतिभागियों को समूहों में विभाजित कर प्रत्येक समूह को एक–एक वर्ग के अन्तर्गत आने वाले संसाधनों की सूची तैयार करने को कहेगा। एक बार सूची तैयार हो जाने के बाद पहले से तैयार सामाजिक मानचित्र पर उन संसाधनों की उपलब्धता के स्थान को अंकित करने के लिए कहेगा।

आइये जानें – गाँव में कौन–कौन से संसाधन उपलब्ध हैं और वो कहाँ–कहाँ पर स्थित हैं? इस हेतु प्रशिक्षक प्रतिभागियों को पूर्व की भांति समूहों में बांटकर उनके द्वारा पहले से तैयार किये गये सामाजिक मानचित्र पर संसाधन मानचित्रण करने को कहेगा।

समूह अभ्यास :
प्रतिभागियों को पाँच समूहों में विभाजित कर प्रत्येक समूह को उपरोक्त पाँचों वर्गों में से एक–एक वर्ग के अन्तर्गत आने वाले संसाधनों की सूची तैयार करने को कहेंगे। एक बार सूची तैयार हो जाने के बाद पहले से तैयार सामाजिक मानचित्रण पर उन संसाधनों की उपलब्धता के स्थान को अंकित करने के लिए कहें।

रिसोर्स मैट्रिक्स (अभ्यास हेतु पठन सामग्री–5.2 का सन्दर्भ लें)

संसाधन मानचित्रण के आधार पर सभी बाह्य एवं आन्तरिक संसाधनों को जान लेने के बाद प्रशिक्षक प्रतिभागियों से कहेगा कि वे पाठ्य सामग्री में दिये गये प्रारूप सं0 13 के आधार पर संसाधन मैट्रिक्स बनाने का कार्य करें।

पठन सामग्री

1. ट्रांजेक्ट वाक (Transect Walk)

यह पी0आर0ए0 की एक बेहद रोचक विधि है, जिसमें गांव का भ्रमण इस तरह से किया जाता है कि भ्रमणकर्ता गांव की सभी दिशाओं एवं मध्य के भाग को आच्छादित कर ले। इसमें समुदाय के साथ बात–चीत करते हुए गांव का भ्रमण किया जाना शामिल है। इस प्रक्रिया में कोशिश करनी चाहिए कि समुदाय के साथ प्राथमिक बात–चीत करते समय जो व्यक्ति बात–चीत में बढ़–चढ़कर हिस्सा ले रहा हो, उसे ही साथ लेकर गांव का भ्रमण करें।

उद्देश्य

- गांव को प्रथम दृष्टया समझने हेतु इस विधि का उपयोग किया जाता है।
- समुदाय की नाजुकता, उपलब्ध संसाधनों और उनके आस–पास के परिवेश की एक तस्वीर प्राप्त करना इस गतिविधि का प्रमुख उद्देश्य है।

प्रतिभागियों को पूछें कि–

- क्या इस भ्रमण से कोई नई जानकारियां मिल सकती है?
- क्या योजना निर्माण के लिए कोई नये अनुभव प्राप्त हो सकते हैं?

हर प्रश्न के बाद प्रतिभागियों के विचारों को आने दें तथा उन पर शेष प्रतिभागियों की राय लेते चलें। सभी प्रश्नों पर विचार–विर्मश के पश्चात् प्रतिभागियों को इस तथ्य पर सहमत करें कि–

- संसाधन मानचित्रण में हमें प्रायः संख्यात्मक जानकारियां प्राप्त होती है लेकिन उनकी वर्तमान स्थिति, गुणवत्ता और उपयोगिता के सम्बन्ध में प्रायः बहुत कम जानकारियां प्राप्त होती है।
- ग्रामीणों के समूहों के साथ ग्राम भ्रमण के दौरान हमें प्रत्यक्ष रूप से गांव वालों के नजरियें से सभी संसाधनों और उनके आस–पास के परिवेश को देखने और अनुभूत करने का मौका मिलता है।
- ग्राम भ्रमण से हमें एक अन्तर्दृष्टि (insight) प्राप्त होती है।

बताएं कि–

- ग्राम भ्रमण में ग्रामीणों के समूहों के साथ गांव की एक दिशा से दूसरी दिशा तक भ्रमण किया जाता है।
- समूह से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर संसाधनों और स्थितियों का निरीक्षण करना, उन संसाधनों और स्थितियों के बारे में ध्यानपूर्वक सुनना, विचार–विमर्श करना और उसको एक नक्शे के रूप में प्रस्तुत करना ग्राम भ्रमण का उद्देश्य होता है।
- भ्रमण के दौरान स्थान विशेष की परिस्थिति, उपयोग सम्बन्धी समस्याओं और उनके निराकरण के लिए किये गये प्रयासों तथा भविष्य में किये जा सकने वाले प्रयासों की चर्चा करते हैं।

ग्राम भ्रमण की प्रकिया

- भ्रमण में सहभागी के रूप में साथ आने वाले ग्रामीणों का चयन
- गांव के मानचित्र से भ्रमण मार्ग का निर्धारण
- भ्रमण में शामिल स्थानीय लोगों के सहयोग से स्थान विशेष पर उपस्थित लोगों को बातचीत में शामिल करना। ये बातचीत, स्थानीय लोगों के साथ एक छोटी मीटिंग का रूप ले लेती है।
- प्राप्त जानकारियों को सारणी के रूप में लिपिबद्ध करना। (क्षेत्र सम्बन्धी विशेषताओं को दिखाने हेतु चित्रों का उपयोग भी किया जा सकता है)

ग्राम भ्रमण के लाभ

- ग्राम पंचायत में परिसम्पत्तियों के निर्माण और सुधार की जरूरतों का पता लगता है।
- उपलब्ध संरचनात्मक ढांचे को जांचने और उसके सुधार की जरूरतों का पता लगता है।
- उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का पता लगता है।
- विभिन्न समुदायों की नागरिक सुविधा तक पहुंच की स्थिति पता लगती है।

भ्रमण के पूर्व की गतिविधियां

- तारीख एवं समय का निर्धारण
- विभिन्न हितभागियों को सूचित करना

भ्रमण के दौरान की गतिविधियां

- पंचायत समुदाय के सक्रिय सदस्यों के साथ मुख्य स्थानों को संलग्न करते हुए ग्राम पंचायत का पूर्ण भ्रमण
- ग्राम पंचायत की वनस्पति, स्थान, बसाहट, संरचनात्मक ढांचे, स्वच्छता आदि की परिस्थिति का पता लगाना।
- ग्राम पंचायत में मौजूद अलग–अलग परिस्थितियों पर समुदाय से जानकारी एकत्र करना

पूछने योग्य प्रश्न

ट्रान्जेक्ट वाक करते समय सहजकर्ता द्वारा साथ चलने वाले व्यक्ति से बात–चीत की शुरूआत निम्न तरीके से की जा सकती है –

- गांव में ऊंचा क्षेत्र किस तरफ है?
- ऊंचे स्थानों पर कौन–कौन से संसाधन, सुविधाएं उपलब्ध हैं?
- निचला इलाका कौन सा है और वहां पर कौन–कौन से संसाधन या सुविधाएं हैं?
- आस–पास कौन सी नदी या नाले हैं एवं वहां पर कौन से संसाधन व सुविधाएं हैं?
- कौन से क्षेत्र में घनी बस्ती है और वह किस ओर है?
- आपदा से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला क्षेत्र कौन सा है?

इसके अलावा भी आवश्यकतानुसार सम्बन्धित प्रश्न पूछ सकते हैं।

भ्रमण के बाद की गतिविधियां

- भ्रमण के दौरान एकत्रित आंकड़ों का दस्तावेज तैयार करना
- सामाजिक एवं संसाधन मानचित्र से आंकड़ों की पुष्टि करना

सहजीकरण कैसे करें?

- समुदाय के सदस्यों से सलाह लें कि भ्रमण का प्रारम्भ करने के लिए उपयुक्त दिशा और मार्ग कौन सा होगा?
- इस गतिविधि के दौरान समुदाय के सदस्यों से सभी तरह की जानकारी पर चर्चा करें जैसे आपदा जोखिम वाला क्षेत्र कौन सा हैं? महत्वपूर्ण सुविधाएं क्या–क्या हैं जो लोगों के लिए आवश्यक हैं?
- भ्रमण के दौरान समुदाय के कई सदस्य साथ हो सकते हैं परन्तु सहजीकर्ता उसी सदस्य के साथ–साथ चले जो महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हैं या दे सकता है।
- सहजकर्ता व नोट लिखने वाला व्यक्ति जो भी देख रहा है उसे अंकित करता रहें साथ ही समुदाय सदस्य द्वारा दी जा रही सूचनाओं को भी नोट करता रहे।
- भ्रमण के बाद एक मानचित्र तैयार करें व उसे समुदाय सदस्यों के साथ साझा कर मान्य करा लें।

प्रारूप सं0 1 : ट्रान्जेक्ट वॉक के दौरान अवलोकन की गयी स्थितियों का संकलन

उंची भूमि	नीची भूमि	नाला	नीची भूमि	नहर	गांव	उंची भूमि	नाला	उंची भूमि
फसल धान गन्ना मक्का	धान सब्जी	बांस	धान सब्जी	–	गृह वाटिका	मूंगफली गन्ना धान	–	मूंगफली गन्ना धान सब्जी
जानवर गाय भैंस बकरी					कुत्ता बिल्ली सुअर बकरी गाय			
समस्याएं								
संभावनाएं								

2. सामाजिक मानचित्रण

उद्देश्य

- इस मानचित्रण के माध्यम से गाँव में विभिन्न आपदाओं की दृष्टि से नाजुक घरों/क्षेत्रों की पहचान करना। जैसे– जो क्षेत्र/घर नीची भूमि अथवा नदी के किनारे होंगे, बाढ़ एवं जल–जमाव के प्रति उनकी नाजुकता ज्यादा होगी। अथवा जिस तरफ फूस के घर होंगे, उधर आग लगने का खतरा अधिक होगा।
- आपदा के सन्दर्भ में संभावित खतरों के सापेक्ष नाजुक समुदायों/वर्गों की पहचान होगी।

प्रक्रिया

सामाजिक मानचित्रण के दौरान सबसे पहले उस स्थान को चिन्हित करें, जहां पर सभी लोग बैठे हुए हैं। पुनः उस स्थान के दायें, बायें, आगे अथवा पीछे कहीं से भी लोगों के घरों को अंकित करते चलें। धीरे–धीरे इसमें सभी की रूचि बढ़ेगी और लोग सड़कों, गलियों को मकानों से जोड़ना शुरू कर देंगे। सबकी राय व सुझाव से गाँव का पूरा सामाजिक नक्शा बन जाता है। सामाजिक मानचित्र पर सभी घरों के बन जाने के पश्चात् गाँव के प्रमुख लोगों जैसे– पंचायत प्रतिनिधि, वार्ड सदस्य, स्थानीय राजनीतिक व्यक्ति, आंगनबाड़ी कार्यकत्री, आशा, टोला सेवक, डाक्टर, शिक्षक एवं अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों के घरों को विशेष रूप से दर्शायें। कच्चे–पक्के घरों व अलग–अलग वस्तुओं को अलग–अलग दर्शाने के लिए अलग–अलग आकृति बना सकते हैं अथवा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों (चाक, कोयला, अलग–अलग आकार के पत्थर, बीज, पत्तियों, लकड़ी आदि) का उपयोग कर सकते हैं। एक बार सामाजिक मानचित्रण पूरा हो जाने के बाद उसे कपड़े या चार्ट पेपर पर हू–ब–हू अंकित कर लें। सामाजिक मानचित्रण को पूरा करने के बाद उसे लोगों से सत्यापित अवश्य करा लें।

ध्यान रखें –

- ☞ अलग–अलग सूचनाओं के लिए अलग–अलग चिन्हों का इस्तेमाल करें। जैसे– अगर कोई घर पक्का है, वहां पर शौचालय भी है, प्राइवेट दवाखाना भी है, तो तीनों सूचनाओं को अलग–अलग रंगों या प्रतीकों से दर्शायें।
- ☞ प्रयास रहना चाहिए कि इस बैठक में अधिक से अधिक संख्या में महिला व पुरूष दोनों की उपस्थिति रहे।
- ☞ सभी लोगों को बोलने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे सभी घर/सार्वजनिक स्थलों को मानचित्र पर अंकित किया जा सकेगा।
- ☞ सामाजिक मानचित्रण में दिये गये प्रत्येक विवरण के लिए संकेत चिन्ह अवश्य दर्शायें ताकि सभी को स्पष्टता रहे।
- ☞ बैठक में शामिल प्रत्येक व्यक्ति आपस में 6 फीट की दूरी बना कर बैठे।
- ☞ प्रत्येक व्यक्ति का मुह, नाक मास्क/गमछे से ढ़का हो।
- ☞ यदि कोई बीमार हो तो उसे सम्मान पूर्वक वापस जाने को कहे।
- ☞ बैठक आरम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि सभी लोग अपने हाथ को साबुन से धोकर ही बैठक में सम्मिलित हो।

परिणाम

सामाजिक मानचित्रण से हमारे सामने पूरे गाँव की सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था का विवरण प्राप्त होगा, जिससे हम यह जान पायेंगे कि गाँव के कौन से क्षेत्र/वर्ग/घर बहु आपदा के संभाव्य खतरों से कितना अधिक संवेदनशील/ नाजुक हैं और गाँव की बसाहट किस प्रकार की है?

प्रारूप सं0 2 : सामाजिक मानचित्रण से प्राप्त सूचनाओं हेतु प्रारूप

विवरण	संख्या
कुल वार्ड संख्या	
कुल घरों की संख्या	
कुल कच्चे घरों की संख्या	
कुल पक्के घरों की संख्या	
कुल फूस के घरों की संख्या	

दलित व वंचित समुदाय के आवासों की संख्या	
दिव्यांग जनों के घरों की संख्या	
महिला मुखिया घरों की संख्या	
सामाजिक मानचित्रण से प्राप्त होने वाली अन्य सूचनाएं भी इस प्रारूप में अंकित कर लें।	

3. जोखिम विश्लेषण

अभी तक हमने, सामाजिक मानचित्रण के बारे में समझ विकसित की, घरों की बसाहट को समझा व सामाजिक–आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु अभ्यास किया।

आपदा प्रबन्धन योजना निर्माण का प्रमुख घटक है जोखिम की समझ। योजना निर्माण से पहले यह अवश्य जानें कि जोखिम कहां है, किससे है और उससे कौन ज्यादा प्रभावित होगा? इसलिए अब हम गाँव स्तर पर प्रभावित करने वाली आपदाओं, उनसे उत्पन्न जोखिमों, खतरों व नाजुकताओं को समझेंगे। इसके लिए गाँव में होने वाली आपदाओं को सूचीबद्ध करेंगे। प्रतिभागियों से पूछें कि ***"उनके गाँव को मुख्य रूप से कौन–कौन सी आपदाएं प्रभावित करती हैं।"*** प्राप्त उत्तर को बोर्ड पर अंकित करें। पुनः विगत वर्षों में हुई आपदाओं से सम्बन्धित घटनाओं के बारे में जानें तथा आपदाओं के प्रभाव के आधार पर आपदाओं का प्राथमिकीकरण करायें।

जोखिम विश्लेषण के लिए निम्न उपचरणों में काम करें–

3.1 खतरा मानचित्रण

आइये, अपने गाँव के लिए खतरा एवं उसके कारणों को जानें।

उद्देश्य

- गाँव के लिए खतरों के बारे में समझ विकसित करना।
- खतरा उत्पन्न करने वाले स्रोतों/स्थलों के बारे में जानना।
- संभावित खतरा के कारण सबसे नाजुक वर्गों की पहचान करना।

प्रक्रिया

समुदाय को उनके गाँव में होने वाले खतरों को एक पटल पर दर्शाने हेतु खतरा मानचित्रण एक प्रभावी माध्यम है। पूर्व में बने सामाजिक मानचित्र में समुदाय के साथ मिलकर खतरों व जोखिमों के प्रति नाजुक क्षेत्रों को चिन्हित करें। जैसे– गाँव के किनारे कोई नदी, नहर इत्यादि बहता है, जिसके कारण बाढ़ की संभावना बनती है। गाँव के उन स्थानों को भी चिन्हित करें, जहां जल–जमाव होता हो। बाँध, पुल–पुलिया, सड़क इत्यादि का चिन्हीकरण खतरा व जोखिम मानचित्रण में आवश्यक है। ऐसे सार्वजनिक भवन अथवा निजी भवन, जो कमजोर हों एवं किसी भी आपदा की स्थिति में प्रभावित हो सकते हों, उन्हें भी चिन्हित करें। गाँव से होकर गुजरने वाले हाईटेंशन तारों की स्थिति भी दर्शायें।

ध्यान रखें :

- ☞ खतरा के कारणों को जानने हेतु प्रश्न प्रति प्रश्न अवश्य करें।
- ☞ ऐसे उचित स्थान का चयन पहले ही कर लें, जहां पर सामाजिक मानचित्र को फैलाकर उस पर चर्चा करने हेतु पर्याप्त स्थान हो।
- ☞ बैठक में शामिल प्रत्येक व्यक्ति आपस में 6 फीट की दूरी बना कर बैठे।
- ☞ प्रत्येक व्यक्ति का मुह, नाक मास्क/गमछे से ढ़का हो।

खतरा मानचित्रण से प्राप्त सूचनाओं को निम्न प्रारूप सं0 3 पर संकलित किया जायेगा–

प्रारूप सं0 3 : खतरा एवं जोखिम विश्लेषण से प्राप्त सूचनाएं

क्रमांक	आसन्न खतरे	संभावित जोखिम	अनुमानित प्रभाव		प्रभाव के क्षेत्र		
			समुदाय	संसाधन	आबादी	घर	संसाधन
1	बाढ़	मकान व ढांचागता बुनियादी सुविधाओं का ध्वस्त होना।	घर की हानि जन–धन की हानि	सड़क टूटना विद्युत पोल गिरना। विद्युत व्यवस्था में अवरोध	सम्पूर्ण गाँव/वार्ड	गाँव में मौजूद समस्त घर	गाँव में उपलब्ध समस्त संसाधन
2							

नोट : प्रभाव के क्षेत्र वाले कॉलम में आपदा विशिष्ट से प्रभावित हो सकने वाली आबादी एवं घरों की संख्या तथा उस क्षेत्र में पड़ने वाले संसाधनों को दर्शाया जायेगा। **उपरोक्त सूचनाएं उदाहरण मात्र हैं।**

3.2 ऐतिहासिक एवं भावी खतरों की समय रेखा

गाँव के लिए वर्तमान एवं भावी खतरों व जोखिमों की पहचान करने के बाद गाँव को प्रभावित करने वाली इन आपदाओं एवं उनके कालक्रम को समझना होगा। इसके लिए पी0आर0ए0 विधि समयरेखा उपयुक्त विधि है।

उद्देश्य

- गाँव के लिए वर्तमान एवं भावी आपदाओं की पहचान करना।
- गाँव में विगत 50 वर्षों में आयी आपदाओं के ऊपर समझ बनाना।
- भविष्य मे आने वाली आपदाओं एवं उससे होने वाली प्रभावों का अनुमान लगाना
- गाँव के लिए बड़ी आपदा को जानना।
- आपदा की तीव्रता को समझना।
- आपदा के प्रभावों पर समझ स्पष्ट करना।
-

इस विधि के अन्तर्गत सबसे पहले हम आपदाओं को सूचीबद्ध कर लेंगे। तत्पश्चात् सूचीबद्ध आपदाओं के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को समझना आवश्यक होगा। इस हेतु ऐतिहासिक समयरेखा का अभ्यास करते हुए आपदाओं के आने के क्रम या स्वरूप में आये परिवर्तन सम्बन्धी सूचनाओं को जानें। इस विधि के माध्यम से समुदाय के लोग अपने गांव में आयी आपदाओं एवं उससे होने वाली क्षति को पुनः स्मरण करते हुए उसके बारे में बात–चीत कर सकेंगे। आइये जानें कि गांव में आपदाएं कब से आ रही हैं और उनमें क्या बदलाव आया है?

प्रकिया

इस विधि के तहत् गांव स्तर पर वरिष्ठ व बुजुर्ग व्यक्तियों के साथ विशिष्ट समूह चर्चा कर वर्तमान एवं भावी जलवायु परिवर्तन से पड़ने वाले प्रभावों से संबन्धित सूचनाओं का संकलन करें। इस विधि मे जलवायु परिवर्तन एवं आपदा के बदलते स्वरूप से सम्बन्धित प्रश्न करें और समुदाय से उनका उत्तर प्राप्त करें। उदाहरण स्वरूप– गांव में बाढ़ कब से आ रही है? क्या इसके आने के स्वरूप में बदलाव हुआ है ? यदि 'हां' तो आगे आने वाले समय में किस तरह के बदलाव होने के अनुमान लगते है? इन सभी प्रश्नो का उत्तर गांव में हुए किसी विकास कार्य से जोड़कर भी प्राप्त हो सकता है। इस विधि का उपयोग कर न सिर्फ बड़ी घटनाओं के वर्ष को याद करवायें, वरन् उन घटनाओं के कारणों पर भी व्यापक चर्चा करें। इसी समय आपदाओं से हुई क्षति एवं क्षति को कम करने के लिए पूर्व में किये गये प्रयासों की भी जानकारी प्राप्त करें।

इस विधि के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं को निम्नवत् प्रारूप पर प्रदर्शित किया जा सकता है–

प्रारूप सं0 4 : आपदाओं का ऐतिहासिक घटनाक्रम व सम्बन्धित जानकारी

क्रम संख्या	वर्ष	घटना क्रम/ आपदा	घटनाओं के कारण	मृतको की संख्या	प्रभावित लोगों की संख्या	घटना के बाद आपदा जोखिम, न्यूनीकरण के लिए कोई कदम उठाया गया

3.3 मौसमी कलेण्डर

किस मौसम में कौन सी आपदा प्रभावित करती है, इसे जानने के लिए आपदाओं का मौसमी कलेण्डर बना लेंगे।

उद्देश्य

- विभिन्न आपदाओं के आने के समय की जानकारी होना।
- मौसम अनुसार आपदाओं की तीव्रता का अनुमान लगाने की क्षमता बढ़ना।

प्रकिया

आपदाओं का मौसमी कलेण्डर बनाते समय चार्ट पेपर पर दो कॉलम बनाकर बांयी तरफ वाले कॉलम में आपदाओं के नाम लिख लें व दाहिनी तरफ वाले कालम में जनवरी से लेकर दिसम्बर तक के महीनों के नाम लिखें। फिर उपस्थित समुदाय से पूछ कर विभिन्न आपदाओं के प्रभाव वाले महीनों को विभिन्न रंगों से रंग दें अथवा एक तीर खींच दें। उदाहरणस्वरूप– समुदाय के अनुसार बाढ़ आने का समय जुलाई से अक्टूबर तक है तो जुलाई से लेकर अक्टूबर तक एक तीर खींच दें अथवा एक जैसे रंग से इन चारों महीनों को रंग दें। मौसमी कलेण्डर का प्रारूप निम्नवत् है –

प्रारूप सं0 5 : आपदाओं का मौसमी कलेण्डर

आपदा	जन	फर	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर
बाढ़												
सूखा												
ओलावृष्टि												
शीतलहर												
लू लगना												
संक्रामक बीमारियां												

3.4 प्राथमिकीकरण

आपदाओं को सूचीबद्ध करने तथा उनका इतिहास जानने के बाद गांव के लिए सबसे बड़ी आपदा को जानें। यह भी जानें कि किन क्षेत्रों पर किस आपदा का कितना और क्या प्रभाव पड़ता है? उदाहरणस्वरूप – यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि बाढ़ आपदा का क्या प्रभाव पड़ता है? प्रतिभागियों की तरफ से यह बताया जा सकता है कि – बाढ़ आपदा से खेत/फसल नुकसान हो जाता है, रोजी–रोजगार नहीं मिलता, पशुओं को चारा नहीं मिलता, बाढ़ के पानी में डूबने से मानव जीवन खतरे में पड़ जाता है आदि। उपरोक्त बात–चीत से स्पष्ट हुआ कि आपदा का प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ता है।

प्रकिया

अब इन विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ने वाले प्रभावों को देखते हुए आपदाओं का प्राथमिकीकरण करने हेतु मैट्रिक्स का उपयोग करें। इसके अन्तर्गत तालिका बनाकर उसमें बायीं तरफ पिछली चर्चा में निकली आपदाओं को लिख लें और दायीं तरफ प्रभाव के क्षेत्र– जैसे– मानव, पशु, खेती, रोजी–रोजगार, आदि को लिख लें (प्रारूप सं0 6)। अब उपस्थित लोगों से कहें कि प्रभाव के आधार पर सभी क्षेत्रों को 1 से 10 के बीच कोई नम्बर दें। यह भी स्पष्ट करें कि 10 नम्बर अधिकतम प्रभाव के लिए तथा 1 नम्बर न्यूनतम प्रभाव के लिए अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थ – यदि बाढ़ आपदा से खेत ज्यादा प्रभावित होते हों तो उसके लिए 10 नम्बर और मकान पर सबसे कम प्रभाव पड़ता हो तो उसके लिए 1 नम्बर दें। यही क्रम सभी आपदाओं के लिए अपनाऐं। पुनः प्राप्त अंकों को बांये से दांये के क्रम में जोड़कर योग वाले कॉलम में लिख लें। जिस आपदा के लिए प्राप्त अंकों का योग सबसे अधिक होगा, वो आपदा उस गांव के लिए सबसे बड़ी आपदा होगी।

प्रारूप सं0 6 : आपदाओं का प्राथमिकीकरण

आपदा	प्रभाव का क्षेत्र*							योग
	मानव	पशु	खेती	आजीविका	पशुचारा	मकान	सड़क/सम्पर्क मार्ग	
बाढ़	5	8	9	9	9	3	5	48
सूखा	3	3	9	6	6	0	0	27

*प्रभाव क्षेत्र के अन्तर्गत गांव विशेष की स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर और भी बिन्दु आ सकते हैं।

नोट : उपरोक्त प्रारूप में भरे गये विवरण का उदाहरण लें, जहां पर बात–चीत के बाद यह स्पष्ट हो रहा है कि गांव के लिए बाढ़ बड़ी आपदा है, क्योंकि उसे सर्वाधिक अर्थात् 48 नं0 मिले हैं और उसका प्रभाव भी विभिन्न क्षेत्रों पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। **यह सिर्फ उदाहरण मात्र है।**

परिणाम

- इस प्रक्रिया के माध्यम से आपदाओं के बारे में समुदाय की समझ विकसित होगी।
- आपदाओं के इतिहास के बारे में स्पष्टता होगी।
- वहां के लोगों/संसाधनों इत्यादि पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में स्पष्टता होगी।
- गांव के लिए बड़ी आपदा की पहचान हो पायेगी।

4. नाजुकता विश्लेषण

4.1 नाजुकता की पहचान एवं विश्लेषण

किसी भी गाँव एवं वहां के समुदाय की नाजुकता का आंकलन जितना बेहतर होगा, आपदा प्रबन्धन योजना का निर्माण भी उतना ही बेहतर किया जा सकेगा। इसलिए आवश्यक है कि सम्बन्धित गाँव/समुदाय की नाजुकता को गम्भीरता से समझें। सामान्यतः किसी भी आपदा से उसके प्रभाव क्षेत्र में आना वाला प्रत्येक व्यक्ति/समुदाय प्रभावित होता है, परन्तु संसाधन विहीन एवं वंचित तबका सर्वाधिक नाजुक वर्ग की श्रेणी में आता है। अतः आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु कोई भी कार्य शुरू करने से पहले हमें वहां के नाजुक वर्ग/समूह/समुदाय की समझ होना आवश्यक है। नाजुक समुदाय की पहचान करने के बाद ही हम उपलब्ध संसाधनों के आधार पर गतिविधि सम्पादित करने हेतु प्राथमिकता तय करते हैं।

इस प्रक्रिया हेतु विभिन्न स्तरों (समुदाय स्तर व परिवार स्तर) पर होने वाली नाजुकता को समुदाय के समक्ष स्पष्ट करें। समूह चर्चा के दौरान उपरोक्त दोनों स्तरों पर नाजुकता से सम्बन्धित सूचनाओं को एकत्र कर उन्हें सूचीबद्ध करें ताकि योजना निर्माण के समय अत्यन्त नाजुक श्रेणी वाले स्थानों/व्यक्तियों/समूहों को ध्यान में रखा जाये।

प्रक्रिया

इस प्रक्रिया के अन्तर्गत बैठक में उपस्थित लोगों से कहें कि वे सर्वाधिक कमजोर आबादी की पहचान कर बतायें। वे यह भी पहचान करें कि महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, शारीरिक व मानसिक रूप से अस्वस्थ लोग ज्यादातर किस क्षेत्र में रहते हैं? इसके अलावा यह भी जानने/पहचानने का प्रयास करें कि गाँव में कच्चे घर, निचली सतह वाले स्थान, कमजोर बुनियाद वाले घर, नदी/नाले के पास वाले घरों की स्थिति कहां–कहां पर है? इस हेतु सामाजिक मानचित्रण सर्वाधिक सहायक विधि है।

नाजुकता विश्लेषण के दौरान गाँव में उपलब्ध जल क्षेत्र, सड़क, विद्युत, संचार सुविधा इत्यादि की स्थिति का ज्ञान भी नाजुकता/अतिसंवेदनशीलता विश्लेषण के लिए आवश्यक है। जिस हेतु **संसाधन मानचित्रण** का उपयोग करना उपयोगी होगा।

उपरोक्त सूचनाओं को प्राप्त करने हेतु सामाजिक एवं संसाधन मानचित्रण के अलावा केन्द्रित समूह चर्चा (Focus Group Discussion) भी सहायक सिद्ध होगी–

4.2 केन्द्रित समूह चर्चा (Focused Group Discussion)

प्रक्रिया

प्रतिभागियों से ध्यानपूर्वक निम्नलिखित कहानी सुनने का आग्रह करें:

- एक गांव में स्कूल के विद्यार्थियों का रिजल्ट खराब ही रहता है। लड़कियां भी प्रायः 5वीं कक्षा के बाद स्कूल आना छोड़ देती हैं। कई लड़कियों की तो कम उम्र में शादी ही हो जाती है। गांव की गर्भवती महिलाओं की हालत भी अच्छी नहीं है और कुपोषण के चलते छोटे बच्चों का विकास भी अवरूद्ध है।
- जबकि इस गांव में तीन साल पहले स्कूल और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (PHC) का नया भवन निर्मित हुआ है। आठवीं तक का स्कूल और पी.एच.सी. का भवन बहुत अच्छी हालत में है।
- विचार करें कि जब स्कूल और पी.एच.सी. के भवन इतनी अच्छी हालत में है तो लड़कियों/महिलाओं/बच्चों की हालत इतनी खराब क्यों है?
  सहजकर्ता निम्न बिन्दुओं को प्रतिभागियों से साझा न करें। निम्न बिन्दु सहजकर्ता के उपयोग हेतु हैं जिनका उपयोग सत्र के अन्त में समूह चर्चा के दौरान किया जा सकता है–
- क्या अधोसंरचना की कमी से?
- क्या अधोसंरचना के आपदारोधी न होने से?
- क्या आपदा के दौरान सेवा बाधित होने से?
- क्या राशि की कमी से?
- क्या सप्लाई की कमी से?
- क्या सेवाओं की गुणवत्ता में कमी से?
- क्या सेवादाताओं की लापरवाही से?
- क्या परिजनों की लापरवाही से?
- क्या पंचायत द्वारा इन विषयों को प्राथमिकता न देने की वजह से?
  सभी संभावित कारणों पर चर्चा करायें।
  परिणाम निकालें कि–
- ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सभी विभागों और पंचायत ने अधोसंरचनाओं पर ध्यान दिया लेकिन व्यक्ति और समुदाय के विकास को नजर अंदाज कर दिया।
- समुदाय ने भी अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया।
  सीखः जरूरी है कि अधोसंरचनाओं और आर्थिक विकास के साथ–साथ सामाजिक और वैयक्तिक विकास के प्रति पूरी तरह सचेत रहा जाये।
  प्रतिभागियों को बताएं कि महिलाओं/बालिकाओं से जुड़े मुद्दों की पहचान के लिए विषय केन्द्रित समूह चर्चा एक कारगर तरीका है।

ठीक इसी तरह गांव में घटित होने वाली आपदा के सन्दर्भ में लोगों व संसाधनों की नाजुकता को व्यापक रूप में समझने के लिए यह आवश्यक है कि इस पर विस्तृत रूप में केन्द्रित समूह चर्चा की जाये। समूह चर्चा में यह जानने का प्रयास करें कि गाँव में **"कौन और क्या"** नाजुक है और उसकी नाजुकता बढ़ने का कारण क्या है? जब गांव में जी पी डी पी बनाने की प्रक्रिया के दौरान केन्द्रित समूह चर्चा कर रहे हो तो निम्न बिंदुओ पर भी अवश्य चर्चा करें।

- गांव में कौन सी आपदा से ज्यादा प्रभाव पड़ता है और क्यों?
- किसी भी आपदा के दौरान कौन सी बुनियादी सुविधाएं/सेवाएं ज्यादा प्रभावित होती है?
- गांव मुख्यतः किस खतरे से प्रभावित है?
- गांव के किस क्षेत्र में कमजोर लोगों का निवास है?
- आपके गांव में आपदाओं के सन्दर्भ में सबसे कमजोर/संवेदनशील वर्ग/समुदाय कौन सा है?

प्राप्त संख्यात्मक सूचनाओं को निम्न प्रारूप पर संकलित करें–

प्रारूप सं0 7 : नाजुकता के सन्दर्भ में प्राप्त सूचनाओं के संकलन हेतु प्रारूप

खतरा	नाजुक संवर्ग व उनकी संख्या								
	घर			लोग			संसाधन		
		नाम	सं0	वर्ग	नाम	सं0	प्रकार	सं0	टिप्पणी
बाढ़	तटबंध के किनारे के 10 घर	1. 2. 3.	5	वृद्ध		4	आंगनबाड़ी केन्द्र	1	
			5	बच्चे		13	पंचायत भवन	1	
				गर्भवती / धात्री महिलाएं		2	हैण्डपम्प,	4	
				किशोरियां		5	कुंआ	2	
				दिव्यांग		0	मार्ग / पुल		
				बीमार / रोगी		2			

परिणाम

उपरोक्त प्रारूप पर संकलित सूचनाओं के आधार पर किसी भी आपदा के समय नाजुक व्यक्तियों के बारे में प्राप्त जानकारी के आधार पर हम बचाव कार्य में उनको प्राथमिकता देंगे। वहीं दूसरी तरफ संसाधन, बुनियादी सुविधाओं एवं आजीविका के बारे में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर शमन, पूर्व तैयारी, रोक–थाम एवं पुनर्प्राप्ति की गतिविधियां निर्धारित की जायेंगी।

5. क्षमता आकलन

5.1 संसाधन मानचित्रण क्यों?

- गांव में प्राकृतिक संसाधनों जैसे भूमि, मिट्टी, पानी, जंगल, नदी, झरना, पहाड़, खलिहान, नालाबंदी, मेड़ बंदी आदि की पहचान के लिए।
- जल स्रोत तथा बाढ़ एवं जल निकासी की दिशा की जानकारी के लिए
- गांव की सार्वजनिक भू–सम्पत्ति व साधन, स्कूल, अस्पताल, पोस्ट ऑफिस, आंगनवाड़ी भवन, पंचायत भवन की भौगोलिक स्थिति के मानचित्रण के लिए।
- प्रकृति या मानव निर्मित संसाधनों की भौगोलिक स्थिति के मानचित्र के लिए।
- जीवकोपार्जन के साधन जैसे फसल, पशु पालन, मछली पालन, सामाजिक वानिकी, कृषि वानिकी, बाग–बगीचा, रेशम, कुक्कुट, मधुमक्खी पालन आदि धन्धों के चिन्हीकरण के लिए।

ध्यान रखें–

- ☞ नक्शे के उद्देश्यों पर स्पष्टता से विचार–विमर्श/जिससे समुदाय में शंका का भाव समाप्त हो।
- ☞ गांव में उपलब्ध राजस्व नक्शे, कन्दूर के नक्शे, हवाई फोटोग्राफ (जो उपलब्ध हों) को भी देखें।
- ☞ मौजूदा सूचनादाताओं की संख्या और प्रतिनिधित्व में उनके सही अनुपात को गांव में उपलब्ध संसाधनों की चेकलिस्ट सूचनादाताओं के सहयोग से तैयार करें। संसाधन चित्रण के दौरान इस सूची के आधार पर उपलब्ध संसाधनों को चिन्हित करवायें।
- ☞ संसाधन चित्रण की प्रक्रिया के दौरान विवादास्पद संसाधनों के बारे में ज्यादा खोज–बीन न करें।
- ☞ **कैसे?**
- ☞ मानचित्रण प्रारम्भ करने से पूर्व की गतिविधियां :
- ☞ तारीख, समय और स्थान का निर्धारण करना।
- ☞ समुदाय के हितग्राहियों की सूचना देना।
- ☞ मानचित्रण के लिए चाक, रंगीन पाउडर जैसी सामग्री की व्यवस्था करना।
- ☞ मानचित्रण प्रक्रिया के दौरान की गतिविधियां :
- ☞ समुदाय को प्रोत्साहित करना।
- ☞ समुदाय को प्रेरित करके सबसे पहले गांव की सीमाएं बनाना।
- ☞ सीमाएं बनाने के बाद विभिन्न अधोसंरचनाओं जैसे सड़क, पुल, विद्यालयों, स्वास्थ्य केन्द्र और पूजा स्थल आदि को नक्शे में उकेरना।
- ☞ बसाहट के प्रकार जैसे घरों की बसाहट, घर का प्रकार (कच्चा, पक्का, झोपड़) को नक्शे में उकेरना।
- ☞ अन्य सामाजिक संस्थान को, जैसे समुदाय द्वारा बताया जाना।

किसी भी समुदाय की वर्तमान व भावी नाजुकता को जानने के लिए गाँव का सामाजिक व प्राकृतिक संसाधन मानचित्रण किया जाना एक आवश्यक कार्य होता है। इससे हमें यह पता चलता है कि गाँव स्तर पर किस प्रकार के संसाधन उपलब्ध हैं? और उन संसाधनों तक लोगों की पहुंच है अथवा नहीं। मानचित्रण इसलिए भी उपयोगी होता है कि इसके माध्यम से हम लोगों/घरों/संसाधनों व गाँव में उपस्थित अन्य संसाधनों को एक ही स्थान पर बैठे–बैठे देख सकते हैं और उसी के आधार पर आपदा प्रबन्धन योजना निर्माण के दौरान गतिविधि निर्धारण का कार्य आसानी से कर सकते हैं। यह भी जानना जरूरी होगा कि समुदाय स्तर पर विभिन्न प्रकार के संसाधन होते हैं, जिन्हें उनकी प्रकृति के अनुसार अलग–अलग वर्गों में इस प्रकार देख सकते हैं–

भौतिक संसाधन : जैसे– तालाब, पोखर, चारागाह की भूमि, खाली जमीन, बाग–बगीचा, आपदा के दौरान मानव एवं पशुओं के शरणस्थली हेतु ऊँचे स्थान, नाव, आग बुझाने हेतु स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधन आदि को चिन्हित करना।

मानव संसाधन : जैसे– गाँव में तैराक, गोताखोर, नाविक आदि हैं अथवा नहीं। और यदि हैं भी तो उनकी संख्या कितनी है।

पर्यावरणीय संसाधन : जैसे – नदी, नाला, जंगल, डूब/निचला क्षेत्र, मृदा आदि।

सामाजिक संसाधन : गाँव में मौजूद सामाजिक–सांस्कृतिक संस्थानों जैसे – स्वयं सहायता समूह, नेहरू युवा संगठन, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल आदि एवं उनकी वास्तविक स्थिति के बारे में जानना।

स्थानीय ज्ञान एवं जानकारियां : समुदाय के स्थानीय ज्ञान एवं जानकारियों के ऊपर भी समझ विकसित करना। ये ज्ञान एवं जानकारियां ऐसी होती हैं, जो पीढ़ी–दर–पीढ़ी हस्तान्तरित होती रहती हैं और आपदा प्रबन्धन में उनकी विशिष्ट भूमिका होती है।

आइये जानें– गाँव में कौन–कौन से संसाधन उपलब्ध हैं और वो कहां–कहां पर स्थित है? इस हेतु प्रशिक्षक प्रतिभागियों को पूर्व की भांति समूहों में बांटकर उनके द्वारा पहले से तैयार किये गये सामाजिक मानचित्र पर संसाधन मानचित्रण करने को कहेंगे।

उद्देश्य

- संसाधन मानचित्रण के माध्यम से गाँव की सीमाएं व निकटस्थ गाँव की जानकारी होगी।
- गाँव में उपलब्ध अन्य सभी आधारभूत सेवा प्रदान करने वाले संसाधनों/संस्थानों/क्षमताओं के बारे में जानकारी मिलेगी।

गाँव के संसाधनों के विषय में मानचित्रण की प्रक्रिया लगभग सामाजिक मानचित्रण जैसी ही होती है। किन्तु संसाधन मानचित्रण में गाँव में उपलब्ध संसाधनों के विषय में जानकारी प्राप्त की जाती है। इस विधि के माध्यम से गाँव में उपलब्ध संसाधनों (भौतिक व पर्यावरणीय) को बेहतर ढंग से दर्शाया जा सकता है। हमने पूर्व में तैयार सामाजिक मानचित्र पर गांव एवं उसके आस–पास उपलब्ध ताल–तलैयों, पोखरों, बाग–बगीचों, पेड़–पौधों, नदी, नालों, जंगल, गांव तक पहुंचने के रास्तों आदि को अंकित कर

समूह अभ्यास :
प्रतिभागियों को पाँच समूहों में विभाजित कर प्रत्येक समूह को उपरोक्त पाँचों वर्गों में से एक–एक वर्ग के अन्तर्गत आने वाले संसाधनों की सूची तैयार करने को कहेंगे। एक बार सूची तैयार हो जाने के बाद पहले से तैयार सामाजिक मानचित्रण पर उन संसाधनों की उपलब्धता के स्थान को अंकित करने के लिए कहें।

लिया है। अब हम गाँव को मूलभूत सुविधाएं एवं सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थागत व्यवस्थाओं तथा आपदा से निपटने हेतु आवश्यक क्षमताओं को जानेंगे।
संसाधन मानचित्रण से प्राप्त सूचनाओं को निम्न प्रारूप में दर्ज करें –

प्रारूप सं0 8 : गाँव में उपलब्ध संसाधनों की सूची

क्रमांक	संसाधन का नाम	संख्या
1	**भौतिक संसाधन (इनको संसाधन मानचित्र पर अवश्य अंकित करें।)** ▪ पंचायत भवन/सामुदायिक केन्द्र ▪ उंचे स्थल/शरणालय ▪ नाव ▪ चारागाह ▪ आंगनबाड़ी केन्द्र ▪ विद्यालय ▪ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ▪ मन्दिर ▪ मस्जिद	

2	**पर्यावरणीय संसांधन (इनको संसाधन मानचित्र पर अवश्य अंकित करें।)** ▪ ताल–तलैया ▪ पोखरा ▪ बाग ▪ नदी ▪ नाला ▪ जंगल ▪ कृषिगत क्षेत्र ▪ खुला क्षेत्र/सामुदायिक भूमि	
3	**मानव संसाधन (इनके नाम व सम्पर्क नं0 सहित सूची तैयार करें)।** ▪ तैराकों की संख्या ▪ नाविकों की संख्या ▪ गोताखोरों की संख्या ▪ डाक्टर ▪ अप्रमाणिक डाक्टर ▪ भूतपूर्व सैनिक ▪ आंगनबाड़ी कार्यकत्री ▪ शिक्षक ▪ पंचायत प्रतिनिधि ▪ युवक मंगल दल ▪ अन्य सामुदायिक संस्थाएं	

प्रक्रिया के दौरान निम्न सूचनाएं भी अवश्य ले और उन्हें संकलित कर ले।

- समुदाय में उपलब्ध संसाधनों तक किसकी पहुंच और नियंत्रण हैं?
- समुदाय के किसके (परिवार तथा समुदाय सदस्य) पास सबसे कम संसाधन हैं?
- कौन से संसाधन खतरे में हैं?
- वे किस कारण से खतरे में हैं?

परिणाम

संसाधन मानचित्रण के माध्यम से हमारे सामने स्पष्ट होगा कि आपदाओं से निपटने हेतु हमारे गाँव में कौन–कौन से संसाधन उपलब्ध हैं और बाहर से हमें किन संसाधनों की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही हमें गाँव में स्थित आपदा से निपटने के लिए विभिन्न क्षमताओं का भी ज्ञान होगा।

5.2 रिसोर्स मैट्रिक्स

संसाधन मानचित्रण के माध्यम से अभी तक हमने गाँव में उपलब्ध संसाधनों को जाना है। आइये अब गाँव के लिए उपलब्ध व उपयोगी बाह्य संस्थानों की पहचान करें–

उद्देश्य

- आपदाओं से निपटने हेतु गाँव में उपलब्ध व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक संसाधनों एवं क्षमताओं को जानना।
- आपदा प्रबन्धन की दृष्टि से संसाधनों व क्षमताओं की कमी की पहचान करना।

रिसोर्स मैट्रिक्स बनाते समय कोरोना के सापेक्ष पंचायत स्तर पर निम्न संसाधनों के बारे में जानकारी रखना अति आवश्यक होगा:

- पर्याप्त मात्रा में 1 प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट का घोल
- स्प्रे मशीन
- पर्याप्त मात्रा में फेस मास्क एवं हैंड सैनिटाइजर
- पी पी ई किट

प्रक्रिया

इस प्रक्रिया के अन्तर्गत आपदाओं से निपटने हेतु गाँव स्तर पर उपलब्ध व्यक्तिगत, सामूहिक एवं सार्वजनिक सभी प्रकार के संसाधनों व क्षमताओं, उनकी संख्या तथा संसाधन अथवा क्षमता का उपयोग करने हेतु सम्बन्धित व्यक्ति के नाम व सम्पर्क नं0 को निम्न प्रारूप पर सूचीबद्ध कर लें।

प्रारूप सं0 9 : संस्थाओं की उपलब्धता एवं गाँव की दूरी

विवरण	कुल संख्या	सम्पर्क व्यक्ति का नाम, नम्बर	गाँव से दूरी
अस्पताल सरकारी			
अस्पताल प्राईवेट			
स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्र			
दवा की दुकान			
डाक्टर			
एम्बुलेंस सेवा			
पुलिस थाना			
फायर स्टेशन			
स्कूल			
सामुदायिक केन्द्र			
पावर स्टेशन			
ट्यूबवेल			
बस स्टेशन			
रेलवे स्टेशन			
सरकारी सस्ते–गल्ले की दुकान			
बाढ़ चौकी			

नोट : उपरोक्त सूची के अलावा स्थान विशेष के अनुसार अन्य संस्थान/सेवा प्रदाता भी हो सकते हैं, जिन्हें सूचीबद्ध करना आवश्यक होगा।

सत्र 3

तीसरा चरण : आवश्यकताओं/समस्याओं की पहचान एवं प्राथमिकताओं का निर्धारण

प्रमुख विषय	• आवश्यकताओं/समस्याओं की पहचान एवं प्राथमिकताओं का निर्धारण • जोखिम न्यूनीकरण गतिविधियों की पहचान • योजनाओं/कार्यक्रमों की पहचान
समय	2 घंटा
प्रशिक्षण की विधि	बड़े समूह में चर्चा, समूह अभ्यास, प्रस्तुतीकरण
प्रशिक्षण सामग्री	मार्कर, चार्ट पेपर

सत्र के उद्देश्य

इस सत्र के अंत तक प्रतिभागी:

- आवश्यकताओं/समस्याओं की पहचान पर समझ विकसित कर पायेगें।
- प्राथमिकता का निर्धारण किन आधारों पर होता है, इन पर समझ विकसित कर पायेगें।
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण गतिविधियों की पहचान कर पायेगें।
- उन योजनाओं/कार्यक्रमों को चिन्हित कर पायेगें जो आपदा जोखिम को कम करने में सहायक हो सकते हैं।

सत्र प्रक्रिया

- परिस्थिति विश्लेषण के फलस्वरूप निकल कर आयी समस्याओं की सूची बनाना।
- पेअर मैट्रिक्स आदि विधियों के प्रयोग द्वारा प्राथमिकता का निर्धारण कराना।

यहां पर प्रतिभागियों को यह बतायें कि पिछले सत्र में हमने ग्राम पंचायत की परिस्थिति विश्लेषण हेतु विभिन्न पी.आर.ए. टूल्स का प्रयोग किया। इन टूल्स के प्रयोग से जो भी समस्याएं निकल कर आयी उन्हें एक फार्मेट पर समेकित कर लिखें जिससे गांव की पूरी समस्याओं को एक जगह लाकर आगे की प्रक्रिया अर्थात् प्राथमिकता का निर्धारण किया जा सके। हम सभी यह जानते हैं कि जितनी भी समस्याएं परिस्थिति विश्लेषण से निकल कर आई हैं, उनको एक वर्ष में पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए हमें उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप उन्हें लेना होगा और इसके लिए आवश्यक है कि जरूरी विषयों को ही पहले साल में लें। अतः आवश्यक है कि उपलब्ध बजट के अनुसार ही हमको समस्याओं में से प्राथमिकता को निकालना होगा। इसको निकालने के लिए हमें दो तरीके अपनाने होंगे जिनका विवरण नीचे दिया गया है–

Participatory Rural Appraisal (PRA) टूल्स के माध्यम से गांव की परिस्थिति विश्लेषण के फलस्वरूप निम्नलिखित प्रपत्र/प्रारूप पर अलग–अलग क्षेत्र की समस्याएं लिखें, जिससे हमें प्राथमिकता निर्धारण में सहायता मिल सके। (पृष्ठ संख्या 107 पर संलग्नक 4 को रेफर करें)

प्रारूप पर आये विषयों की प्राथमिकता का निर्धारण करने हेतु सबसे पहले यह देखें कि–

- ज्यादा से ज्यादा लोगों का हित समाहित हो
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हित में हो
- जलवायु परिवर्तन व आपदाओं के प्रभाव को कम करने वाला हो।
- महिलाओं और बच्चों के हित में हो
- समस्या गंभीर प्रकृति की हो
- बजट की उपलब्धता हो
- जो स्थानीय स्तर पर समुदाय की जरूरत हो

प्राथमिकता निर्धारण का दूसरा तरीका है पेअर मैट्रिक्स जिसे प्राथमिकता निर्धारण हेतु छोटे समूह में प्रयोग किया जा सकता है।

जैसे– परिकल्पना कीजिए कि ग्राम पंचायत में पांच समस्याएं निकल कर आईं– स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, सफाई, नाली निर्माण। अब इन पांच विषयों में हमको प्राथमिकता करनी है, तो पेअर मैट्रिक्स से आसानी से किया जा सकता है।

विषय	1 स्वास्थ्य	2 शिक्षा	3 पेयजल	4 सफाई	5 नाली निर्माण
1. स्वास्थ्य		1	1	1	1
2. शिक्षा			3	4	2
3. पेयजल				3	4
4. सफाई					4
5. नाली निर्माण					

उपर्युक्त चार्ट में हमने क्या किया यह समझें। हमारे पास जो पांच समस्याएं निकल कर आई, उनको हमने उपरोक्त चार्ट में वर्टीकल एवं होरिजेंटल भर दिया और उनको क्रम से लिख दिया। छोटे समूह में क्रमशः दो विषयों के जोड़े को लेकर सवाल पूछा कि– आपके अनुसार गांव में स्वास्थ्य पर कार्य करना आवश्यक है या फिर शिक्षा पर और फिर उनके द्वारा दिये गये जवाब के अनुसार भरते गये। अंत में हमने यह देखा कि हमारे पास कुछ इस प्रकार की लिस्ट तैयार हो गई। अब हम देखेंगे कि किसको लोगों ने दोहराया है। हम देख सकते हैं कि उपरोक्त चार्ट में लोगों ने स्वास्थ्य को ज्यादा बार दोहराया है। अर्थात् 1 नं0 जिस पर स्वास्थ्य को रखा गया है, चार बार आया है तो, यह पहली प्राथमिकता हो गई। संख्या 4 जिस पर सफाई वर्णित है वो तीन बार आया है तो वह दूसरे नं0 की प्राथमिकता हो गई और अंत में सबसे कम प्राथमिकता नाली निर्माण की मिली अर्थात् उपरोक्त तालिका के माध्यम से छोटे समूह में प्राथमिकता का निर्धारण किया जा सकता है।

कम लागत अथवा बिना लागत के कार्य (पठन सामग्री1)

इसके बाद इस विषय पर भी चर्चा करें कि बहुत से ऐसे कार्य हैं जिसमें लागत की आवश्यकता या तो नहीं है या बहुत ही कम लागत से भी इसे पूरा किया जा सकता है। प्रतिभागियों को कहें कि वे किसी एक ऐसी गतिविधि को पेपर पर लिखें जिसमें लागत की आवश्यकता या तो नहीं है या बहुत ही कम लागत लग सकती है। सभी के उत्तरों को एकत्रित करें और प्राप्त उत्तरों को **पठन सामग्री–1** में दी गयी सूची से मिलाएं। बाद में चर्चा करें कि यह सभी ऐसी गतिविधियां हैं जो प्रायः अनदेखी कर दी जाती हैं परन्तु यह काफी महत्वपूर्ण हैं और इन्हें योजना निर्माण में शामिल किया जाना चाहिए।

जोखिम न्यूनीकरण गतिविधियों की पहचान (पठन सामग्री 2)

इसके अन्तर्गत गांव को प्रभावित करने वाली सभी प्रकार की आपदाओं के बारे में व्यापक जानकारी एकत्र करने के पश्चात् समुदाय के साथ मिलकर सहभागी पद्धति से आपदा जोखिम न्यूनीकरण की गतिविधियों पर चर्चा की जायेगी। विषय प्रवेश कराने के पश्चात् प्रशिक्षक प्रतिभागियों से यह प्रश्न पूछते हुए कि ''आपदाओं के सन्दर्भ में उत्पन्न जोखिमों को रोकने या कम करने के लिए आप गाँव स्तर पर कौन–कौन से उपाय अपनाते हैं?'' चर्चा शुरू कर सकता है।

10 मिनट चर्चा करने के बाद प्रशिक्षक प्रतिभागियों के बीच में एक–एक कार्ड वितरित कर दें। तत्पश्चात् प्रतिभागियों को कहें कि वे अपने–अपने कार्ड पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण को ध्यान में रखते हुए एक–एक उपाय कार्ड पर लिखे। इस बीच प्रशिक्षक पाँच चार्ट पेपर तैयार कर लें जिसमें पाँचों चरण (रोकथाम, पूर्व तैयारी, शमन, रिस्पान्स और पुनर्वापसी) लिखे हो। कार्डों को एकत्र कर पहले से बनाये हुए पाँच चार्ट पेपर पर पहले से लिखे गये पाँचों चरण के नीचे चस्पा करते चलें। इसके बाद प्रशिक्षक आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं उसके अन्य घटकों पर प्रस्तुतिकरण के माध्यम से चर्चा करें।

योजनाओं/कार्यकमों की पहचान (पठन सामग्री 3)

जोखिम न्यूनीकरण के उपायों व गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा कर लेने के बाद प्रतिभागियों से पूछे कि उनके गांव में सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं व कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रतिभागियों से प्राप्त जबाब व्हाइट बोर्ड या चार्ट पेपर पर नोट करते चलें। एक बार सभी योजनाओं/कार्यक्रमों को सूचीबद्ध कर लेने के बाद उनसे कहें कि वे उन योजनाओं/कार्यक्रमों को चिन्हित करें जो आपदा जोखिम को कम करने में सहायक हो सकते हैं। इस प्रक्रिया से प्रतिभागियों को यह स्पष्ट होगा कि वे अपने गांव के परिप्रेक्ष्य मे कौन कौन सी योजनाओं का सहयोग जोखिम न्यूनीकरण के लिए ले सकते हैं?

प्रशिक्षकों के लिए मुख्य बातें

इस चर्चा के माध्यम से सभी प्रतिभागियों को यह जानकारी मिले कि ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्धारण में समुदाय के वंचित समूहों, महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगों, वृद्धों से जुड़े मुद्दे, कम लागत और बिना लागत वाले मुद्दे तथा शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के साथ–साथ जलवायु परिवर्तन व आपदा से जुड़े मुद्दे और उनके समाधान प्राथमिकता पर आ जाये।

प्रतिभागियों को बतायें कि–

- कॉलम नं0 3 और 4 में जानकारियां भरते समय सचेत और संवेदनशील रहें।
- किसी भी सेक्टर में आंकड़ों का विश्लेषण वंचित समुदाय के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए।
- ये जानकारियां ग्रामीण सहभागी आंकलन के लिए इस्तेमाल की गई सभी तकनीकों से सामने आई मैदानी/जमीनी हकीकतों, आपकी अंतर्दृष्टि और अनुभवों के आधार पर भरी जाये।
- गुणात्मक जानकारियों तथा ग्रामीण सहभागी आंकलन की विभिन्न तकनीकों के उपयोग के दौरान एकत्र किये गये आंकड़ों का दस्तावेजीकरण सही प्रकार से किया जाना जरूरी है।
- परिस्थिति विश्लेषण से पांचों क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति को जलवायु परिवर्तन व आपदा के परिप्रेक्ष्य में समझा जा सकता है।
- वर्तमान में चल रही योजनाओं, योजनाओं का कवरेज और क्रियान्वयन की गुणवत्ता का भी विश्लेषण किया जा सकता है।
- पंचायत स्तर पर संकलित और विश्लेषित पांचों क्षेत्रों की स्थिति की तुलना राष्ट्रीय/राज्य/जनपद स्तर के आंकड़ों से करना जरूरी है।
- इस प्रक्रिया से राष्ट्र, राज्य और जनपद की स्थितियों और पंचायत की स्थितियों के बीच अंतर का पता चलता है।
- इस अंतर के आधार पर पंचायत के स्तर को गंभीर, सामान्य और यथोचित की श्रेणी बांट सकते हैं।
- ग्राम पंचायत में एकत्र एवं विश्लेषित आंकड़ों को ड्राफ्ट रिपोर्ट के रूप में दिया जाना जरूरी है।

नोट : परिस्थिति विश्लेषण, उपरोक्त तालिका के आधार पर निम्नवत् प्रपत्र में किया जाये–

क0सं0	सेक्टर/विषय	वर्तमान स्थिति	समस्या/आवश्यकता	प्राथमिकता	निराकरण
सामाजिक तथा सुरक्षा सम्बन्धी मुद्दें					
1.					
2.					
3.					
4.					

पठन सामग्री

1. पंचायतों में कम लागत अथवा बिना लागत के कार्यो की सूची

- सारी गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण, आयरन गोली का सेवन, टी.टी. के टीके लगना और सारी आवश्यक गर्भ जांच।
- सभी संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करवाना।
- नवजात को तुरन्त एवं लगातार स्तनपान सुनिश्चित करवाना।
- सभी बच्चों का सम्पूर्ण टीकाकरण।
- गांव में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवा और सुविधाओं की गुणवत्ता की निगरानी।
- आंगनवाड़ी केन्द्रों पर उपलब्ध पूर्व शिक्षा और अन्य सुविधाओं की गुणवत्ता की निगरानी।
- सभी बच्चों का स्कूल में नामांकन एवं उपस्थिति।
- कोई भी बच्चा न स्कूल छोड़े और न निकाला जाये।
- स्कूलों में शिक्षा और अन्य सुविधाओं की गुणवत्ता की निगरानी।
- कोई बच्चा किसी आर्थिक लाभ या अन्य किसी प्रकार के काम में संलग्न न हो (बाल श्रमिक न हो)।
- स्वयं अथवा सरकार की सहायता से प्रत्येक घर में शौचालय की उपलब्धता हो और नियमित उपयोग किया जाता हो।(खुले में शौच मुक्त पंचायत)।
- कचरे के निपटान हेतु कूड़ेदान की व्यवस्था, तरह एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के नियमों का पालन, पंचायतों को स्वच्छ रखना।
- जनहित के कार्यों में जन सहयोग और श्रमदान सुनिश्चित करवाना।
- महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले मुद्दे जैसे कि दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, बाल श्रम, बाल विवाह, घरेलू हिंसा तथा नशे की लत आदि में व्यवहार परिवर्तन संचार करना।
- समुदाय के बीच आपदा व उससे उत्पन्न होने वाले जोखिमों के बारे में जागरुकता फैलाना।
- गांव में होने वाली विकासात्मक गतिविधियों पर निगरानी रखना ताकि विकासात्मक कार्य आपदारोधी हों।
- वर्तमान कोविड–19 की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस महामारी से बचाव के उपायों पर समुदाय के बीच जागरुकता फैलाना।
- लोगों द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु किये जा रहे प्रयासों में बढ–चढ कर हिस्सा लेना।
- गांव में समय–समय पर आपदा के सन्दर्भ में माकड्रिल का आयोजन करना।
- गाँव में सही जगहों के चुनाव उपरांत वृहद स्तर पर वृक्षारोपण करना।
- मानसून पूर्व पशुओं का टीकाकरण सुनिश्चित कराना।

2. जोखिम न्यूनीकरण गतिविधियों की पहचान

जोखिम न्यूनीकरण के उपायों पर सामुदायिक सदस्यों, स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों व अन्य हितभागियों के साथ मिलकर ऐसी गतिविधियों को चिन्हित करना चाहिए, जो आपदाओं की रोक–थाम करने और नाजुकता को कम करने में मदद कर सके। इसके अन्तर्गत रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जल निकासी का उचित प्रबन्धन, फसलों में विविधीकरण, वानिकीकरण, वृक्षारोपण इत्यादि जैसी गतिविधियों को चिन्हित किया जाता है।

ऐसा नहीं है कि आपदा प्रबन्धन का कार्य सिर्फ आपदा पूर्व के लिए ही होता है। आपदा के तीनों चरणों अर्थात् आपदा पूर्व, आपदा दौरान एवं आपदा के बाद में आपदाओं को रोकने, उनके कारण उत्पन्न खतरों के प्रभावों को कम करने तथा अन्य विकल्पों के माध्यम से क्षतिपूर्ति करने के लिए सुझाये गये कार्य/गतिविधियां आपदा प्रबन्धन हैं। मुख्य तौर पर जोखिम न्यूनीकरण के उपायों को

आपदा प्रबन्धन के पाँच घटकों के तहत् निर्धारित किया जायेगा। अतः इन पाँचों घटकों के ऊपर समुदाय को अपनी समझ बनाने की आवश्यकता होगी। ये पाँच घटक निम्नवत् हैं –

रोक–थाम

मौजूदा एवं नयी आपदाओं के कारण उत्पन्न होने वाले जोखिमों से बचाव हेतु की जाने वाली गतिविधियों एवं उपाय को रोक–थाम की श्रेणी में रखते हैं। रोक–थाम प्रक्रिया दो मुद्दों पर आधारित है–

- खतरे की पहचान (समुदाय के सामने आने वाले वास्तविक खतरों की पहचान)
- नाजुकता आकलन (आपदा के परिणामों को सँभालने के लिए समुदाय की जोखिम व क्षमता का आकलन)
- समुदाय को समझने की दृष्टि से रोक–थाम से सम्बन्धित कुछ गतिविधियों के **उदाहरण** निम्नवत् हो सकते हैं–

आपदा	व्यक्तिगत / पारिवारिक स्तर पर	समुदाय स्तर पर
बाढ़	घर की नींव ऊँची करने हेतु प्रोत्साहित करें।	बाढ़ से बचाव हेतु जागरूकता अभियान चलायें।
	पूर्व चेतावनी तंत्रों से जुड़ाव सुनिश्चित करें।	तटबंधों में आयी दरारों एवं छिद्रों को बन्द करें।
	बाढ़ क्षेत्र पर घर न बनायें।	नियमित पूर्वाभ्यास करें।
		तटबन्धों पर वृक्षारोपण करें।
सूखा	वर्षा जल संचय की व्यवस्था	जल संरक्षण के बारे में जागरूक करना तालाबों / पोखरों का पुनरोद्धार

शमन

आपदाओं के सम्भाव्य प्रभावों के उन्मूलन, परिणामों में कमी, उनकी तीव्रता में कमी अथवा जोखिमों को कम से कम करने की प्रक्रिया को शमन कहते हैं। शमन आपदाओं के प्रभाव से जीवन व सम्पत्ति के नुकसान को कम करने का प्रयास है। शमन से सम्बन्धित गतिविधियों के कुछ **उदाहरण** निम्नवत् हो सकते हैं–

आपदा	व्यक्तिगत / परिवार स्तर पर	समुदाय स्तर पर
बाढ़	व्यक्तिगत चापाकलों को ऊँचा करें व आस–पास पक्का चबूतरा बनायें	हैण्डपम्पों को सुरक्षित करना जैसे– हैण्डपम्पों की मरम्मत, चापाकल को ऊँचा करना, ऊँचा पक्का चबूतरा बनवाना, विसंक्रमण करें आदि।
	यथासंभव शौचालय का निर्माण ऊँचे स्थान पर करें।	परिवार एवं मवेशियों की खाद्य सुरक्षा हेतु अनाज एवं चारा बैंक की स्थापना करें।
	घरों में छज्जे बनवायें ताकि उस पर खाद्यान्न एवं जलावन का भण्डारण कर सकें।	गाँव में हो रहे विभिन्न निर्माणों पर निगरानी रखना ताकि वे मानक के अनुरूप हों एवं बाढ़ से सुरक्षित स्थलों पर ही बनें।
सूखा	सूखा सहनशील सब्जी, फल व फसलों की प्रजातियों को अपनाना फसल बीमा	गाँव में खाली पड़े जमीन पर सघन वृक्षारोपण

		मनरेगा के माध्यम से जल प्रबन्धन तकनीकों जैसे – टपक सिंचाई, बौछारी सिंचाई, मेड़बन्दी आदि का विकास एवं प्रसार करना।
		स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से अनाज बैंक, बीज बैंक आदि का सुदृढ़ीकरण करना।

पूर्व तैयारी

किसी आपदा की आशंका या आपदा और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तैयार रहने की स्थिति को पूर्व तैयारी कहते हैं। यह तैयारी सरकार, समुदाय एवं अन्य सभी हितभागियों के लिए आवश्यक होती है। उन गतिविधियों की पहचान करें, जिन्हें पूर्व में अपनाकर आपदा/आपदाओं से नुकसान को कम किया जा सकता है। पूर्व तैयारी से सम्बन्धित गतिविधियों का व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं समुदाय तीनों स्तर पर निर्धारण करें। गतिविधियों के कुछ **उदाहरण** निम्नवत् हो सकते हैं–

आपदा	व्यक्तिगत/पारिवारिक स्तर पर	समुदाय स्तर पर
बाढ़	कम से कम सात दिनों के लिए सूखा भोजन (लाई, चिउरा, भुना चना, गुड़ आदि) का संग्रहण व भण्डारण सुनिश्चित करें।	मानसून से पहले तटबंधों का निरीक्षण कर कमजोर/क्षतिग्रस्त या खतरे वाले स्थानों के बारे में स्थानीय प्रशासन/जिला प्रशासन/जल संसाधन विभाग को सूचित करें ताकि समय से उसकी मरम्मत हो सके।
	शरणस्थल पर अस्थाई आवास हेतु पालीथीन शीट, रस्सी, बांस की व्यवस्था रखें।	सुरक्षित आश्रयस्थल/शरणस्थली और वहां तक पहुँचने के लिए सुरक्षित मार्ग को पहले से ही चिन्हित कर लें एवं उसके बारे में समुदाय के लोगों को जागरूक करें।
	प्रकाश व्यवस्था हेतु मोमबत्ती, माचिस, टार्च इत्यादि की व्यवस्था रखें।	ग्राम पंचायत में स्थित नाव मालिकों की सूची बनाकर उन्हें नाव को आपदा हेतु तैयार रखने के लिए प्रेरित करें।
सूखा	खेतों में मेड़बन्दी खेत तालाब बनाना	गाँव में स्थित सभी तालाबो का सुदृढीकरण किया जाना सामुदायिक स्तर पर अनाज बैंक, बीज बैंक बनाना
		मौसम के पूर्वानुमान के आधार पर तालाब, पोखरों आदि जल संचय स्रोतों में जलभराव की व्यवस्था सुनिश्चित करना।

रिस्पान्स

आपदा प्रबन्धन में रिस्पान्स एक प्रमुख घटक है, जो आपदा के दौरान की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों को इंगित करता है।

आपदा	व्यक्तिगत/परिवार स्तर पर	समुदाय स्तर पर
बाढ़	बाढ़ क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए पहले से चिन्हित रास्तों से ही निकलें।	नाजुक वर्गों (महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगों, वृद्धों, बीमार व्यक्तियों) को प्राथमिकता के आधार पर आपदा प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकालें।
	रेडियो व टीवी से बाढ़ सम्बन्धी सूचनाएं निरन्तर लेते रहें।	बाढ़ शरणालयों में स्वच्छ पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित कराने तथा साफ–सफाई की व्यवस्था सुचारू रखने हेतु संबन्धित विभाग से निरन्तर सम्पर्क में रहें।

पुनर्प्राप्ति

आपदा के बाद लोगों के जीवन को पुनः व्यवस्थित करने के लिए पुनर्स्थापन की बात की जानी आवश्यक है। पुनर्प्राप्ति वह गतिविधि है जो मनुष्यों और निर्मित बुनियादी ढांचे को न्यूनतम जीवन संचालन मानकों पर लौटाती है और आपदा के बाद जीवन को सामान्य स्तर पर वापस लाने के लिए डिजाइन किए गए दीर्घकालिक प्रयासों का मार्गदर्शन करती है। आपदाओं से निपटने के लिए पूर्व तैयारी जितनी अधिक होगी, रिस्पान्स/प्रतिउत्तर व पुनर्स्थापन का कार्य उतना ही बेहतर होगा। समुदाय के पुनर्स्थापन में सम्बन्धित विभिन्न विभागों की सक्रिय भूमिका होगी, जिसकी स्पष्टता जिम्मेदारियों का बंटवारा करते समय सुनिश्चित कर लेना चाहिए।

आपदा	व्यक्तिगत/परिवार स्तर पर	समुदाय स्तर पर
बाढ़	व्यक्तिगत तौर पर हुई मानव, पशु अथवा फसल क्षति का आकलन करना एवं उसकी क्षतिपूर्ति हेतु विभिन्न योजनाओं से जुड़ाव सुनिश्चित करना।	सामुदायिक संसाधनों व बुनियादी ढांचों की क्षति का आकलन कर उसके आधार पर आगामी कार्ययोजना तय करना।
	घरों की मरम्मत एवं टूट–फूट को सही करना।	विगत आपदा से सीख लेकर आगामी रणनीति तैयार करना एवं उसके अनुरूप पूर्व तैयारी की गतिविधियों को सुनिश्चित करना।
	विगत आपदा से सीख लेकर आपदा अनुकूल निर्माण करना।	

3. योजनाओं/कार्यक्रमों की पहचान

ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कई योजनाएं लागू की जा रही हैं। जीपीडीपी के माध्यम से इन योजनाओं का अभिसरण इन योजनाओं के प्रभाव और ग्रामीण क्षेत्रों के व्यापक विकास में काफी सहयोग प्रदान करता है। अतएव गतिविधियों का निर्धारण करते समय यह जानना अधिक जरूरी होगा कि गांव स्तर पर कौन–कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं और उन्हें आपदा प्रबन्धन योजना निर्माण में किस तरह से उपयोग किया जा सकता है। उदाहरणस्वरूप – आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सम्पर्क मार्गों का निर्माण, मेडबन्दी, वृक्षारोपण, तालाब की खुदाई, खेतों का समतलीकरण आदि गतिविधियां चिन्हित की जा सकती हैं और उन्हें गांव स्तर पर चलने वाली राष्ट्रीय योजना **मनरेगा** से जोड़ा जा सकता है।

इसके अलावा पंचायतों से अपेक्षा की जाती है कि वे भारत के संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषयों के संबंध में ग्रामीण लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए योजना बनाएं। इस संदर्भ में यह महत्वपूर्ण है कि योजना निर्माण में आपदा प्रबन्धन के सन्दर्भ को भी ध्यान में रखें। इन 29 विषयों में बहुत सी ऐसी गतिविधियों/हस्तक्षेपों का प्राविधान है जो जलवायु व आपदा जोखिमों को कम करने में सहयोगी हो सकती हैं और जिन्हें जी.पी.डी.पी. में शामिल कर जलवायु व आपदा जोखिमों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसके अलावा, इन विषयों के संबंध में केंद्र और राज्य सरकार की अन्य योजनाओं को भी देखने की आवश्यकता है। आवश्यक होगा कि हम उन योजनाओं के साथ आपदा जोखिम न्यूनीकरण को जोड़ते हुए विभिन्न आपदाओं के सन्दर्भ में अपने गाँव को आपदा जोखिमों के प्रभाव से कम करने में सक्षम हो पायें। इसी क्रम में बहु आपदाओं के सन्दर्भ में 29 विषयों में निहित कुछ ऐसी योजनाओं के महत्वपूर्ण अभिसरण का विवरण **सहयोगी दस्तावेज संख्या** 2 में दिया गया है।

इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कई ऐसी योजनाएं संचालित की जा रही जिनमें कई ऐसी गतिविधियों को किया जा सकता है जो जलवायु व आपदा के जोखिम को कम करने में सहायक हो सकती हैं। ऐसी ही कुछ गतिविधियों/हस्तक्षेपों का विवरण **सहयोगी दस्तावेज संख्या 3** में दिया गया है।

सत्र 4

दिन भर की सीख

प्रमुख विषय	दिन भर की गतिविधियों पर प्रश्नोत्तर एवं दूसरे दिन की गतिविधियों पर चर्चा
समय	1 घंटा
प्रशिक्षण की विधि	बड़े समूह में चर्चा
प्रशिक्षण सामग्री	मार्कर, चार्ट पेपर

सत्र के उद्देश्य

इस सत्र के अंत तक प्रतिभागी:

- दिन भर की गतिविधियों का पुनरावलोकन करते हुए उसे तीसरे दिन के विषयों के साथ जोड़कर देख पाने में सक्षम होंगे।

सत्र प्रकिया

- खुले सत्र के माध्यम से प्रतिभागियों के प्रश्नों का समाधान करें।
- तीसरे दिन के विषयों से परिचित करायें।

दूसरे दिन के सत्र का समापन।

दिवस : 3

दिवस–3

सत्र : 1

चौथा चरण : संसाधनों का निर्धारण एवं ड्राफ्ट तैयार करना

प्रमुख विषय	जोखिम सूचित ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए संसाधनों का निर्धारण एवं ड्राफ्ट प्लान तैयार करना (ग्राम पंचायत समिति का कार्य)
समय	2 घंटा 30 मिनट
प्रशिक्षण की विधि	समूह चर्चा, प्रस्तुतीकरण, संवाद
प्रशिक्षण सामग्री	चार्ट, पेपर, मार्कर, पी.पी.टी. विषय–वस्तु से संबंधित या पहले से लिखा हुआ मेटा कार्ड

सत्र के उद्देश्य

इस सत्र के अंत तक प्रतिभागी:

- ग्राम पंचायतों को उपलब्ध मानवीय एवं वित्तीय संसाधनों पर समझ विकसित कर पायेंगे।
- प्राथमिकताओं और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर ड्राफ्ट प्लान विकसित करने पर समझ विकसित कर पायेंगे।

सत्र के प्रक्रिया

- ग्राम पंचायतों को कहां–कहां से आय प्राप्त होती है तथा पंचायत स्तर पर किन–किन विभागों द्वारा कर्मी नियुक्त किये गये हैं एवं इनकी मदद कैसे ली जा सकती है, इस पर चर्चा करना।
- सेट फार्मेट पर उपलब्ध संसाधनों के आधार पर ग्राम पंचायत की विकास योजना के प्रारूप पर चर्चा करना।

पठन सामग्री

इस सत्र में हम दो गतिविधियों पर चर्चा करेंगे। पहला–पंचायत में उपलब्ध संसाधन (वित्तीय एवं मानवीय संसाधन) के सापेक्ष (आवश्यकताओं/प्राथमिकताओं) को ध्यान में रखते हुए ड्राफ्ट प्लान कैसे तैयार करेंगे। दूसरा– ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने हेतु ग्राम पंचायतों में उपलब्ध संसाधनों का आंकलन किया जायेगा।

ग्राम पंचायत में उपलब्ध संसाधनों की सूची तैयार करने में मानव संसाधन एवं वित्तीय संसाधन का आंकलन मुख्य रूप से किया जायेगा। किसी भी देश अथवा प्रदेश का विकास केवल सरकारी क्षेत्र के परिव्यय पर ही निर्भर नहीं करता, अपितु अन्य क्षेत्रों से उपलब्ध होने वाले संसाधनों का भी विभिन्न विकास कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करते समय राज्य द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले संसाधनों के अतिरिक्त विभिन्न स्रोतों जैसे– सहकारी समितियां, वित्तीय स्वायत्तशासी संस्थाएं, लोगों की निजी पूंजी आदि स्रोतों से उपलब्ध संसाधनों का भी आंकलन किया जाना चाहिए।

पूर्व वर्षों की उपलब्धियों एवं भावी संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखने से यह अनुमान लगाना संभव हो सकेगा कि उनके आधार पर संचालित किये जाने वाले आर्थिक एवं अन्य कार्यक्रमों को भी योजना में सम्मिलित किया जाना है। मानव संसाधन के अन्तर्गत विभागीय कर्मचारियों एवं अन्य मानव संसाधन जैसे– स्वयं सहायता समूह, सेवा निवृत्त व्यक्तियों इत्यादि का भी सहयोग प्राप्त कर ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने एवं क्रियान्वित करने में योगदान लिया जाना होगा।

प्रदेश की ग्राम पंचायतों में उपलब्ध मानव संसाधन निम्नवत् है–

- **मानव संसाधन**

  क. मानव संसाधन–पंचायती राज एवं ग्राम विकास विभाग के कर्मचारीगण

क्र0सं0	प्रति 10 ग्राम पंचायत के कलस्टर पर कर्मचारियों की उपलब्धता	विभाग का नाम	औसत संख्या	कार्यक्षेत्र
1	सचिव	पंचायती राज एवं ग्राम विकास	2	ग्राम पंचायत स्तर के समस्त कार्य
2	सफाईकर्मी		18	स्वच्छता
3	रोजगार सेवक (संविदा पर)		10	मनरेगा के अन्तर्गत आने वाले कार्य
4	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिषन			योजना में उपलब्ध संसाधन

क0सं0	प्रति 10 ग्राम पंचायत के कलस्टर पर कर्मचारियों की उपलब्धता	विभाग का नाम	औसत संख्या	कार्यक्षेत्र
1	ए.एन.एम.	स्वास्थ्य	10	स्वास्थ्य सम्बन्धी
2	आशा (संविदा पर)	स्वास्थ्य	10	स्वास्थ्य सम्बन्धी
3	आंगनबाड़ी कार्यकत्री	आई.सी.डी.एस.	24	बच्चों और गर्भवती महिलाओं की सहायता
4	तकनीकी सहायक (संविदा पर)	ग्राम्य विकास	15	मनरेगा
5	पशुधन प्रसार अधिकारी	पशु–पालन	1	पशुपालन
6	साक्षरता प्रेरक	साक्षरता एवं वैयक्तिक	10	वयस्क साक्षर

मानव संसाधन के उपरान्त ग्राम पंचायतों के पास दूसरा महत्वपूर्ण संसाधन वित्तीय संसाधन है जो निम्नवत् है–

क0सं0	योजना/संसाधन का नाम	वर्ष 20..–..		टिप्पणी
क.	ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध वित्तीय/मानव संसाधन	मानव संसाधन	वित्तीय संसाधन	
1	स्वयं के आय के स्रोत (OSR)			
2	14वां वित्त आयोग			
3	चतुर्थ वित्त आयोग			
4	मनरेगा			
5	शून्य लागत की पहल			
6	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिषन			
7	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)			
8	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिषन			
9	सर्व शिक्षा अभियान			
10	महिला एवं बाल विकास			
11	पशुपालन			
12	वन विभाग			
13	अन्त्येष्टि स्थलों का विकास			
14	राम मनोहर लोहिया समग्र विकास– सी.सी. रोड/केसी. ड्रेन			
15	अन्य			
ख.	**संरचनात्मक संसाधन**			
1	पंचायत भवन			
2	आंगनवाड़ी केन्द्र			
3	अन्य			
ग.	**अन्य संसाधन**			
1	डेस्क टॉप कम्प्यूटर, प्रिन्टर			
2	इन्टरनेट सुविधा			
3	एन.आई.सी./सूचना एवं प्रोद्यौगिकी विभाग के उपलब्ध संसाधन			
4	द्वितीय/सहयोगी आंकड़ों के स्रोतः जनगणना 2011 सांख्यिकी विभाग के आंकड़े ग्रामीण आर्थिक एवं सांख्यिकी बुलेटिन			

वित्तीय संसाधन

ग्राम पंचायतों को चौदहवें वित्त आयोग की बड़ी धनराशि प्राप्त होगी, इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायतों में उपलब्ध धनराशि निम्नलिखित मदों में प्राप्त होती है–

- स्वयं के संसाधन से (कर आदि लगाये जाने से प्राप्त धनराशि)।
- चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली धनराशि।
- राज्य वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली धनराशि।
- राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान के अन्तर्गत उपलब्ध होने वाली धनराशि।
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि।
- अंत्येष्टि स्थलों के विकास योजना के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि।
- सी.सी. रोड एवं के.सी. ड्रेन योजना के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि।
- निजी पूंजी से प्राप्त धनराशि।
- पंचायत घर निर्माण।
- अन्य संसाधन यदि कोई हो।
- वर्ष 20....–.... में उपलब्ध होने वाली धनराशि।

ग्राम पंचायत में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का दो स्वरूप दिखायी देता है, पहला टाइड तथा दूसरा अनटाइड जिनका विवरण निम्नवत् है–

टाइड फंड : यह फंड जिसे सीमित मद में ही उपयोग किया जा सकता है अर्थात् यह पहले कहां खर्च किया जायेगा, यह पहले से ही निर्धारित होता है जैसे–

- **स्वच्छ भारत मिशन :** रू0..... करोड़ सम्पूर्ण राज्य के लिए
- **पंचायत भवन :** रू0..... करोड़ सम्पूर्ण राज्य के लिए (चिन्हित ग्राम पंचायतों को)
- **अन्त्येष्टि स्थलों का विकास** : रू0..... करोड़ सम्पूर्ण राज्य में चयनित ग्राम पंचायतों के लिए
- **सी.सी. रोड व के.सी. ड्रेन नाली** : रू0..... करोड़ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ग्रामों के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली अनुमानित धनराशि

योजना का नाम	प्रति ग्राम पंचायत प्रतिवर्ष	प्रति ग्राम पंचायत प्रत्येक 5 वर्ष में
एस.बी.एम.	..... लाख अनुमानित	..... लाख
पंचायत भवन (चयनित ग्राम पंचायत हेतु)	..... करोड़ सम्पूर्ण राज्य के लिए	..... करोड़ पूरे राज्य के लिए

अनटाइड फंड : यह वह फंड है जिसके लिए सीमित मद नहीं होता है, अर्थात् कई विकल्प होता है जहां ग्राम पंचायत अपनी आवश्यकतानुसार खर्चा कर सकता है–

- चौदहवें वित्त आयोग : रू. ..... लाख प्रति ग्राम पंचायत, रू0 ..... प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष
- राज्य वित्त आयोग : रू0 ..... लाख औसतन प्रति ग्राम पंचायत
- राजस्व से प्राप्तियां (कर व गैर कर) : ग्राम पंचायतों द्वारा निर्धारित किया जायेगा
- सी.एस.आर. गतिविधियां : इस मद में राज्य जिला प्रशासन तथा पंचायतों के प्रयासों से प्राप्त धनराशि
- वी.एच.एस.एन.सी. फण्ड : रू0 ..... प्रति ग्राम पंचायत
- मनरेगा : रू0 ..... लाख वर्ष ..... में सम्पूर्ण प्रदेश के लिए .... वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली अनुमानित धनराशि।

मद का नाम		प्रति ग्राम पंचायत 5 वर्ष
चौदहवां वित्त आयोग	..... लाख	.....लाख
राज्य वित्त आयोग	..... लाख	..... लाख
वी.एच.एस.एन.सी.	..... हजार	..... हजार
मनरेगा	..... लाख	..... लाख

ड्राफ्ट स्टेट्स प्लान तैयार करना

पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण के माध्यम से सभी प्रतिभागियों को ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार करने के जरूरी निर्देशों से परिचित करें।

- प्रत्येक सेक्टर की रिपोर्ट में–
  - ✓ प्रत्येक अध्याय में परिचय, स्थिति, चर्चा करने वाले बिन्दु, चयनित मुद्दे, कमियां और सुझाव अवश्य होने चाहिए।
  - ✓ उससे जुड़ी योजना का जिक्र अवश्य हो।
- उन गतिविधियों का विवरण हो
- जिन्हें ग्राम पंचायत में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर लिया जा सकता है।
- जिन पर ग्राम पंचायत का अधिकार नहीं है तथा वे गतिविधियां योजना के माध्यम से की जा सकती हैं।
- जिनमें मरम्मत की आवश्यकता है और उन्हें कम खर्च या बिना खर्च के किया जा सकता है।
- जिन क्षेत्रों में कन्वर्जेंस (अभिसरण) की संभावना है।
- अन्य विशेष स्थानीय विषय, जिस पर चर्चा करने की जरूरत महसूस की जाती है, उसे अलग अध्याय के रूप में रिपोर्ट में संलग्न किया जा सकता है।
- आवश्यक हो तो, आंकड़ों की तालिका बना कर परिशिष्ट के रूप में रिपोर्ट के साथ संलग्न की जा सकती है।
- प्रत्येक क्षेत्र पर विस्तार से चर्चा करने के पश्चात् रिसोर्स समूह ''विकास की ड्राफ्ट परिस्थिति रिपोर्ट'' तैयार कर सकते हैं।

इसके बाद प्रारूप पर चर्चा करें

ड्राफ्ट रिपोर्ट का प्रारूप

प्रतिभागियों को प्राथमिकीकरण के प्रपत्र से परिचित करवाएं

ग्राम पंचायत का नाम :
क्षेत्र पंचायत का नाम :
जिला पंचायत का नाम :
वर्ष .....

क्रम	कार्य का नाम	कार्य का विवरण	कार्य का क्षेत्र	परिसम्पत्ति का स्थान	अनुमानित धनराशि	अवधि	लाभार्थी अंश	योजना का परिव्यय (सामान्य एवं एससीएसटी)

उपरोक्त प्रारूप पर प्रतिभागियों को प्रस्तुतीकरण करने में मदद करें एवं प्रस्तुत करायें। उसके बाद अगले की प्रक्रिया के बारे में चर्चा करें।

ग्राम सभा में ड्राफ्ट रिपोर्ट के अनुमोदन की गतिविधियों की निम्नवत् चर्चा पर प्रस्तुतीकरण करें–

- ग्राम सभा की बैठक में विकास स्थिति की ड्राफ्ट रिपोर्ट का वाचन करना/ पढ़ा जाना।
- यह वाचन पंचायत नियोजन समिति के सदस्यों/स्रोत समूह के सदस्यों/कार्यवाही समूह के सदस्यों द्वारा पढ़ा जाये।
- पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, सम्पर्क और जन स्वास्थ्य आदि मानव विकास संवेदी मुद्दों के साथ–साथ जलवायु परिवर्तन व आपदा प्रबन्धन के मुद्दों को अधिक महत्व दिया जाये।
- इस वाचन के आधार पर ग्राम सभा पांचों क्षेत्रों के मुद्दों पर विचार–विमर्श करें और उनमें सुधार के लिए विकास की एक समग्र परिकल्पना का निर्माण करें।

यह परिकल्पना इस बिन्दु पर केन्द्रित हो कि ग्राम सभा अपनी पंचायत को 5–10 साल बाद किस रूप में देखना चाहती है। विशेष रूप से–

- ✓ स्वच्छता और प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन के क्षेत्र में।
- ✓ जलवायु परिवर्तन व आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में।
- ✓ महिलाओं और बच्चों के सम्बन्ध में।
- ✓ अति गरीब और वंचित वर्गों के सम्बन्ध में।
- ✓ दिव्यांग तथा बहु–बाध्यता वाले लोगों के सम्बन्ध में।
- इस प्रकार के मुश्किल और कठिन मुद्दों की पहचान करना जिन्हें प्राथमिकता में लेना जरूरी है।
- ग्राम पंचायत के रिसोर्स एन्वेलप पर चर्चा।
- रिसोर्स एन्वेलप की कमियां और विकास की जरूरतों को पूरा करने में समुदाय की भागीदारी पर चर्चा।

विगत सत्र की भांति इस सत्र में भी प्रतिभागियों में से किन्हीं दो प्रतिभागियों को स्वेच्छा से प्रस्तुतीकरण के लिए आमंत्रित करें। उनसे कहें कि उपरोक्त सूचनाओं और विगत सत्र के दस्तावेजों के आधार पर उन्हें विकास की स्थिति की ड्राफ्ट रिपोर्ट DSR का प्रस्तुतीकरण करना है।

सत्र : 2

पांचवा चरण : तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति

प्रमुख विषय	जोखिम सूचित ग्राम पंचायत विकास योजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति (ग्राम सभा की खुली बैठक में) एवं आगे की क्रियान्वयन की रणनीति पर चर्चा
समय	1 घंटा 45 मिनट
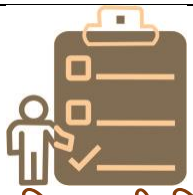 प्रशिक्षण की विधि	समूह चर्चा, प्रस्तुतीकरण, संवाद
प्रशिक्षण सामग्री	चार्ट, पेपर, मार्कर, पी.पी.टी. विषय–वस्तु से संबंधित या पहले से लिखा हुआ मेटा कार्ड

सत्र के उद्देश्य

इस सत्र के अंत तक प्रतिभागी:

- पंचायत की वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति की सीमा पर समझ विकसित कर पाने में सक्षम होगें।
- क्रियान्वयन की रणनीति पर समझ विकसित कर पायेगें।

सत्र प्रक्रिया

- यहां पर ग्राम पंचायत से जिले स्तर तक वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति की क्या परिसीमाएं है? इस पर प्रस्तुतीकरण के माध्यम से चर्चा कराना।
- ड्राफ्ट पालन का ग्राम सभा की बैठक में प्रस्तुतीकरण, अनुमोदन एवं आगे की रणनीति पर चर्चा करना।

पठन सामग्री

प्रतिभागियों को परियोजना निर्माण के दौरान की जाने वाली गतिविधियों के बारे में बतायें कि–

- संबंधित विभागों के कर्मियों की सहायता से परियोजना बनाई जाती है और बजट का आंकलन भी किया जाता है।
- राज्य की मार्गनिर्देशिका के अनुसार ग्राम पंचायत से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति ली जाती है।
- राज्य की मार्गनिर्देशिका के अनुसार तकनीकी सेल/अफसरों से तकनीकी स्वीकृति ली जाती है।

प्रतिभागियों को परियोजना की विषय–वस्तु तथा परियोजना निर्माण के प्रारूप के बारे में बतायें कि–
परियोजना निर्माण में निम्नलिखित अवयवों (अंशों) का होना आवश्यक है, जैसे कि–

- परियोजना का शीर्षक
- परिस्थिति विश्लेषण के आंकड़ों के आधार पर परिचय– पृष्ठभूमि और परियोजना का सारांश
- परियोजना का विवरण
- परियोजना के उद्देश्य
- परियोजना का स्थान
- परियोजना के अंश एवं गतिविधियों का विवरण
- बजट–लागत और फंड का स्रोत– परियोजना के अंशवार लागत और फंड का विवरण
- समयावधि और कार्ययोजना– परियोजना के क्रियान्वयन का कैलेण्डर
- क्रियान्वयन योजना और क्रियान्वयन हेतु संस्था
- अपेक्षित परिणाम– ग्राम सभा के निर्णयों के आधार पर लाभार्थी/लाभान्वित क्षेत्र
- कार्यवाही और रख–रखाव– कार्यवाही और रख–रखाव की प्रणाली
- अनुश्रवण–अनुश्रवण के सूचक और अनुश्रवण हेतु प्रस्तावित पद्धति

परियोजना निर्माण का प्रारूप जिसे प्रशासनिक/वित्तीय/तकनीकी स्वीकृति के लिए प्रयोग किया जायेगा

ग्राम पंचायत का नाम
परियोजना का प्रकार
विकास का क्षेत्र
शीर्षक

क्रमांक	विषय	
1	परिचय	
2	विवरण	
3	उद्देश्य	
4	अपेक्षित परिणाम/दूरगामी परिणाम	
5	स्थान	
6	परियोजना के अवयव (अंश)	
7	क्रियान्वयन योजना और क्रियान्वयन हेतु संस्था	
8	अनुश्रवण प्रणाली	

क0 सं0	विषय								
9	बजट		14वां वित्त	स्वयं की आय	मनरेगा	राष्ट्रीय आजीविका मिशन	अन्य	कुल अंश	
		कुल							
10	समयावधि	गतिविधि	जनवरी – फरवरी	मार्च– अप्रैल	मई– जून	जुलाई– अगस्त	सितम्बर – अक्टूबर	नवम्बर– दिसम्बर	कुल उपलब्ध बजट
		1							
		2							

वित्तीय स्वीकृति के मापदंड

प्रशासनिक स्वीकृति– ग्राम सभा से अनुमोदन के पश्चात् ग्राम पंचायत द्वारा

02 लाख रूपये तक : ग्राम पंचायत के द्वारा

02 से 02.50 लाख रूपये तक : ए.डी.ओ. पंचायत द्वारा

02.50 से 05.00 लाख रूपये तक : डी.पी.आर.ओ. के द्वारा

05.00 लाख रूपये से ऊपर : जिलाधिकारी के द्वारा

प्रत्येक परियोजना दस्तावेज ग्राम पंचायत विकास योजना का हिस्सा होती है। निर्मित ग्राम पंचायत विकास योजना को अगली ग्राम सभा में रखा जाता है।

परियोजना निर्माण के बाद

- परियोजनाओं के तकनीकी मूल्यांकन की व्यवस्था की जाती है।
- तकनीकी सेल/अफसरों को तकनीकी अनुमोदन के लिए पत्र भेजा जाता है।
- तकनीकी अनुमोदन के आधार पर ग्राम पंचायत विकास योजना को अन्तिम रूप दिया जाता है।
- ग्राम सभा के दौरान प्राथमिकीकरण की सूची का मिलान करते हुए ग्राम पंचायत समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।
- तकनीकी अनुमोदन के पश्चात् ग्राम पंचायत विकास योजना को पुष्टि हेतु ग्राम पंचायत समिति के समक्ष रखा जाता है।
- अन्तिम अनुमोदन से पहले ग्राम पंचायत समिति को इस बात की पुष्टि करनी चाहिए कि योजना का निर्माण लिये गये निर्णयों के अनुरूप है।

ग्राम पंचायत समिति की बैठक के बारे में प्रतिभागियों को बतायें कि–

- बैठक में ग्राम पंचायत के सभी सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित हो
- जिन विभागों के माध्यम से परियोजना का क्रियान्वयन होना है उन विभागों के प्रतिनिधियों की बैठक में प्रतिभागिता सुनिश्चित हो।
- स्रोत समूह के प्रतिनिधियों की उपस्थिति और भागीदारी सुनिश्चित हो जिससे हर जिज्ञासा का उत्तर दिया जा सके।
- ग्राम सभा द्वारा किये गये प्राथमिकीकरण की तुलना और चर्चा की जा सके।
- ग्राम पंचायत कमेटी द्वारा परियोजना और बजट का अनुमोदन हो।
- बैठक के दौरान हुई चर्चा को रिकार्ड किया जाये। उसकी रिपोर्ट बनाने की जिम्मेदारी पंचायत सचिव की होती है।

- बैठक के अन्त में निर्णय ों को सभी को पढ़कर सुनाया जाना चाहिए और उस पर सभी समितियों के अध्यक्ष और सदस्यों के हस्ताक्षर लेने चाहिए।
- ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तारीख, स्थान और समय निर्धारित करना चाहिए।
- ग्राम सभा में लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए की जाने वाली गतिविधियों पर चर्चा और निर्णय लिया जाना चाहिए।
- इस बैठक में परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान उनके अनुश्रवण की प्रक्रिया के सम्बन्ध में ग्राम सभा के सभी सदस्यों को प्रेरित और संवेदित किया जाना चाहिए।
- अनुमोदित योजना को प्लान–प्लस सॉफ्टवेयर पर अपलोड करना।

ग्राम सभा से अनुमोदन से पूर्व कुछ गतिविधियां निम्नानुसार संचालित की जाती है–

- वातावरण निर्माण की गतिविधि– ग्राम सभा में अधिक से अधिक संख्या में समुदाय को भागीदारी के लिए प्रेरित करने हेतु।
- ग्राम सभा की बैठक के स्थान पर बैठने, साउंड सिस्टम, पीने के पानी आदि की व्यवस्था करना।
- ग्राम सभा में प्रतिभाग करने हेतु संबंधित विभागों को सूचना भेजना।
- गांव वालों को ग्राम सभा में भागीदारी के लिए सूचना भेजना।

ग्राम सभा से अनुमोदन के दौरान गतिविधियां

- ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत विकास योजना एवं परियोजनावार विवरण का प्रस्तुतीकरण।
- तैयार की गई जोखिम सूचित ग्राम पंचायत विकास योजना पर चर्चा।
- ग्राम सभा द्वारा योजना का अनुमोदन।
- बैठक की गतिविधि रिपोर्ट तैयार करना। इस बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट प्लान प्सल पर पी0डी0एफ0 फाइल इस बात की पुष्टि हेतु अपलोड की जाती है। यह कार्य योजना सबकी सहभागिता एवं ग्राम सभा के अनुमोदन के साथ बनाई गई है।
- ध्यान रखें कि योजना को क्रियान्वित करने वाले ग्राम प्रधान, सचिव, ग्राम पंचायत सदस्य और विभाग के प्रतिनिधियों की उपस्थिति आवश्यक है।

ग्राम सभा से अनुमोदन के बाद की गतिविधियां

1. क्रियान्वयन की रणनीति को अन्तिम रूप देना।
2. परियोजना के तकनीकी अनुमोदन के लिए पहल करना।
3. ग्राम सभा के दौरान लिये गये निर्णयों को नोटिस बोर्ड पर चिपकाना और अन्य स्थानीय संस्थाओं में प्रदर्शित करना।
4. अनुमोदित योजना को जिला एवं ब्लॉक पंचायत को जानकारी/अनुमोदन हेतु भेजना।
5. योजना की फाइनल प्रति जिसमें क्रियान्वयन प्रणाली और आवंटित धनराशि का विवरण शामिल हो, को नोटिस बोर्ड पर चिपकाना और अन्य स्थानीय संस्थाओं में प्रदर्शित करना।

योजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण

क्रियान्वयन

यह सुनिश्चित करना कि योजना का सही प्रकार से क्रियान्वयन हो रहा है, ग्राम पंचायत को –

- ग्राम पंचायत विकास योजना के क्रियान्वयन और अनुश्रवण में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए।
- परियोजना के प्रारम्भ होने के समय गांव वालों के साथ करना चाहिए।
- सामग्री का उपार्जन पारदर्शी और बराबरी के तरीके से करना चाहिए।

- मजदूरों को काम उपलब्ध कराना चाहिए (कुशल/अर्ध–कुशल/अकुशल–मनरेगा जॉब कार्ड धारकों की सूची द्वारा)
- प्रतिदिन के मस्टर रोल पर उपस्थिति दर्ज करनी चाहिए।
- कार्य का निरीक्षण किया जाना चाहिए।
- कार्य/सामग्री का नाप–जोख और निरीक्षण और एम.बी. में लिखना/दर्ज करना चाहिए।
- नियामानुसार मजदूरों की मजदूरी का भुगतान करना चाहिए।
- विक्रेता को बिलों के आधार पर भुगतान करना चाहिए।
- संबंधित एकाउण्ट और रिकार्ड का व्यौरा रखना चाहिए।
- कार्य पूर्ण होने के पश्चात् कार्य पूर्ण होने की रिपोर्ट तैयार करना चाहिए।

अनुश्रवण

- ग्राम पंचायतों द्वारा कार्य योजना का निर्माण किया जायेगा तथा प्लान–प्लस साफ्टवेयर (www.planningonline.gov.in) पर कार्य योजना को अपलोड किया जायेगा। यह सचिव का दायित्व है।
- योजना के अवलोकन में पंचायत की स्थायी समितियों का सहयोग अत्यन्त महत्वपूर्ण होगा। निर्धारित कार्य के अनुसार जो भी संबंधित स्थायी समिति जिम्मेदार है वह अपनी सहायता हेतु लाभार्थियों के बीच से कुछ लोगों का चयन करें और हो रहे कार्यों की निगरानी में मदद के लिए एक अनुश्रवण समिति गठित कर लें। इससे लोगों की भागीदारी भी बढ़ेगी और साथ ही साथ विकास योजना के प्रति लोगों में अपनत्व और स्वामित्व का बोध भी आयेगा।
- योजना निर्माण संबंधी सभी व्यय 15वें वित्त आयोग की निधि से खर्च होंगे।
- एक्शन सॉफ्टवेयर (www.planningonline.gov.in) पर प्रत्येक कार्य की वर्क आई.डी. जेनरेट की जायेगी एवं कार्यो की मासिक प्रगति भी एक्शन सॉफ्टवेयर के माध्यम से रिपोर्ट की जायेगी।
- प्रिया सॉफ्टवेयर (www.planningonline.gov.in) पर कार्यों के आई.डी. (वर्क आई.डी.) के सापेक्ष खर्च का व्यौरा भी दिया जायेगा।
- योजना बनाने की प्रकिया का शत–प्रतिशत निरीक्षण सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) ए.डी.ओ. पंचायत द्वारा 03 माह में किया जायेगा।
- जिला पंचायत अधिकारी (DPRO) द्वारा 10 प्रतिशत निरीक्षण 03 माह में किया जायेगा।
- मुख्य विकास अधिकारी (CDO) द्वारा 2 प्रतिशत निरीक्षण 03 माह में किया जायेगा।
- संबंधित जिलाधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत के भ्रमण के समय ग्राम पंचायत विकास योजना का निरीक्षण किया जायेगा।

समीक्षा

ग्राम पंचायत विकास योजना एक जीवन्त दस्तावेज होता है, जिसकी समीक्षा कर प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अद्यतन किया जाना एक नियमित प्रक्रिया है। योजनाओं की समीक्षा प्रतिवर्ष सितम्बर माह में एक निर्धारित तिथि पर गांव पंचायत की खुली बैठक में की जायेगी तथा उक्त तिथि पर ही नई योजनाओं को शामिल करने का भी कार्य किया जायेगा ताकि वह 2 अक्टूबर को आयोजित होने वाली ग्राम पंचायत की आम सभा में प्रस्तुत की जा सके। समीक्षा से प्राप्त सूचनाओं का संकलन और विश्लेषण किया जायेगा और सामान्य समय में एवं आपदाओं के दौरान किये गये कार्यों से प्राप्त सीखों के आधार पर आगामी रणनीति का निर्धारण किया जायेगा।

प्रारूप सं0 :ग्राम पंचायत विकास योजना के क्रियान्यवन की समीक्षा

समीक्षा की तिथि :						
क्र0 सं0	कार्य / गतिविधि	क्रियान्वयन की प्रगति	किया गया कार्य जिसके द्वारा लाभान्वित हुआ	सहयोगी विभाग / व्यक्ति / समूह	अधूरा कार्य	टिप्पणी

समीक्षा हेतु सहयोगी दस्तावेज संख्या 4 में दिये गये चेकलिस्ट का उपयोग कर सकते हैं।

सत्र : 3

टास्क फोर्स द्वारा दिये जाने वाले कार्य

प्रमुख विषय	प्रशिक्षण के पश्चात् ग्राम पंचायत में योजना निर्माण के लिए टास्क फोर्स द्वारा किये जाने वाले कार्यों पर चर्चा
समय	1 घंटा
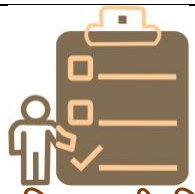 प्रशिक्षण की विधि	छोटे समूह में चर्चा एवं प्रस्तुतीकरण
प्रशिक्षण सामग्री	पी.पी.टी./कार्ड लेखन, मेटा कार्ड, मार्कर, चार्ट

सत्र के उद्देश्य

इस सत्र के अंत तक प्रतिभागी:

- प्रशिक्षण के पश्चात् टास्क फोर्स द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर योजना निर्माण की दशा में क्या–क्या कार्य किये जायेंगे इस पर समझ विकसित कर पायेगें।
- अगर प्रतिभागियों के कुछ सुझाव होगें तो वे उसे समाहित करने में सक्षम होंगे।

सत्र के उद्देश्य

इसमें ग्राम पंचायत स्तर पर योजना निर्माण हेतु किये जाने वाले सिलसिलेवार कार्यों पर चर्चा करें।

पठन सामग्री

प्रतिभागियों से चर्चा करें कि–

प्रशिक्षण पश्चात् टास्क फोर्स द्वारा ग्राम पंचायत में किये जाने वाले कार्य

1. ग्राम प्रधान एवं पंचायत समिति सदस्यों के साथ बैठक एवं चर्चा :
   - ग्राम प्रधान एवं समिति सदस्यों को प्रशिक्षण के सत्रों की जानकारी देना।
   - ग्राम पंचायत विकास योजना प्रक्रिया की सम्पूर्ण जानकारी देना।
   - ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक चरण में की जाने वाली गतिविधियों व अभ्यासों को करने हेतु जिम्मेदारी तय करना।
   - ग्राम पंचायत विकास योजना पर ग्राम सभा को जानकारी देने हेतु रणनीति तैयार करना।
   - ग्राम सभा में प्रस्तुतीकरण हेतु जिम्मेदारी तय करना।
   - ग्राम सभा की बैठक हेतु एजेण्डा के बिन्दुओं पर चर्चा करना।
   - चर्चा के दौरान ग्राम पंचायत में उपस्थित विकास के मुद्दों की सूची तैयार करना।
   - ग्राम पंचायत के Vision Statement को ग्राम सभा में किस प्रकार तय करेंगे इस पर चर्चा करना।
   - ग्राम प्रधान के माध्यम से सभी ग्राम सभा के सदस्यों को बैठक की सूचना देने हेतु माध्यम पर चर्चा करना। (मुनादी कराना, डुग्गी पिटवाना, पत्र भेजना, व्यक्तिगत सूचना देना आदि)
   - ग्राम पंचायत में प्रचार–प्रसार हेतु गतिविधियों पर चर्चा करना। (बैठक, प्रभात फेरी, रैली, दीवार लेखन, पत्राचार आदि)
   - ग्राम सभा में सभी वर्ग, समुदाय की प्रतिभागिता सुनिश्चित करने हेतु रणनीति पर चर्चा करना।
   - ग्राम पंचायत में मौजूद ऐसे लोग जो भविष्य में योजना निर्माण की प्रक्रिया में मदद करेंगे उन व्यक्तियों को चिन्हित करना।

गतिविधि	संभावित दिवस	उद्देश्य
टास्क फोर्स के प्रशिक्षित सदस्यों के प्रधान और पंचायत सदस्यों के साथ बैठक	1 दिन	• प्रशिक्षण की बातों को साझा करना। • सहयोग की अपेक्षा करना। • आगामी ग्राम सभा बैठक की तैयारी करना।
ग्राम सभा की बैठक	1 दिन	• जी.पी.डी.पी. के बारे में चर्चा करना। • पूरी प्रक्रिया को साझा करना। • आगामी गतिविधियों को साझा करना।
द्वितीयक आंकड़ों का संग्रहण	3 दिन प्रधान, सचिव, नियोजन समिति टास्कफोर्स	• आगामी पी.आर.ए. टूल्स के माध्यम से निकली वास्तविक स्थिति की तुलना हेतु एवं वास्तविक स्थिति निकालने हेतु।
परिस्थिति विश्लेषण सहभागी आकलन प्रक्रिया के माध्यम से विकासात्मक मुद्दों के आकलन के साथ–साथ खतरा, जोखिम, नाजुकता और क्षमता आकलन एवं विश्लेषण	2 से 3 दिन प्रधान, सचिव, नियोजन समिति, टास्कफोर्स	• गांव के समग्र विकास व आपदाओं के नजरिए से वास्तविक समस्याओं आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं के निर्माण में सहायता हेतु।
उपरोक्त स्रोतों से निकले बिन्दुओं को समेकित करना एवं सूचीबद्ध करना	3 दिन	• ताकि योजना बनाने में सफलता मिले और सही योजना बन सके।
संसाधनों की उपलब्धता का विवरण एवं संकलन	1 दिन	• जिससे कि ग्राम पंचायत की योजना में कौन–कौन से विषयों को उपलब्ध बजट के अनुसार लिया जा सके।

सत्र : 4

चर्चा एवं शंका समाधान

प्रमुख विषय	दिन भर की गतिविधियों पर प्रश्नोत्तर एवं शंका का समाधान
समय	45 मिनट
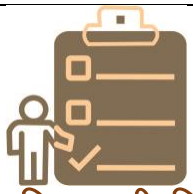 प्रशिक्षण की विधि	बड़े समूह में चर्चा
प्रशिक्षण सामग्री	दिन भर की गतिविधियों का पुनरावलोकन

सत्र के उद्देश्य

इस सत्र के अंत तक प्रतिभागी:

- खुले सत्र के माध्यम से प्रतिभागी अपने प्रश्नों का समाधान कर पाने में सक्षम होंगे।

सत्र प्रक्रिया

- यहां पर प्रतिभागियों को प्रेरित करें वे इन तीन दिनों में जो सीख बनी है अगर उन पर कोई संदेह या शंका हो तो प्रश्न करें।
- अगर प्रश्न आता है तो उत्तर दें।
- अगर कोई प्रश्न नहीं आता है तो पांचों चरणों एवं पांचों क्षेत्रों के बारे में पुनः सिलसिलेवार पुनरावलोकन करें।

धन्यवाद एवं प्रशिक्षण का औपचारिक समापन करें।

संलग्नक

ग्राम पंचायत गठन

- एक हजार की आबादी पर किसी गांव या गांवों के समूह को राज्य सरकार पंचायत का दर्जा देगी। गांव का तात्पर्य राजस्व गांव से है।
- लेकिन यह अवश्य याद रखें इस पंचायत के लिए किसी राजस्व गांव या उसके मजरे को नहीं तोड़ा जायेगा।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक प्रधान होगा।
- 1000 तक की आबादी पर 9 सदस्यों को चुना जायेगा।
- 1001–2000 तक की आबादी वाली पंचायतों में एक प्रधान और 11 दूसरे सदस्य होंगे।
- 2001–3000 तक की आबादी वाली पंचायतों में एक प्रधान और 13 दूसरे सदस्य होंगे।
- 3001 या उससे ऊपर की आबादी वाली पंचायतों में 15 सदस्य होंगे।

पंचायतों में आरक्षण कैसे होता है?

- नई पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत महिलाओं को 33 प्रतिशत से अन्यून आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
- एक विकास खण्ड के तहत आने वाले कुल गांवों में लगभग 21 प्रतिशत पदों पर गांवों के प्रधान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के होगें तथा इसमें भी एक तिहाई से अन्यून प्रधान इस वर्ग की महिलाए होंगी।
- इसी तरह विकास खण्ड के कुल गांवों में से 27 प्रतिशत गांवों के प्रधान पिछड़े वर्गों से एवं इसी 27 प्रतिशत में से एक तिहाई से अन्यून प्रधान पिछड़े वर्गों की महिलाएं होंगी।

पंचायत का कार्यकाल क्या होता है?

- पंचायत के चुने जाने के बाद पहली बैठक के लिए तय तारीख से 5 साल तक पंचायत बनी रहेगी।
- लेकिन यह याद रखें अगर 5 साल पूरे होने में कम से कम 6 महीने पहले पंचायत को भंग कर दिया जाता है तो पंचायत का दोबारा चुनाव होगा। इस तरह चुनी हुई पंचायतें बचे हुए समय तक काम करेंगी।

ग्राम पंचायत की बैठक कब और कहां होगी?

- हर महीने कम से कम एक बैठक जरूरी है।
- राज्य सरकार ने निर्देश दिये हैं कि प्रत्येक माह के दूसरे बुधवार को यह बैठक आयोजित की जायेगी।
- लेकिन याद रखें कि जरूरत पड़ने पर यह बैठक महीने में एक से अधिक बार भी हो सकती है।
- बैठक उस स्थान पर बुलाई जायेगी जहां पर पंचायत का कार्यालय होगा या अन्य कोई सामाजिक स्थान होगा।
- जिन ग्राम पंचायतों में महिला प्रधान है वहां ग्राम पंचायत की बैठक की अध्यक्षता महिला प्रधान द्वारा ही की जायेगी। महिला प्रधान के संबंधित व्यक्तियों का प्रवेश ऐसी बैठक में वर्जित है।

बैठक की सूचना कैसे देंगे?

- जिस तारीख को बैठक होती है तो, चपरासी या चौकीदार के द्वारा उससे कम से कम 5 दिन पहले बैठक की सूचना सभी सदस्यों को लिखित रूप से दी जानी चाहिए।
- यह सूचना चौकीदार या चपरासी के द्वारा सदस्यों तक भेजी जा सकती है।
- याद रखें, पंचायत की बैठक की सूचना पंचायत की सीमा के अंदर खास–खास स्थानों पर सूचना चिपका कर दी जायेगी।
- सूचना में यह भी लिखा जायेगा कि बैठक में किस–किस मुद्दे पर बातचीत होनी है।
- बैठक की सूचना में दिनांक, स्थान व समय का उल्लेख होना आवश्यक है।
- सामान्यतः बैठकें उस ग्राम में होगी जहां ग्राम पंचायत का कार्यालय उपलब्ध होगा।

ग्राम पंचायत की बैठक कौन बुलायेगा?

- पंचायत की बैठक बुलाने का अधिकार प्रधान के पास है। अर्थात् प्रधान पंचायत की बैठक बुलायेगा।
- प्रधान की अनुपस्थिति में प्रधान द्वारा लिखित रूप से मनोनीत सदस्य (पंच) बैठक की अध्यक्षता करेगा।
- यदि यह भी संभव नहीं हो पाया तो सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) अध्यक्षता करने के लिए सदस्य को मनोनीत करेगा।
- याद रखें, यदि प्रधान और सहायक विकास अधिकारी पंचायत के किसी पंचायत सदस्य को अध्यक्ष मनोनीत नहीं कर पाये तो बैठक में भाग लेने वाले सदस्य अपने बीच से ही किसी को बैठक की अध्यक्षता करने के लिए चुन सकते हैं।

ग्राम पंचायत की बैठक में क्या होगा?

- बैठक में सबसे पहले पिछली बैठक की कार्यवाही पढ़ कर सुनाई जायेगी और उसकी पुष्टि के बाद प्रधान जी उस पर हस्ताक्षर करेंगे।
- बैठक में पिछले माह के खर्चों का हिसाब–किताब रखा जायेगा और उस पर विचार किया जायेगा।
- जो सरकारी सूचना और आदेश मिले हैं उन्हें पढ़ कर सुनाया जायेगा।
- पंचायत में चल रहे विकास के कामों की जानकारी दी जायेगी।
- पंचायत की समितियों के द्वारा किये जा रहे कामों को पढ़ कर सुनाया जायेगा और उन पर विचार किया जायेगा।
- ग्राम पंचायत प्रत्येक आगामी वर्ष के लिए माह नवम्बर तक ग्राम पंचायत का बजट तैयार करेगी एवं उसे स्वीकृति हेतु ग्राम सभा को भेजेगी।
- इसके पश्चात् अन्य विषयों पर यदि कोई हो तो विचार किया जायेगा।
- बैठक में जो भी बातचीत होगी और फैसला किया जायेगा, उसे एक रजिस्टर (प्रारूप पत्र संख्या 8) में लिखा जायेगा और उसकी नकल सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को बैठक के सात दिनों के अंदर दी जायेगी।
- लिये गये फैसले पर तीन महीनों के भीतर दोबारा तब तक विचार नहीं किया जायेगा जब तक कि दो तिहाई सदस्य लिखित रूप से इसके लिए प्रार्थना पत्र न दे दें।
- याद रखें, पंचायत सदस्य ऐसे ही सवाल पूछ सकते है जो पंचायत के काम से जुड़े हों। वो ऐसे सवाल नहीं पूछ सकते जो बिना वजह के झगड़े पैदा करने वाले हों, काल्पनिक हों, किसी जाति या व्यक्ति के लिए अपमानजक हो।

ग्राम सभा का गठन व दायित्व

ग्राम सभा का तात्पर्य गांव में रहने वाले उस प्रत्येक नागरिक समूह से है जिसमें शामिल व्यक्ति का नाम गांव की मतदाता सूची में दर्ज होता है। जहां एक से अधिक ग्राम शामिल हैं वहां सबसे अधिक आबादी वाले ग्राम के नाम पर ग्राम सभा का नाम रखा जायेगा। ग्राम सभा में शामिल प्रत्येक नागरिक जिसे वोट देना है उसकी न्यूनतम उम्र 18 वर्ष तथा ग्राम पंचायत के सदस्य के रूप में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष आवश्यक है।

- ग्राम सभा एक ऐसी इकाई है जिसमें गांव के सभी लोग गांव की समस्याओं तथा मुद्दों पर विचार–विमर्श करते हैं।
- ग्राम सभा ही पंचायत की नींव है जिसके सही मायने में मजबूत होने से पंचायतें सशक्त होती हैं।
- स्थानीय स्तर पर ग्राम सभा की भूमिका वैसे ही है जैसे केन्द्र में राज्य सभा का एवं राज्य में विधान परिषद की होती है।

ग्राम सभी के बैठक की प्रक्रिया

- पंचायत राज कानून के अनुसार एक साल मे कम से कम दो बैठकें जरूरी हैं। एक खरीफ की फसल कटने के बाद और दूसरी रबी की फसल कटने बाद।
- शासनादेशों के माध्यम से वर्ष में चार बार ग्राम सभा के बैठकों के आयोजन की बात कही गई है।
  - ✓ 26 जनवरी : गणतंत्र दिवस
  - ✓ 1 मई : मजदूर दिवस
  - ✓ 15 अगस्त : स्वतंत्रता दिवस
  - ✓ 2 अक्टूबर : गांधी जयन्ती
- इसके अलावा आवश्यकतानुसार समय–समय पर ग्राम सभा की बैठकें कभी भी बुलाई जा सकती हैं।

बैठक की सूचना कैसे दी जायेगी

- बैठक की तारीख से कम से कम 15 दिन पहले बैठक की सूचना सभी ग्रामवासियों को दी जायेगी।
- सूचना ग्राम सभा के खास–खास स्थानों पर चिपका कर दी जायेगी और उसमें बैठक की तरीख समय और स्थान भी बताया जायेगा।
- याद रखिए ग्राम सभा में डुग्गी पिटवाकर भी बैठक की सूचना दी जायेगी।
- सूचना में यह भी लिखा जायेगा कि बैठक में किस–किस मुद्दे पर बातचीत होनी है?

ग्राम सभा की बैठक कौन बुलायेगा?

- ग्राम सभा की बैठक प्रधान बुलायेगें।
- प्रधान किसी भी समय असाधारण बैठक बुला सकता है।
- जिला पंचायत राज अधिकारी या क्षेत्र पंचायत द्वारा लिखित रूप से मांग करने पर या ग्राम सभा के सदस्यों में कम से कम 1/5 सदस्यों की मांग (लिखित रूप से) करने पर प्रधान 30 दिनों के अंदर बैठक बुलायेगा।
- याद रखें, यदि प्रधान बैठक नहीं बुलायेंगे तो जिला पंचायत राज अधिकारी 60 दिनों के अन्दर बैठक बुला सकता है।

ग्राम सभा की बैठक का कोरम क्या होगा?

- ग्राम सभा की बैठक के लिए ग्राम सभा के सभी सदस्यों के 1/5 का उपस्थित रहना जरूरी है।
- अगर कोरम की कमी की वजह से बैठक नहीं हो तो दोबारा बैठक के लिए कोरम की जरूररत नहीं होगी।

बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा?

- ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता प्रधान करेगा।
- अगर प्रधान बैठक के वक्त उपस्थित नहीं है तो प्रधान द्वारा लिखित रूप से मनोनीत सदस्य ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता करेगा।
- अगर निर्धारित अधिकारी ने भी किसी को मनोनीत नहीं किया है तो ग्राम सभा बैठक की अध्यक्षता करने के लिए ग्राम पंचायत के किसी सदस्य को चुन सकती है।

बैठक में क्या किया जायेगा?

- बैठक में सबसे पहले पिछली बैठक की कार्यवाही पढ़कर सुनाई जायेगी और उसकी पुष्टि के बाद प्रधान उस पर हस्ताक्षर करेंगे।
- पिछली बैठक के बाद के खर्चे का हिसाब रखा जायेगा और उस पर विचार किया जायेगा।
- इसके बाद और दूसरे मुद्दों पर अगर कोई हो तो विचार किया जायेगा।
- ग्राम सभा के बैठक की कार्यवाही हिन्दी में लिखी जायेगी।
- बैठक में जो भी बातचीत होगी और फैसला किया जायेगा उन्हें एक रजिस्टर रूपपत्र 8 में लिखा जायेगा और उसकी नकल 7 दिनों के अन्दर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के पास जमा कर दी जायेगी।

ग्राम सभा के कार्य

- विकास के संदर्भ में निर्णय की प्रक्रिया में जन सामान्य की भागीदारी को बढ़ाने का प्रयास करना।
- सबके फायदे के लिए चलाये जाने वाले कार्यक्रमों के लिए लोगों की भागीदारी श्रम के रूप में और साथ ही साथ पैसे और सामान के रूप में अंशदान जुटाना।
- ग्राम सभा की बैठक में लाभार्थियों की पहचान करना।
- विकास के कामों के क्रियान्वयन में पंचायत की सहायता करना।

ग्राम सभा के अधिकार

- ग्राम सभा अपनी बैठक में नीचे लिखे विषयों पर विचार करेगी और उन पर ग्राम पंचायत को सुझाव दे सकती है। याद रखें, इन सुझावों को मानना पंचायत के लिए जरूरी नहीं है।
- ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत वार्षिक बजट पर विचार–विमर्श व स्वीकृति प्रदान किया जाना।
- ग्राम पंचायत के खातों का सलाना विवरण, पिछले वित्तीय वर्ष (अप्रैल से मार्च तक) की प्रशासन की रिपोर्ट और पिछले ऑडिट की टिप्पणी पर बातचीत।
- पिछले वित्तीय वर्ष में किये गये विकास के कामों की रिपोर्ट पर बातचीत।
- समाज के सभी वर्गों में मेल–जोल और एकता बढ़ाना।
- प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम।
- कई दूसरे मामलों पर जैसे परिवार कल्याण, टीकाकरण पर्यावरण, प्राथमिक शिक्षा, लघु सिंचाई वगैरह।
- गांव में आने वाली आपदाओं को देखते हुए आपदा प्रबन्धन गतिविधियों पर चर्चा एवं उन्हें अपनाना।

संलग्नक : 2

पंचायती राज व्यवस्था

क्षेत्र 1 मानव विकास एवं सामाजिक सुरक्षा संबंधी मुद्दे

सेक्टर में आने वाली सेवा/सुविधा
जल स्रोत • शुद्ध पेयजल व्यवस्था पेयजल के स्रोत व संख्या • कितने घरों में पाइप वॉटर सप्लाई • इण्डिया मार्क 2 के हैण्डपम्प की संख्या • हैण्डपम्प जो सूख गये है उनकी संख्या (किन महीनों में सूखे रहते हैं) • हैण्डपम्प, जो जलमग्नता के कारण डूब जाते है और स्वच्छ पेयजल नहीं दे पाते उनकी संख्या (किन महीनों में डूबते हैं) • उथला (कम गहरा) हैण्ड पम्प की संख्या • अन्य जल स्रोत की संख्या (जैसे कुंआ, तालाब आदि) • कुएं/स्वच्छ जल की धाराएं (नाले)/कुंओं की संख्या जो सूख जाते है और किन महीनों में सूखे रहते हैं?
स्वच्छता • शौचालयों की संख्या • क्या ग्राम खुले में शौच मुक्त है? • व्यक्तिगत शौचालय • सामुदायिक शौचालय • स्कूल शौचालय • सामुदायिक, स्कूल व व्यक्तिगत शौचालय जो जल जमाव/पानी की कमी/भूमिगत जल के नीचे जाने के कारण क्रियाशील नहीं रहते, उनकी संख्या व किन महीनों में वे क्रियाशील नहीं रहते। • क्या वर्षा ऋतु/बाढ़ की स्थिति में शौचालय तक पहुंचने में बाधा होती है? **साफ–सफाई की व्यवस्था** • कूड़ा–कचरा निपटान • तरल कचरे का निपटान • ठोस/तरल पदार्थों का प्रबन्धन • क्या सूखा व तरल कचरा डालने के कारण नालियां जाम हो जाती हैं जिससे उसका पानी बाहर फैल जाता है या जलाशयों को प्रदूषित करता है? • क्या नालियों/नालों का निर्माण ढाल के अनुसार हुआ है? • क्या ग्राम स्वच्छता व पोषण समिति बनी है और क्रियाशील है? • आपदा के बाद किस प्रकार के स्वच्छता कार्य किये जाते है (उदाहरण क्लोरिनेशन, कीटनाशकों का छिड़काव, स्वच्छता अभियान आदि)

नागरिक सेवाएं

- जन्म/मृत्यु पंजीकरण
- परिवार रजिस्टर कॉपी
- विवाह रजिस्ट्रेशन
- भूमि संबंधित दस्तावेज (खसरा, खतौनी, ऋण पुस्तिका आदि)
- आधार पंजीकरण
- क्या पलायन करने वाले लोग पात्र अधिकार ले पाने में सक्षम हैं?

स्वास्थ्य

- प्राथमिक/सामुदायिक केन्द्र की उपलब्धता
- क्या गांव के लोगों को प्राथमिक व स्वास्थ्य केन्द्र/स्वास्थ्य उपकेन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तक शीघ्र पहुंचने हेतु वांछित मार्ग उपलब्ध हैं
- क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/स्वास्थ्य उपकेन्द्र निचली भूमि पर अथवा नदियों/जलाशयों के निकट हैं और बाढ़ के समय यह प्रभावी नहीं रहते हैं?
- क्या अग्निशमन हेतु उपकरण/बालू की बाल्टियां स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध है?
- क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/स्वास्थ्य उपकेन्द्र पर बिजली न रहने की स्थिति में आपात प्रकाश व्यवस्था व बैटरी बैकअप उपलब्ध है?
- 1000 की आबादी पर एक आशा होनी चाहिए। क्या ग्राम पंचायत में पर्याप्त संख्या में आशाएं नियुक्त हैं?
- गर्भवती महिलाओं/नवजात शिशुओं के लिए टीकाकरण एवं दवाइयों की उपलब्धता
- स्वास्थ्य परीक्षण कैम्प (मौसमी बीमारियां, महामारी आदि)
- क्या आपदा के कठिन समय में स्वास्थ्य शिविर आयोजित होते हैं?
- क्या वी.एच.एन.डी. सत्र का आयोजन 1000 की आबादी पर ऐसे स्थान पर होता है, जहां पर मजरों सहित लक्षित आबादी की पहुंच हो।
- क्या युवाओं और किशोरों में नशे की प्रवृत्ति है? यदि हां तो पंचायत इसे दूर करने के लिए क्या उपाय कर रही है?
- किन महीनों में वायु, जल व विषाणु वाहक जनित रोगों की संभावना अधिक होती है–
  - डायरिया
  - दस्त
  - श्वसन सम्बन्धी
  - मलेरिया
  - फाइलेरिया
  - अस्थमा
  - कोविड–19
- कोविड प्रतिरक्षण टीके लग जाने वाले व्यक्तियों की संख्या

बाल विकास एवं पुष्टाहार

- बच्चों की संख्या
- क्या आंगनवाड़ी के पास अपना स्वयं का स्थान है?
- यदि हां तो क्या आंगनवाड़ी केन्द्र का भवन भूकम्प रोधी है?
- क्या आंगनवाड़ी केन्द्र तक पहुंचने के लिए ऐसे मार्ग उपलब्ध है जिनसे बच्चे वर्षा काल में आसानी से पहुंच जाते हैं?

- क्या आंगनवाड़ी केन्द्र की कार्यशीलता बाढ़/जल जमाव/पानी की कमी की स्थिति में प्रभावित होती है?
- क्या आंगनवाड़ी केन्द्र पर शिशुओं हेतु शौचालय और सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता है?
- कितने बच्चे अति कुपोषणता से ग्रसित हैं?
- आंगनवाड़ी में उपलब्ध सुविधाएं
- आंगनवाड़ी में प्राथमिक पूर्व शिक्षा (ECE) की गतिविधियों का संचालन
- आंगनवाड़ी पर बच्चों का नियमित वनज
- प्रसूति/गर्भवती महिलाओं को परामर्श/सेवाएं
- किशोरियों हेतु आयरन फोलिक एसिड की गोली का वितरण
- कुपोषण की स्थिति

शिक्षा

- स्कूलों की संख्या व प्रकार
- क्या स्कूलों तक की पहुंचने हेतु सभी ऋतुओं में उपयुक्त सड़के उपलब्ध है?
- क्या स्कूल भवन भूकम्परोधी है?
- क्या स्कूलों की क्रियाशीलता बाढ/जल जमाव/ पानी की कमी से प्रभावित होती है?
- क्या स्कूलों में अग्निशमन यंत्र व बालू की बाल्टियां उपलब्ध है?
- क्या स्कूलों में बिजली न होने की स्थिति में आपात प्रकाश व बैटरी बैकअप उपलब्ध है?
- क्या स्कूलों की क्रियाशीलता लू/गर्म हवाओं/शीत लहर से प्रभावित होती है?
- शिक्षकों की संख्या/उपलब्धता
- क्या स्कूलों में सुरक्षित पेयजल व छात्राओं व छात्रों के लिए अलग–अलग शौचालय उपलब्ध है?
- शिक्षा का अधिकार मानदण्ड के अनुसार स्कूल में व्यवस्था/सुविधाएं
- ड्राप आउट की स्थिति/कारण
- बाल श्रम, बाल विवाह
- मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था
- स्कूल प्रबन्धन समिति (SMC) की बैठकें होती हैं?
- क्या स्कूल प्रबन्धन समिति जलवायु परिवर्तन व आपदाओं से शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों से परिचित हैं?
- स्कूल प्रबन्धन समिति के द्वारा विद्यालय विकास की योजना बनी है?
- क्या योजना को ग्राम पंचायत में प्रस्तुत किया गया है?

सामाजिक सुरक्षा

- क्या ग्राम पंचायत के पास बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती व धात्री महिलाओं की सूची उपलब्ध है ताकि आपदा के समय उनकी देखभाल की जा सके?
- सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाओं में पंजीकृत घरों की संख्या (पी.एम.जे.जे.बी.वाई/पी.एम.बी.वाई/पी.एम.जे.डी.वाई/वी.पी.बी.वाई/पी.एम.एफ.बी.वाई/पी.एम.वी.वी.वाई)
- राशन कार्डो की श्रेणी एवं संख्या
- राशन दुकानों की संख्या एवं व्यवस्था
- राशन की दुकान पर नियमित आपूर्ति होती है?
- राशन की दुकान पर सभी लोगों को उनकी पात्रता के अनुरूप सभी सामग्री मिलती है?

- क्या राशन केन्द्र बाढ़ व सूखा के समय क्रियाशील रहते है और उनमें वांछित भण्डार रहता है?
- राशन की दुकान पर सिग्नल न मिलने के कारण राशन प्राप्ति में कोई दिक्कत होती है क्या?
- पात्रता के अनुसार आवास
- वृद्धावस्था/दिव्यांग/विधवा पेंशन
- योग्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति
- सभी योग्य परिवार को एन.एफ.एस.ए. (नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट) का लाभ

खेलकूद की व्यवस्था

- गांव में पंचायत ने किशोर/किशोरियों और युवाओं के लिए कुछ खेल सामग्री उपलब्ध कराई है?
- खेल के लिए उचित जगह/मैदान की उपलब्धता

क्षेत्र–2 संरचनाओं सहित पर्यावरणीय मुद्दे और आपदा प्रबन्धन के मुद्दे

सेक्टर में आने वाली सेवा/सुविधा

ग्राम पंचायतों की परिसम्पत्तियों, सम्पत्तियों का रख–रखाव

- गांव में रोड और नालियों का निर्माण और रख–रखाव
- बिजली के खंभों की संख्या
- क्या हाई–टेन्शन संचार तार गांव से होकर गुजरते हैं?
- ओवर हेड टैंक की संख्या
- कुल कच्ची सड़कें (किमी.)
- कुल पक्की तारकोल सड़कें (किमी.)
- कुल खडंजा सड़कें (किमी.)
- वार्ड/टोलों/आबादी की संख्या जो सड़कों से नहीं जुड़े हैं
- गांव में ऐसे घरों की संख्या जो बाढ़/भूकम्प जैसी स्थिति में अलग–थलग पड़ जाते हैं
- जल निकासी हेतु नाले की स्थिति
- क्या गांव की सड़कों के किनारे पानी बहने हेतु नालियां है और सड़क के एक तरफ से दूसरी तरफ पानी जाने के लिए व्यवस्था हैं?
- क्या सड़कों/अन्य निर्माण के कारण पानी का बहाव प्रभावित होता है यदि हां तो स्थान?
- कुल पुलिया/कलवर्ट की संख्या
- सौर ऊर्जा द्वारा प्रकाश की व्यवस्था
- गांव में कितने घरों में बिजली का कनेक्शन है?
- गांव में बिजली की सप्लाई कितनी देर के लिए होती है?
- प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के भवनों का रख–रखाव
- हैण्डपम्प
- ए.एन.एम./स्वास्थ्य उपकेन्द्र
- आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकानों की संख्या
- पंचायत भवन, बारात घर, चौपाल, मन्दिर, मस्जिद

- क्या ग्राम पंचायत गांव में स्थित बन्धों/सड़कों के किनारे मृदा क्षरण रोकने हेतु कोई गतिविधि करती है?
- ग्रामीण बाजार/हाट
- कूड़ा–कचरा पाटने वाला स्थान, कूड़ा घर और कूड़ा गड्ढा
- पौध रोपण सामाजिक वानिकी
- पर्यावरण संरक्षण के कार्य (वृक्षारोपण अभियान, जलाशय संरक्षण आदि)
- क्या गांव में कोई राहत केन्द्र उपलब्ध है?
- क्या गांव के क्षेत्र में कोई सामुदायिक हाल है, यदि हां तो कितने?
- क्या गांव की सुरक्षा हेतु ग्राम के बाहर कोई तटबन्ध है?
- ग्राम में कुल जलाशयों की संख्या
- क्या वर्षा जल संरक्षण हेतु कोई कार्य हुआ है?
- क्या गांव में बाढ़ के समय सुरक्षित गोवंश हेतु बाड़े की व्यवस्था है?

यदि ग्राम में प्राकृतिक आपदाओं का इतिहास है तो

- आपदा से पूर्व की तैयारियां
- आपदा के दौरान की तैयारियां
- आपदा के बाद की तैयारियां
- क्या गांव में विगत 5 वर्षों में कोई बड़ी आपदा की घटना हुई है? (बाढ़, सूखा, तूफान आदि), क्या?
- क्या गांव का कोई क्षेत्र निचली भूमि क्षेत्र में है, यदि हां तो इसमें घरों की संख्या।

शमशान/कब्रिस्तानों का विस्तार

- गांव में शमशान है?
- गांव में कब्रिस्तान है?
- इनकी स्थिति कैसी है?
- क्या शमशान घाट/कब्रिस्तान जल जमाव/डूब क्षेत्र से बाहर है?

पार्क का रख रखाव

- पार्क की व्यवस्था
- पार्क कितना उपयोगी है?
- क्या वहां बच्चों के खेलने के लिए कोई सामान और व्यवस्था है?

लाइब्रेरी का रख–रखाव

- गांव में या गांव के स्कूल में लाइब्रेरी (पुस्तकालय) है या नहीं?
- यदि है तो उसका उपयोग कौन–कौन करता है?
- क्या वहां रोज अखबार आता है?

क्षेत्र–3 आय एवं रोजगार के साधन एवं आर्थिक मुद्दे

सेक्टर में आने वाली सेवा/सुविधा
• कृषि में सहायता–कृषि व सम्बन्धित विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के माध्यम से किसानों को सहायता देने के लिए लाभार्थियों का चयन • क्या गांव के विकास में जलवायु/आपदा प्रभावों को कम करने हेतु कोई प्रयास किये गये हैं (उदाहरण खेत–तालाब, चेक डैम, मेड़बन्दी, भूमिगत जल रिचार्ज, मृदा क्षरण, लवणीकरण आदि) • मनरेगा का वार्षिक प्लान (प्रोजेक्ट सहित) • क्या मनरेगा के कार्यों में जलवायु/आपदा प्रबन्धन का ध्यान रखा जाता है? • मनरेगा के माध्यम से 100 दिन का रोजगार एवं भुगतान • स्वयं के रोजगार के लिए ग्रामीणों की सहायता करना • बाजार, हाट, गोदाम और अन्य आय के संसाधनों का निर्माण करना • फलों की खेती में सहयोग • पशु–पालन में सहयोग • पशुओं का टीकाकरण • राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन के द्वारा कौशल निर्माण जैसे कि कम्प्यूटर प्रशिक्षण इत्यादि • राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन के माध्यम से महिला समूह की स्थापना • उसर/असिंचित भूमि में सिंचाई की व्यवस्था

क्षेत्र–4 सुशासन एवं समावेशन

सेक्टर में आने वाली सेवा/सुविधा
• अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाओं के प्रतिशत के आधार पर संरचनात्मक धनराशि का निर्धारण (पृथक से निर्धारण) • एन.एस.ए.पी. (नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम) योजनाओं के अन्तर्गत वंचित समुदाय से पेंशन हेतु लाभार्थियों का चयन • अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों को उनके प्रतिशत के आधार पर आवास और शौचालयों का निर्धारण • सभी योजनाओं में अनुसूचित जाति/जनजातियों/गरीबों/अल्प संख्यकों (दिव्यांग, विधवा और जिस परिवार की मुखिया महिला हो) को सही तरीके से प्राथमिकता देना। • सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली महिला प्रतिनिधियों को पुरस्कृत करना। • गरीबों, वंचितों, बुजुर्गों, निराश्रितों, दिव्यांगों और विधवाओं की स्थिति • नियमानुसार पंचायत की बैठकें • साल में कम से कम 2 बार ग्राम सभा की बैठक का आयोजन और बैठक के मिनिट्स का सार्वजनिक प्रकाशन • नियमानुसार पंचायत के सभी 6 समितियों की बैठक • नियमानुसार अन्य समितियों जैसे कि वी.एच.एन.एस.सी., एस.एम.सी. एवं भूमि प्रबन्धन समिति की बैठक

- ग्राम पंचायत स्तर पर स्वयं सेवी संगठनों द्वारा सहायता देना ताकि लोग सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें।

क्षेत्र–5 व्यक्ति एवं समुदाय के व्यवहारगत मुद्दे

सेक्टर में आने वाली सेवा/सुविधा

- व्यक्तिगत व्यवहार– शौचालय का उपयोग, पीने का साफ पानी, साबुन से हाथ धोना, 6 माह तक नवजात को केवल स्तनपान, 6 महीने के उपरान्त पूरक आहार, आयोडिन युक्त नमक का उपयोग।
- जलवायु परिवर्तन/आपदा प्रबन्धन हेतु सुरक्षित व्यवहार
- सामाजिक विसंगतियों पर कार्य करना जैसे कि बाल विवाह, बाल संरक्षण, बाल विकलांगता, दहेज प्रताड़ना, कन्या भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, बाल श्रम, बालिका शिक्षा आदि।
- नशाखोरी, झगड़ों/वाद–विवाद का निपटारा

संलग्नक : 3

वातावरण निर्माण

राज्य स्तर पर

- मुख्य सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में अन्य संबंधित विभागों के प्रमुख सचिवों के लिए उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन
- पंचायत विभाग के मंत्री द्वारा सभी स्थानीय निकायों को संबोधित ग्राम पंचायत विकास योजना के बारे में पत्र
- मीडिया का सहयोग लेने के लिए सूचना विभाग द्वारा राज्य स्तरीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन

जिला स्तर पर

- जिला अधिकारी (कलेक्टर) की अध्यक्षता में सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों, समस्त ग्राम प्रधान, ब्लाक प्रमुख/सबंधित विभागों के अधिकारियों की कार्यशाला का आयोजन

ब्लाक स्तर पर

- उप जिला अधिकारी की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत स्तरीय नियोजन एवं विकास समिति के दो सदस्य/आशा/ए.एन.एम./आंगनवाड़ी/रोजगार सेवक एवं युवक मंगल दल के सदस्यों के साथ कार्यशाला का आयोजन

पंचायत स्तर पर

- सभी वार्ड सदस्य, ग्राम पंचायत स्तरीय अधिकारी, स्वयं सहायता समूह के अध्यक्षों की बैठक में ग्राम पंचायत स्तर पर की जाने वाली गतिविधियों पर चर्चा

अन्य गतिविधियां

- जिला पंचायत राज अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी एवं जिलाधिकारी के संयुक्त पत्र के माध्यम से प्रधानों एवं कर्मियों को ग्राम पंचायत विकास योजना के बारे में अवगत कराना
- चलचित्र के माध्यम से गांव वालों में जागरूकता लाना
- परिवहन विभाग की बसों के माध्यम से प्रचार–प्रसार करना

स्थानीय स्तर पर आवश्यकता अनुसार कुछ और गतिविधियां की जा सकती है, जो निम्नवत् है–

- अखबार
- रेडियो
- दूरदर्शन
- स्थानीय केबल ऑपरेटर
- सिनेमा हॉल
- सोशल मीडिया
- नुक्कड़ नाटक
- ब्रोसर, पेम्पलेट
- स्वयं सहायता समूह का सहयोग और सहकारी संस्थाएं

संलग्नक : 4

क्षेत्र 1 मानव विकास एवं सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी मुद्दों के आंकड़ों का संचारण तथा परिस्थिति विश्लेषण प्रपत्र

सुरक्षा सम्बन्धी मुद्दों के आंकड़ों का संचारण तथा परिस्थिति विश्लेषण प्रपत्र

सेक्टर	वर्तमान स्थिति	समस्याएं एवं आवश्यकताएं	निराकरण
1	2	3	4
जल स्रोत • शुद्ध पेयजल व्यवस्था पेयजल के स्रोत व संख्या • कितने घरों में पाइप वॉटर सप्लाई • इण्डिया मार्क 2 के हैण्डपम्प की संख्या • हैण्डपम्प जो सूख गये है उनकी संख्या (किन महीनों में सूखे रहते हैं) • हैण्डपम्प जो जलमग्नता के कारण डूब जाते है और स्वच्छ पेयजल नहीं दे पाते उनकी संख्या (किन महीनों में डूबते हैं) • उथला (कम गहरा) हैण्ड पम्प की संख्या • अन्य जल स्रोत की संख्या (जैसे कुंआ, तालाब आदि) • कुएं/स्वच्छ जल की धाराएं (नाले)/कुंओं की संख्या जो सूख जाते है और किन महीनों में सूखे रहते हैं?			
स्वच्छता • शौचालयों की संख्या • क्या ग्राम खुले में शौच मुक्त है? • व्यक्तिगत शौचालय • सामुदायिक शौचालय • स्कूल शौचालय • सामुदायिक, स्कूल व व्यक्तिगत शौचालय जो जल जमाव/पानी की कमी/भूमिगत जल के नीचे जाने के कारण क्रियाशील नहीं रहते उनकी संख्या व वे किन महीनों में क्रियाशील नहीं रहते। • क्या वर्षा ऋतु/बाढ़ की स्थिति में शौचालय तक पहुंचने में बाधा होती है? **साफ–सफाई की व्यवस्था** • कूड़ा–कचरा निपटान • तरल कचरे का निपटान • ठोस/तरल पदार्थों का प्रबन्धन			

• क्या सूखा व तरल कचरा डालने के कारण नालियां जाम हो जाती हैं जिससे उसका पानी बाहर फैल जाता है या जलाशयों को प्रदूषित करता है? • क्या नालियों/नालों का निर्माण ढाल के अनुसार हुआ है? • क्या ग्राम स्वच्छता व पोषण समिति बनी है और क्रियाशील है? • आपदा के बाद किस प्रकार के स्वच्छता कार्य किये जाते है (उदाहरण क्लोरिनेशन, कीटनाशकों का छिड़काव, स्वच्छता अभियान आदि)			
नागरिक सेवाएं • जन्म/मृत्यु पंजीकरण • परिवार रजिस्टर कॉपी • विवाह रजिस्ट्रेशन • भूमि संबंधित दस्तावेज (खसरा, खतौनी, ऋण पुस्तिका आदि) • आधार पंजीकरण • क्या पलायन करने वाले लोग पात्र अधिकार ले पाने में सक्षम हैं?			
स्वास्थ्य • प्राथमिक/सामुदायिक केन्द्र की उपलब्धता • क्या गांव के लोगों को प्राथमिक व स्वास्थ्य केन्द्र/स्वास्थ्य उपकेन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तक शीघ्र पहुंचने हेतु वांछित मार्ग उपलब्ध हैं • क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/स्वास्थ्य उपकेन्द्र निचली भूमि पर अथवा नदियों/जलाशयों के निकट हैं और बाढ़ के समय यह प्रभावी नहीं रहते हैं? • क्या अग्निशमन हेतु उपकरण/बालू की बाल्टियां स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध है? • क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/स्वास्थ्य उपकेन्द्र पर बिजली न रहने की स्थिति में आपात प्रकाश व्यवस्था व बैटरी बैकअप उपलब्ध है? • 1000 की आबादी पर एक आशा होनी चाहिए। क्या ग्राम पंचायत में पर्याप्त संख्या में आशाएं नियुक्त हैं? • गर्भवती महिलाओं/नवजात शिशुओं के लिए टीकाकरण एवं दवाइयों की उपलब्धता			

• स्वास्थ्य परीक्षण कैम्प (मौसमी बीमारियां, महामारी आदि) • क्या आपदा के कठिन समय में स्वास्थ्य शिविर आयोजित होते हैं? • क्या वी.एच.एन.डी. सत्र का आयोजन 1000 की आबादी पर ऐसे स्थान पर होता है, जहां पर मजरों सहित लक्षित आबादी की पहुंच हो। • क्या युवाओं और किशोरों में नशे की प्रवृत्ति है? यदि हां तो पंचायत इसे दूर करने के लिए क्या उपाय कर रही है? • किन महीनों में वायु, जल व विषाणु वाहक जनित रोगों की संभावना अधिक होती है– – डायरिया – दस्त – श्वसन सम्बन्धी – मलेरिया – फाइलेरिया – अस्थमा – कोविड–19 • कोविड प्रतिरक्षण टीके लग जाने वाले व्यक्तियों की संख्या			
बाल विकास एवं पुष्टाहार • बच्चों की संख्या • क्या आंगनवाड़ी के पास अपना स्वयं का स्थान है? • यदि हां तो क्या आंगनवाड़ी केन्द्र का भवन भूकम्प रोधी है? • क्या आंगनवाड़ी केन्द्र तक पहुंचने के लिए ऐसे मार्ग उपलब्ध है जिनसे बच्चे वर्षा काल में आसानी से पहुंच जाते हैं? • क्या आंगनवाड़ी केन्द्र की कार्यशीलता बाढ़/जल जमाव/पानी की कमी की स्थिति में प्रभावित होती है? • क्या आंगनवाड़ी केन्द्र पर शिशुओं हेतु शौचालय और सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता है? • कितने बच्चे अति कुपोषणता से ग्रसित हैं? • आंगनवाड़ी में उपलब्ध सुविधाएं • आंगनवाड़ी में प्राथमिक पूर्व शिक्षा (ECE) की गतिविधियों का संचालन • आंगनवाड़ी पर बच्चों का नियमित वजन • प्रसूति/गर्भवती महिलाओं को परामर्श/सेवाएं			

• किशोरियों हेतु आयरन फोलिक एसिड की गोली का वितरण • कुपोषण की स्थिति			
शिक्षा • स्कूलों की संख्या व प्रकार • क्या स्कूलों तक की पहुंचने हेतु सभी ऋतुओं में उपयुक्त सड़के उपलब्ध है? • क्या स्कूल भवन भूकम्परोधी है? • क्या स्कूलों की क्रियाशीलता बाढ/जल जमाव/पानी की कमी से प्रभावित होती है? • क्या स्कूलों में अग्निशमन यंत्र व बालू की बाल्टियां उपलब्ध है? • क्या स्कूलों में बिजली न होने की स्थिति में आपात प्रकाश व बैटरी बैकअप उपलब्ध है? • क्या स्कूलों की क्रियाशीलता लू/गर्म हवाओं/शीत लहर से प्रभावित होती है? • शिक्षकों की संख्या/उपलब्धता • क्या स्कूलों में सुरक्षित पेयजल व छात्राओं व छात्रों के लिए अगल शौचालय उपलब्ध है? • शिक्षा का अधिकार मानदण्ड के अनुसार स्कूल में व्यवस्था/सुविधाएं • ड्राप आउट की स्थिति/कारण • बाल श्रम, बाल विवाह • मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था • स्कूल प्रबन्धन समिति (SMC) की बैठकें होती हैं? • क्या स्कूल प्रबन्ध समिति जलवायु परिवर्तन व आपदाओं से शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों से परिचित हैं? • स्कूल प्रबन्धन समिति के द्वारा विद्यालय विकास की योजना बनी है? • क्या योजना को ग्राम पंचायत में प्रस्तुत किया गया है?			
सामाजिक सुरक्षा • क्या ग्राम पंचायत के पास बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती व धात्री महिलाओं की सूची उपलब्ध है ताकि आपदा के समय उनकी देखभाल की जा सके? • सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाओं में पंजीकृत घरों की संख्या (पी.एम.जे.जे.बी.वाई/पी.एम.बी.वाई/पी.एम.जे.डी.वाई/वी.पी.बी.वाई/पी.एम.एफ.बी.वाई/पी.एम.वी.वी.वाई)			

• राशन कार्डो की श्रेणी एवं संख्या • राशन दुकानों की संख्या एवं व्यवस्था • राशन की दुकान पर नियमित आपूर्ति होती है? • राशन की दुकान पर सभी लोगों को उनकी पात्रता के अनुरूप सभी सामग्री मिलती है? • क्या राशन केन्द्र बाढ़ व सूखा के समय क्रियाशील रहते हैं और उनमें वांछित भण्डार रहता है? • राशन की दुकान पर सिग्नल न मिलने के कारण राशन प्राप्ति में कोई दिक्कत होती है क्या? • पात्रता के अनुसार आवास • वृद्धावस्था/दिव्यांग/विधवा पेंशन • योग्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्रि • सभी योग्य परिवार को एन.एफ.एस.ए. (नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट) का लाभ			
खेलकूद की व्यवस्था • गांव में पंचायत ने किशोर/किशोरियों और युवाओं के लिए कुछ खेल सामग्री उपलब्ध कराई है? • खेल के लिए उचित जगह/मैदान की उपलब्धता			

क्षेत्र : 2 संरचनाओं सहित पर्यावरणीय मुद्दों और आपदा प्रबन्धन के मुद्दों के आंकड़ों का संधारण तथा परिस्थिति विश्लेषण प्रपत्र

सेक्टर	वर्तमान स्थिति	समस्याएं एवं आवश्यकताएं	निराकरण
1	2	3	4
ग्राम पंचायतों की परिसम्पत्तियों, सम्पत्तियों का रख–रखाव • गांव में रोड और नालियों का निर्माण और रख–रखाव • बिजली के खंभों की संख्या • क्या हाई–टेन्शन संचार तार गांव से होकर गुजरते हैं? • ओवर हेड टैंक की संख्या • कुल कच्ची सड़कें (किमी.) • कुल पक्की तारकोल सड़कें (किमी.) • कुल खडंजा सड़कें (किमी.) • वार्ड/टोलों/आबादी की संख्या जो सड़कों से नहीं जुड़े हैं			

• गांव में ऐसे घरों की संख्या जो बाढ़/भूकम्प जैसी स्थिति में अलग–थलग पड़ जाते हैं • जल निकासी हेतु नाले की स्थिति • क्या गांव की सड़को के किनारे पानी बहने हेतु नालियां है और सड़क के एक तरफ से दूसरी तरफ पानी जाने के लिए व्यवस्था हैं? • क्या सड़कों/अन्य निर्माण के कारण पानी का बहाव प्रभावित होता है यदि हां तो स्थान? • कुल पुलिया/कलवर्ट की संख्या • सौर ऊर्जा द्वारा प्रकाश की व्यवस्था • गांव में कितने घरों में बिजली का कनेक्शन है? • गांव में बिजली की सप्लाई कितनी देर के लिए होती है? • प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के भवनों का रख–रखाव • हैण्डपम्प • ए.एन.एम./स्वास्थ्य उपकेन्द्र • आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या • सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकानों की संख्या • पंचायत भवन, बारात घर, चौपाल, मन्दिर, मस्जिद • क्या ग्राम पंचायत गांव में स्थित बन्धों/सड़कों के किनारे मृदा क्षरण रोकने हेतु कोई गतिविधि करती है? • ग्रामीण बाजार/हाट • कूड़ा–कचरा पाटने वाला स्थान, कूड़ा घर और कूड़ा गड्ढा • पौध रोपण सामाजिक वानिकी • पर्यावरण संरक्षण के कार्य (वृक्षारोपण अभियान, जलाशय संरक्षण आदि) • क्या गांव में कोई राहत केन्द्र उपलब्ध है? • क्या गांव के क्षेत्र में कोई सामुदायिक हाल है, यदि हां तो कितने? • क्या गांव की सुरक्षा हेतु ग्राम के बाहर कोई तटबन्ध है? • ग्राम में कुल जलाशयों की संख्या • क्या वर्षा जल संरक्षण हेतु कोई कार्य हुआ है? • क्या गांव में बाढ़ के समय सुरक्षित गोवंश हेतु बाड़े की व्यवस्था है?			
यदि ग्राम में प्राकृतिक आपदाओं का इतिहास है तो • आपदा से पूर्व की तैयारियां			

• आपदा के दौरान की तैयारियां • आपदा के बाद की तैयारियां • क्या गांव में विगत 5 वर्षों में कोई बड़ी आपदा की घटना हुई है? (बाढ़, सूखा, तूफान आदि), क्या? • क्या गांव का कोई क्षेत्र निचली भूमि क्षेत्र में है, यदि हां तो इसमें घरों की संख्या।			
शमशान/कब्रिस्तानों का विस्तार • गांव में शमशान है? • गांव में कब्रिस्तान है? • इनकी स्थिति कैसी है? • क्या शमशान घाट/कब्रिस्तान जल जमाव/डूब क्षेत्र से बाहर है?			
पार्क का रख रखाव • पार्क की व्यवस्था • पार्क कितना उपयोगी है? • क्या वहां बच्चों के खेलने के लिए कोई सामान और व्यवस्था है?			
लाइब्रेरी का रख–रखाव • गांव में या गांव के स्कूल में लाइब्रेरी (पुस्तकालय) है या नहीं? • यदि है तो उसका उपयोग कौन–कौन करता है? • क्या वहां रोज अखबार आता है?			

क्षेत्र– 3 आय एवं रोजगार के साधन एवं आर्थिक मुद्दों के आंकड़ों का संधारण तथा पारिस्थितकीय विश्लेषण प्रपत्र

सेक्टर	वर्तमान स्थिति	समस्याएं एवं आवश्यकताएं	निराकरण
1	2	3	4
• कृषि में सहायता–कृषि व सम्बन्धित विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के माध्यम से किसानों को सहायता देने के लिए लाभार्थियों का चयन • क्या गांव के विकास में जलवायु/आपदा प्रभावों को कम करने हेतु कोई प्रयास किये गये हैं (उदाहरण खेत–तालाब, चेक डैम, मेड़बन्दी, भूमिगत जल रिचार्ज, मृदा क्षरण, लवणीकरण आदि) • मनरेगा का वार्षिक प्लान (प्रोजेक्ट सहित) • क्या मनरेगा के कार्यों में जलवायु/आपदा प्रबन्धन का ध्यान रखा जाता है? • मनरेगा के माध्यम से 100 दिन का रोजगार एवं भुगतान • स्वयं के रोजगार के लिए ग्रामीणों की सहायता करना • बाजार, हाट, गोदाम और अन्य आय के संसाधनों का निर्माण करना • फलों की खेती में सहयोग • पशु–पालन में सहयोग • पशुओं का टीकाकरण • राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन के द्वारा कौशल निर्माण जैसे कि कम्प्यूटर प्रशिक्षण इत्यादि • राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से महिला समूह की स्थापना • ऊसर/असिंचित भूमि में सिंचाई की व्यवस्था			

क्षेत्र– 4 सुशासन एवं समावेशन के मुद्दों के आंकड़ों का संधारण तथा परिस्थिति विश्लेषण प्रपत्र

सेक्टर	वर्तमान स्थिति	समस्याएं एवं आवश्यकताएं	निराकरण
1	2	3	4
• अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाओं के प्रतिशत के आधार पर संरचनात्मक धनराशि का निर्धारण (पृथक से निर्धारण) • एन.एस.ए.पी. (नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम) योजनाओं के अन्तर्गत वंचित समुदाय से पेंशन हेतु लाभार्थियों का चयन • अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों को उनके प्रतिशत के आधार पर आवास और शौचालयों का निर्धारण • सभी योजनाओं में अनुसूचित जाति/जनजातियों/गरीबों/अल्प संख्यकों (दिव्यांग, विधवा और जिस परिवार की मुखिया महिला हो) को सही तरीके से प्राथमिकता देना। • सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली महिला प्रतिनिधियों को पुरस्कृत करना। • गरीबों, वंचितों, बुजुर्गों, निराश्रितों, दिव्यांगों और विधवाओं की स्थिति • नियमानुसार पंचायत की बैठकें • साल में कम से कम 2 बार ग्राम सभा की बैठक का आयोजन और बैठक के मिनिट्स का सार्वजनिक प्रकाशन • नियमानुसार पंचायत के सभी 6 समितियों की बैठक • नियमानुसार अन्य समितियों जैसे कि वी.एच.एन.एस.सी., एस.एम.सी. एवं भूमि प्रबन्धन समिति की बैठक • ग्राम पंचायत स्तर पर स्वयं सेवी संगठनों द्वारा सहायता देना ताकि लोग सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें।			

क्षेत्र– 5 व्यक्ति एवं समुदाय के व्यवहारगत मुद्दों के आंकड़ों का संधारण तथा परिस्थिति विश्लेषण प्रपत्र

सेक्टर	वर्तमान स्थिति	समस्याएं एवं आवश्यकताएं	निराकरण
1	2	3	4
• व्यक्तिगत व्यवहार– शौचालय का उपयोग, पीने का साफ पानी, साबुन से हाथ धोना, 6 माह तक नवजात को केवल स्तनपान, 6 महीने के उपरान्त पूरक आहार, आयोडिन युक्त नमक का उपयोग। • जलवायु परिवर्तन/आपदा प्रबन्धन हेतु सुरक्षित व्यवहार • सामाजिक विसंगतियों पर कार्य करना जैसे कि बाल विवाह, बाल संरक्षण, बाल विकलांगता, दहेज प्रताड़ना, कन्या भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, बाल श्रम, बालिका शिक्षा आदि। • नशाखोरी, झगड़ों/वाद–विवाद का निपटारा			

बाल टॉस गेम

द्वितीय एवं तृतीय दिवस के सत्र का आरम्भ सुबह के अभिवादन एवं बाल टॉस गेम के साथ अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक प्रतिभागी पूर्ववर्ती दिवस के महत्वूर्ण चर्चा एवं शिक्षण को याद एवं पुनरावलोकन कर सके। इस कार्य हेतु प्रशिक्षक द्वारा एक टेनिस बाल अथवा कोई मुलायम बॉल की व्यवस्था किया जाना होगा जिसका उपयोग इस कार्य हेतु किया जाएगा। प्रशिक्षक द्वारा पूर्ववर्ती दिवस के प्रशिक्षण से क्या सीखा? यह प्रश्न प्रशिक्षणार्थियों से पूछते हुए बॉल को अनायास किसी एक प्रतिभागी के ऊपर फेका जाएगा। यह प्रतिभागी विगत दिवस के शिक्षण के एक मुख्य बिन्दु के संबंध में बताएगा तथा बॉल को किसी दूसरे प्रतिभागी की ओर फेकेगा तथा वह भी एक मुख्य बिन्दु के संबंध में बताएगा। इस प्रकार सभी प्रतिभागी बारी–बारी से विगत दिवस के शिक्षण के एक मुख्य बिन्दु के बारे में बताएगा। यह क्रिया प्रतिभागियों को विगत दिवस के मुख्य बिन्दुओं को याद करने तथा प्रशिक्षक को तत्कालिक दिवस के सत्र से जोड़ने तथा प्रतिभागियों को प्रक्रिया में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान करेगा। इस क्रियाकलाप को 15 मिनट के अन्दर आवश्यक रूप से पूर्ण कर लिया जाना चाहिए।

आवश्यक सामग्री – टेनिस बॉल

संदर्भ साहित्य

Reference documents for CCA-DRR Integrated GPDP Guidebook

1. Panchayati Raj Department, GoUP , (2018), ***"Training Guidebook on Gram Panchayat Development Plan:, Hamari yojna hamara vikas"*** Published by Panchayatiraj Department, Govt of uttar Pradesh, PP 1-61
2. Ministry of Panchayati Raj (2018)***, Govt. of India, "Guideline for Preparation of Gram panchayat development plan"***
3. NIDM, 2020, ***Traning module on integration of Disaster Risk reduction and climate change integration in rural development policies and programe,***
4. National disaster management Authority , (2014)***, National Disaster management Guideline for Community Based Disaster Management***
5. Ministry of Panchayati Raj and Ministry of Rural Development, GoI, (2021) ***"People plan campaign for Gram pamchayat development plan"***
6. Ministry of Panchayati Raj and Ministry of Rural Development, GoI, (2021) ***Framework for preparation of block and district development plan for rural Areas***
7. GoI-UNDP 2019***, Mainstreaming Disaster risk reduction and climate change adaptation in national Flagship programs*** , Report prepared under the GoI – UNDP project entitled " Enhancing institutional and community resilience to disaster and climate change"
8. GoI- UNDP (undated) Training manual on building PRI Capacity for disaster preparedness and management

Referred Websites

1. ***https://gpdp.nic.in/downloadNew1.html?stateCode=0&departmentCode=3***
2. ***https://gpdp.nic.in/PPC/***
3. ***https://gpdp.nic.in/gpdp/mobile/index.html***
4. ***http://nirdpr.org.in/nird_docs/CPR/3-Book-3-Model-Learning-Materials-for-ERs-of-GPs.pdf***
5. ***http://nirdpr.org.in/nird_docs/CPR/2-Book-2-Model-Training-Modules-for-RT-of-ERs-of-GPs.pdf***
6. ***http://nirdpr.org.in/nird_docs/srsc/srsc070820n.pdf***
7. ***http://nirdpr.org.in/nird_docs/sb/sb080720.pdf***
8. ***http://bsdma.org/images/global/DISASTER%20RISK%20REDUCTION%20ROADMAP%20(2015-2030).pdf***
9. ***http://nirdpr.org.in/nird_docs/CPR/2-Book-2-Model-Training-Modules-for-RT-of-ERs-of-GPs.pdf***
10. ***http://nirdpr.org.in/nird_docs/srsc/srsc070820n.pdf***
11. ***http://nirdpr.org.in/nird_docs/sb/sb080720.pdf***